

वार्षिक रिपोर्ट
2009-10



पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड

हमारा ध्येय

कम खर्च
और
अधिक उड़ान
पूर्ण
सतर्कता का
एलान

तालिका

• निदेशक मंडल	4
• प्रबंध समूह	5
• सूचना	6
• निदेशकों की रिपोर्ट	7
• मुख्य वित्तीय अंश	21
• संक्षिप्त लेखे	23
• वर्ष के खाते	24
• कैश फ्लो विवरण	58
• लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	59
• भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणी	66
• कर्मचारियों का विवरण	67
• स्पष्टीकरण विवरण	69



निदेशक मण्डल



आर.के. त्यागी
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक



डॉ. एस.एन.ए. जैदी
महानिदेशक
नागर विमानन



ई.के. भारतभूषण
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय



रोहित नन्दन
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय



सुधीर वासुदेवा
निदेशक (ऑफ-शोर)
तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड



एवीएम एम. बहादुर
ए सी ए एस (परिचालन व टी. एवं. एच.)
वायु सेना मुख्यालय



प्रबंध समूह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	श्री आर. के. त्यागी
मुख्य सतर्कता अधिकारी	श्री समीर सहाय आई.एफ.एस.
महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)	श्री संजीव बहल
महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी)	श्री दीपक कपूर
महाप्रबंधक (परिचालन)	कैप्टन आर.पी.एस. महल
महाप्रबंधक (इनफोकॉम सर्विसेज)	श्री सी.पी. सिंह
कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबंधक (विधि)	श्री संजीव अग्रवाल
उप महाप्रबंधक (विपणन)	श्री संजय कुमार
उप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं मासंवि)	श्री आर.बी.कुशवाहा
उप महाप्रबंधक (सामग्री)	श्री एस.के. शर्मा
उप महाप्रबंधक (प्रशासन)	विंग.कमा. संजय सेठ
महाप्रबंधक (उत्तरी क्षेत्र)	श्री संजीव बहल
महाप्रबंधक (पश्चिम क्षेत्र)	श्री सुबीर कुमार दास

पंजीकृत कार्यालय

सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली - 110 003

प्रधान कार्यालय

सी-14, सेक्टर-1
नोएडा-201301

क्षेत्रीय कार्यालय

पश्चिम क्षेत्र
जुहू ऐरोड्रोम
एस.वी. रोड
विले पार्ले (पश्चिम)
मुम्बई - 400 056

उत्तरी क्षेत्र

सफदरजंग हवाई अड्डा
नई दिल्ली - 110 003

लेखापरीक्षक

मैसर्स वी.के. वर्मा एण्ड क.
सनदी लेखाकार
नई दिल्ली

शाखा लेखापरीक्षक

मैसर्स आर.बी. जैन एण्ड एसोसिएट
सनदी लेखाकार
मुम्बई

बैंकर्स

विजया बैंक
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
पंजाब नेशनल बैंक



सूचना

समस्त अंशधारक

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड

सूचित किया जाता है कि कम्पनी की 25वीं सामान्य बैठक शुक्रवार 3 दिसम्बर, 2010 को 12.30 बजे सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में निम्नांकित कार्य के लिए आयोजित की जाएगी :-

सामान्य कार्य

1. लेखों का अंगीकरण

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षाकृत तुलन-पत्र व लाभ-हानि खाता तथा उस पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी तथा निदेशकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, विचार करना तथा उसे अंगीकार करना।

विशेष व्यापार

2. पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि

कम्पनी की शेयर पूंजी में वृद्धि करने हेतु निम्नांकित विशेष संकल्प यदि ठीक समझा जाए, बिना किसी आशोधन के या फिर सहित पारित किया जाए :-

(i) प्राधिकृत इक्विटी शेयर में वृद्धि

“संकल्प किया जाता है कि कम्पनी की प्राधिकृत इक्विटी पूंजी में कुल मूल्य रु. 130 करोड़ का रु.10,000/- प्रत्येक का 1,30,000 इक्विटी शेयर जारी करके एतद्वारा रु.120 करोड़ से रु.250 करोड़ की वृद्धि की जाती है।”

(ii) कम्पनी की संगम ज्ञापन में संशोधन

संकल्प किया जाता है कि कम्पनी की संगम ज्ञापन के खण्ड V में एतद द्वारा परिवर्तन करके इसके स्थान पर निम्नांकित खण्ड V किया जाता है “कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु. 250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़) को रु.10000/- (रुपये दस हजार) प्रत्येक की 250,000 की इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है।”

(iii) कम्पनी की संगम अनुच्छेद में संशोधन

संकल्प किया जाता है कि कम्पनी की संगम अनुच्छेद के खण्ड 4 में एतद द्वारा परिवर्तन करके इसके स्थान पर निम्नांकित खण्ड को खण्ड 4 किया जाता है “कम्पनी की प्राधिकृत शेयर पूंजी रु.250,00,00,000/- (रुपये दो सौ पचास करोड़) को रु.10000/- (रुपये दस हजार) प्रत्येक की 250,000 की इक्विटी शेयर में विभाजित किया गया है, जिसमें से भारत के राष्ट्रपति द्वारा अभिदान 51% से कम नहीं होगा तथा शेष ओएनजीसी लिमिटेड द्वारा अभिदानित किया जाएगा।”

(iv) इक्विटी शेयर पूंजी का निर्गम

संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 81 (1ए) तथा अन्य लागू प्रावधानों और कम्पनी की संगम ज्ञापन एवं संगम अनुच्छेद के प्रावधानों तथा सरकार एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य नियमों/नियमावलियों/दिशानिर्देशों/अधिसूचनाओं/परिपत्रों के अनुसार, कम्पनी के निदेशक मंडल को एतद्वारा रु.36 करोड़ जिसमें रु.10,000/- प्रत्येक 36,000 इक्विटी शेयर नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में तथा रु.95.85 करोड़, जिसमें रु.10,000/- प्रत्येक का 95,850 इक्विटी शेयर ओएनजीसी लिमिटेड के पक्ष में जारी करने हेतु प्राधिकृत है।

आगे संकल्प किया जाता है कि उपर्युक्त वर्णित अनुसार सामान्य शेयर जारी या आबंटन को क्रियान्वित करने के लिए कम्पनी के किसी भी अधिकारी को प्रदत्त प्रत्यायोजित कोई भी शक्ति सहित सभी एक्स/डीड/मेटर्स तथा थिंग्स जैसा कि वे पूर्ण स्वेच्छानिर्णय के अनुसार आवश्यक समझे हेतु बोर्ड को एतद द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

3. प्रदत्त पूंजी से अधिक बाहर से ऋण लेने तथा हेलीकॉप्टरों का अर्जन हेतु कम्पनी की मुक्त आरक्षित पर विचार तथा अनुमोदन

निम्नलिखित संकल्प यदि सही समझा जाए, बिना किसी आशोधन के या सहित पारित किया जाए :-

“संकल्प किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 293(1) (घ) और अन्य प्रावधानों के अनुसार तथा कम्पनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार कम्पनी की कुल प्रदत्त पूंजी तथा इसके आरक्षित से अधिक रु.406.30 करोड़ तक का ऋण ओएनजीसी, एन.टी.पी.सी. तथा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लेने हेतु शेयर धारकों ने एतद्वारा बोर्ड को अनुमोदन की सहमति दी है।”

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड
के निदेशक मण्डल के आदेशानुसार

नई दिल्ली
8 नवम्बर, 2010

(संजीव अग्रवाल)
कम्पनी सचिव

टिप्पणी

क) ऐसे सदस्य जो इस बैठक में भाग लेने व मत देने के पात्र हैं, अन्य परोक्षी व्यक्ति को भी नियुक्त करने के पात्र हैं, जिन्हें कम्पनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। परोक्षी व्यक्ति के नामांकन बैठक से 48 घंटे पूर्व कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। एक रिक्त परोक्षी प्रपत्र संलग्न है।

ख) शेयर पूंजी तथा ऋण सीमाओं में वृद्धि के संबंध में विशेष व्यापार का स्पष्टीकरण विवरण संलग्न है। उपर्युक्त विशेष व्यापार के संबंध में कोई भी निदेशक व्यक्तिगत क्षमता में स्वार्थबद्ध नहीं है।



निदेशकों की रिपोर्ट

अंशधारक,

सज्जनों,



आपके निदेशकों को दिनांक 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष की, कम्पनी की 25वीं वार्षिक रिपोर्ट और लेखा परीक्षित लेखे तथा भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. परिचालन


क) परिचालनात्मक परिणाम

कम्पनी सांस्थानिक ग्राहकों मुख्यतः तेल उद्योग तथा सरकारी क्षेत्र के साथ अच्छे दीर्घावधि अनुबन्ध सुदृढ़ रखने में सफल रही है।

हेलीकॉप्टरों का राजस्व घन्टे तथा औसतन मासिक डिप्लॉयमेंट निम्नवत है:-



हेलीकॉप्टरों का डिप्लॉयमेंट में वृद्धि के कारण तथा बेहतर बेड़े सर्विसिबिलिटी के कारण गत वर्षों की तुलना में वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान सर्वांगीण परिणाम में सुधार हुआ है।



ख) बेड़े का विवरण

31.03.2010 को कम्पनी के परिचालन बेड़े का विवरण निम्नवत है:

हेलीकॉप्टर का प्रकार	हेलीकॉप्टरों की संख्या
डॉफिन एसए 365 एन	18
डॉफिन एस 365 एन-3	8
बेल-407	4
बेल 206 एल-4	3
एम आई -172	2
कुल	35

ग) बेड़े का डिप्लॉयमेंट

31.03.2010 को कम्पनी ने 12 डॉफिन हेलीकॉप्टर ते.प्रा.गे. नि. के लिए उनके अपतटीय कार्य हेतु मुम्बई में डिप्लॉय किए थे। कम्पनी ने विभिन्न राज्य सरकारों को एक-एक डॉफिन हेलीकॉप्टर डिप्लॉय किया था, यथा-अरूणाचल प्रदेश, पंजाब, मेघालय, नागालैंड, झारखण्ड तथा गृह मंत्रालय को भी एक डॉफिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया है। कम्पनी ने अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह को तीन तथा लक्षद्वीप को दो डॉफिन



ओ एन जी सी के लिए अपतटीय कार्य करते हुए डॉफिन हेलीकॉप्टर

हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया है। कंपनी द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार को दो एम आई-172 हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया है। एक बेल 206 एल4 हेलीकॉप्टर सिक्किम राज्य सरकार को डिप्लॉय किया गया था। एक बेल 407 हेलीकॉप्टर त्रिपुरा राज्य सरकार को तथा एक गैल को डिप्लॉय किया गया था। कंपनी मई-जून तथा सितम्बर-अक्टूबर में फाटा से श्रीकेदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएँ प्रदान करती है। कंपनी ने मई-जून तथा सितम्बर-अक्टूबर, 2009 में फाटा से परिचालन करके 10802 यात्रियों को वहन किया है तथा रिकार्ड राजस्व उपार्जित किया है। कंपनी माता वैष्णव देवी के लिए कटरा से सांझीछत तक हेलीकॉप्टर द्वारा यात्री सेवा प्रदान करती है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान 1,24,000 यात्री तथा वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 2,02,624 यात्रियों का वहन किया है और परिचालन पूर्णतया सफल रहा है। कंपनी को वर्ष 2010 के जुलाई-अगस्त, 2010 में यात्रा सीजन के दौरान श्री अमरनाथ स्नाईन बोर्ड हेतु 02 हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय करने की सफलता मिली है।

कंपनी ने वर्ष 2008 में पांच महीने तथा 2009 में तीन महीने के

लिए मेसर्स पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० हेतु इन्सूलेटर्स के हॉटलाइन वाशिंग का उत्तरदायित्व लिया था। भारत में इस कार्य प्रणाली को सफलतापूर्वक पूरी किया गया, जिसके लिए कंपनी ने विदेशों से वासिंग उपस्कर तथा परिचालात्मक सेवाएँ ली थी।

कंपनी को वर्ष 2009 हेतु गुजरात सरकार की एक डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर, ओ एन जी सी के दो ध्रुव हेलीकॉप्टर तथा बी एस एफ (गृह मंत्रालय) के चार ध्रुव हेलीकॉप्टरों का परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु मेसर्स एचएएल के साथ अनुबंध किया है।

घ) बेड़े का विस्तार:

कंपनी ने 03.04.2009 को 03 सिंगल इंजिन लाईट हेलीकॉप्टर (एस 350-बी3) खरीदने हेतु मेसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस के साथ कन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया था तथा जुलाई/अगस्त, 2010 में इनकी डीलिवरी प्राप्त हो चुकी है। कंपनी ने 30.12.2009 को 07 ट्विन इंजिन हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु मेसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस के साथ कन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा इनमें से तीन डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर की डीलिवरी जुलाई-सितम्बर, 2010 में प्राप्त हो चुकी है। खण्ड 3 के विकल्प का प्रयोग करते हुए 31.07.2010 को अतिरिक्त 03 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के लिए करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। डीलिवरी चरणबद्ध तरीके से प्राप्त हो रही है। कंपनी ने अगस्त 2010 को विनिर्माताओं के साथ 02 हेवी ड्यूटी



एम आई-172 हेवी हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रशिक्षण के लिए दो ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर और दो अल्ट्रा लाइट हेलीकॉप्टरों की खरीद हेतु ग्लोबल टेंडर बिड मंगाया गया है।

ड) डॉफिन बेड़े का अर्जन हेतु निधियन

कंपनी ने 07 नए डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों की खरीद की प्राक्कलित लागत की 80% के रूप में रु.275 करोड़ का आवधिक कर्ज हेतु ओएनजीसी के साथ दिनांक 13.8.2010 को एक करार किया है, जिसकी ब्याज दर भारतीय स्टेट बैंक की ब्याज दर तथा 150 प्रति बेसिस पाइंट, जो वर्तमान 9% प्रति वर्ष है पर आधारित है। प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए ली गई ऋण की अदायगी ऋण तिथि से 60 मासिक किस्तों में की जाएगी। बताए गए ऋण में से ओएनजीसी ने 03 डॉफिन हेलीकॉप्टरों के लिए ऋण दे दिया है। आपकी कंपनी ने एक नए हेलीकॉप्टर डॉफिन एन3 के लिए एनटीपीसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका 100% निधियन एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा और 6% प्रति वर्ष की दर से 10 वर्षों में यह प्रतिदेय होगा, हेलीकॉप्टर को 10 वर्षों के लिए दीर्घावधि लीज पर दिया गया।

च) डॉफिन हेलीकॉप्टर बेड़े का मिड-लाईफ अपग्रेड कार्यक्रम:

डी जी सी ए की अपेक्षाओं तथा ओ एन जी सी के एविएशन मानक-4 (ए एस-4) युक्त हेलीकॉप्टरों के अनुबंध को पूरा करने की बात को दृष्टि में रखते हुए डॉफिन बेड़े का रिट्रोफिट कार्यक्रम चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है। इससे डॉफिन बेड़े की बेहतर संरक्षा तथा सेवा में सुधार होगा और कम्पनी के तकनीकी कामिकों द्वारा डायनॉमिक कम्पोनेटों और इंजिनों का अनुवीक्षण यथासमय हो पाएगा। वर्तमान 18 ए एस-4 युक्त डॉफिन हेलीकॉप्टर उपलब्ध है।

छ) दिल्ली तथा निकटवर्ती क्षेत्र में हेलीपोर्ट / हेलीपैड

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 1 जून, 2009 को देश का प्रथम एकीकृत हेलीपोर्ट निर्माण करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय को रोहिणी, नई दिल्ली के निकट 25 एकड़ भूमि आबंटन किया गया है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण को रु.19.07 करोड़ राशि जमा करने के पश्चात् पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने 3 जुलाई, 2009 को भूमि का कब्जा ले लिया है। हेलीपोर्ट के विकास तथा अन्य संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवहार्यता का अध्ययन मेसर्स राइट्स द्वारा किया गया है तथा परियोजना लागत रु. 64 करोड़ का अनुमोदन ईएफसी से प्राप्त हो चुका है, जिसमें से रु. 36 करोड़ का निधियन सरकार द्वारा इक्विटी योगदान के रूप में कंपनी को दिया जाएगा तथा भूमि का मूल्य सहायता अनुदान के रूप में दिया जाएगा। सीमा दीवार का

कार्य पूरा हो चुका है तथा चरण-1 में हेलीपैड का निर्माण कार्य अंतिम स्तर पर है। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अक्षरधाम, नई दिल्ली के समीप राष्ट्रमंडल खेल गाँव में हेलीपैड के निर्माण हेतु एक हैक्टर भूमि उद्दिष्ट की गई है तथा हेलीपैड तथा अन्य संरचनात्मक कार्य राष्ट्रमंडल खेल आरम्भ होने से पूर्व पूरा किया जा चुका है तथा परियोजना लागत की दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी।

ज) हडप्सर, पुणे में प्रशिक्षण अकादमी तथा हेलीपोर्ट

पहंहेलि ने मौजूदा ग्लार्डिंग सेन्टर में हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण अकादमी के साथ हेलीपोर्ट बनाने हेतु प्रस्ताव रखा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट नागर विमानन मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी गई है तथा मंत्रालय ने इसके लिए रु.10 करोड़ राशि उपलब्ध कराई है।

झ) इक्विटी पूंजी में वृद्धि

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.3.2010 के आदेश सं. एवी.30020/017/2007-वीई (डीजी) के माध्यम से रोहिणी में हेलीपोर्ट की परियोजना लागत रु. 64 करोड़ के लिए रु. 36 करोड़ इक्विटी पूंजी का योगदान करने का निर्णय लिया गया है। कंपनी को 31.03.2010 को रु.15 करोड़ तथा अप्रैल 2010 को रु.21 करोड़ इक्विटी पूंजी के रूप में प्राप्त हुआ है। प्राधिकृत पूंजी रु. 120 करोड़ से रु.150 करोड़ की वृद्धि के पश्चात्, जिसके लिए औपचारिकता प्रगति पर है, पहंहेलि रु.36 करोड़ की इक्विटी शेयर भारत के राष्ट्रपति के नाम जारी करेगा।

प्रदत्त पूंजी में रु.36 करोड़ की वृद्धि से नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से सरकार द्वारा कुल इक्विटी योगदान 125.266 करोड़ तथा ओएनजीसी का योगदान रु.24.50 करोड़ होगा।

पहंहेलि के अनुरोध पर ओ.एन.जी.सी. ने पार्ट ऋण रु.95.85 करोड़ को इक्विटी के रूप में परिवर्तित करके पहंहेलि में अपना इक्विटी योगदान में 49% तक वृद्धि करने हेतु सहमति दी है। तदनुसार अब भारत सरकार की इक्विटी 51% तथा ओ.एन.जी.सी. की 49% होगी।

प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी	भारत के राष्ट्रपति (रुपए करोड़ में)	%	ओ.एन.जी.सी. (रुपए करोड़ में)	%	कुल प्रदत्त पूंजी (रुपए करोड़ में)	कुल प्राधिकृत पूंजी (रुपए करोड़ में)
वर्तमान प्रदत्त पूंजी	89.266	78.46	24.50	21.54	113.766	120.00
अतिरिक्त इक्विटी अंशदान	36.00		95.85		131.85	130.00
अतिरिक्त शेयर आबंटित करने के पश्चात् कुल प्रदत्त पूंजी	125.266	51	120.35	49	245.616	250.00





II. वित्त

क) वित्तीय परिणाम

वित्त वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के वित्तीय निष्पादन का पूरा विवरण निम्नवत है:-

(रुपए करोड़ में)		
विवरण	2008-09	2009-10
I. प्रचालन राजस्व		
- प्रचालन से राजस्व	305.93	380.52
- आकस्मिक राजस्व	5.01	3.52
योग (I)	310.94	384.04
II. प्रचालन व्यय		
- प्रचालन खर्चे	254.44	310.38
- मूल्यह्रास	36.20	38.21
योग (II)	290.64	348.59
III. प्रचालन लाभ (I-II)	20.30	35.45
IV. ब्याज आय	17.88	12.05
V. पूर्वावधि/असाधारण		
समायोजन	9.77	7.64
VI. कर पूर्व लाभ	47.95	55.14
VII. कर/आस्थगित कर देयता	22.83	19.55
VIII. कर के पश्चात शुद्ध लाभ	25.12	35.59



ख) लाभांश

आपके निदेशकों ने संस्तुत किया है कि कंपनी की संवृद्धि तथा विविधिकरण के लिए निधि की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं हेतु चालू प्रतिबद्ध पूंजी व्यय कार्यक्रमों में उपयोग के लिए वित्त वर्ष 2009-10 में लाभांश की भुगतान को स्किप किया जाए। इसलिए पूंजीगत परियोजनाओं में पूंजी के महत्वपूर्ण आउटफ्लो के कारण, मुख्यतः नए हेलीकॉप्टरों का अर्जन तथा ओ एन जी सी द्वारा स्वीकृत ऋण की डेबिट सर्विसिंग के कारण लाभांश हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया है। कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष में प्रदत्त इक्विटी पूंजी रु.113.766 करोड़ पर 10% की दर से रु.11,37,66,000/- का भुगतान किया है।

ग) भारत सरकार की देयताएँ

भारत सरकार के लम्बित दावे के मुद्दे के सम्बन्ध में नागर विमानन मंत्रालय ने दिसम्बर, 2007 में वित्त मंत्रालय को एक परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसमें वित्त मंत्रालय से सरकार द्वारा कम्पनी से दावाकृत कुल राशि रु. 470.22 करोड़ (मूल राशि रु. 130.91 करोड़ तथा 31.03.2001 तक का ब्याज रु. 339.31 करोड़) का अधित्याग करने पर पुनर्विचार करने हेतु कहा गया है ताकि मौजूद निधि को बेड़े के वर्धन तथा अन्य पूंजीगत आउटले प्रोग्राम हेतु उपयोग किया जा सके, जो नागर विमानन क्षेत्र में भारत में विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक परिदृश्य में कम्पनी का अस्तित्व बनाए रखने हेतु अपरिहार्य है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तथा कम्पनी को दावाकृत राशि को सरकारी कोष में जमा करने हेतु दिया है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.08.2008 को आयोजित 115वीं बैठक में निर्णय लिया है कि वित्त मंत्रालय के दावे का पूर्ण अधित्याग करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय की पैरवी करे और एक वित्त सलाहकार नियुक्त किया जाए, जो अन्य मुद्दों सहित इसकी जांच करें। वित्त सलाहकार ने कम्पनी के मूल्यांकन में भारत सरकार के दावे के प्रभाव पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है तथा कुछ विकल्पों की संस्तुति की है। रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी के लिए भारत सरकार के दावे का भुगतान व्यवहार्य विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार कम्पनी ने नागर विमानन मंत्रालय के सचिवों की समिति को भारत



अपतटीय परिचालन हेतु जुहू एरोड्रम में तैयार डॉफिन हेलीकॉप्टर बेड़ा, मुम्बई

सरकार द्वारा दावाकृत रु. 470.22 करोड़ का अधित्याग करने हेतु जनवरी 2009 में ड्राफ्ट नोट प्रस्तुत किया है। मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

कम्पनी द्वारा 31.03.2001 तक रु. 339.31 करोड़ का प्रावधान बनाया गया था तथा वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2002-03 के दौरान वित्त मंत्रालय द्वारा दावाकृत ब्याज तथा अन्य प्रभारों को अग्रणीत किया गया है।

III. अभियांत्रिकी/अनुरक्षण कार्यकलाप

कम्पनी ने अपने हेलीकॉप्टर बेड़े के अनुरक्षण के लिए डी जी सी ए के अनुमोदन से दिल्ली और मुम्बई में अत्याधुनिक अनुरक्षण सुविधाओं की स्थापना की है। हेलीकॉप्टरों की गहन अनुरक्षण जाँच की जाती है तथा आन्तरिक सुविधाओं सहित व्यापक कार्यशाला जाँच की सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं। डॉफिन हेलीकॉप्टरों के मेजर 'जी' निरीक्षण के लिए बिना विदेशी



माननीय नागर विमानन मंत्री श्री प्रफुल पटेल की उपस्थिति में मेसर्स यूरोकॉप्टर, फ्रांस से एक्सीलेन्स अवार्ड लेते हुए अ प्र नि, पहहेलि



जुहू एरोड्रम में नया डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर का एसेम्बलिंग करते हुए पहल्ले के कार्मिक

सहायता के पूर्ण स्वदेशी आन्तरिक सुविधाओं से अनुरक्षण क्षमता को उन्नत किया गया है, जिससे मरम्मत/निरीक्षण लागत में कमी आई है और विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान मुम्बई में अनुरक्षण सुविधाओं के अनुमोदन के अवसर से डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों का 'जी' निरीक्षण करने

हेतु विस्तार (6000 घन्टे एअरफ्रेम ओवरहॉल) किया गया है। कम्पनी ने अपने संसाधनों से डॉफिन एन हेलीकॉप्टरों के 27 निरीक्षण-टी/2टी/5टी (600 घन्टे/1200 घन्टे/3000 घन्टे) तथा कम्पनी की आन्तरिक संसाधनों द्वारा डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर पर 2 'जी' (5400 घंटे) सम्पन्न किया गया।



ओ एन जी सी हेतु मेडीवेक परिचालन के लिए डॉफिन हेलीकॉप्टर



वर्कशॉप सुविधाओं में संवर्धन एक निरन्तर प्रक्रिया है तथा प्रत्येक संवर्द्धन कार्य एक महत्वपूर्ण उल्लेखनीय कार्य है। वर्ष के दौरान डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के जी निरीक्षण सुविधाओं के संवर्धन के अलावा डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के इन्स्ट्रूमेंटों के बैच चेक हेतु वर्कशॉप सुविधाओं में वृद्धि की गई है। वर्ष के दौरान बेसों में भी बेल हेलीकॉप्टरों का मेजर अनुरक्षण निरीक्षण तथा मेजर पुर्जों के बदलने का कार्य भी चलता रहा है।

परिचालन तथा अनुरक्षण हेतु पहहेलि तथा एचएएल का संयुक्त उद्यम

पहहेलि ने 23.07.2010 को एचएएल के साथ रक्षा विभाग के एएलएच ध्रुव तथा चेतक एवं चीता हेलीकॉप्टरों के परिचालन एवं अनुरक्षण हेतु संयुक्त उद्यम के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। संयुक्त उद्यम हेतु पहहेलि तथा एचएएल के बोर्ड ने सिद्धान्त रूप से इसका अनुमोदन दे दिया है। पहहेलि जल्द ही नागर विमानन मंत्रालय के समक्ष संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव को अनुमोदन हेतु रखेगा। संयुक्त उद्यम की कुल प्राक्कलित लागत रु.84 करोड़ होगी, जिसमें एचएएल और पहहेलि का

50:50 का अंशदान होगा और दिल्ली, पुणे तथा कोच्चि से परिचालन किए जाएंगे।

IV. सामग्री प्रबंधन

अचल इन्वेट्री के बेहतर नियंत्रण हेतु सामग्री प्रबंधन निर्देश जारी कर दिए गए थे। अभियांत्रिकी तथा सामग्री विभाग द्वारा संयुक्त समीक्षा के आधार पर इन्वेट्री-खरीदने की मात्रा को निर्धारित किया गया तथा स्पेयर्स को पूर्व मांग के आधार पर ऑर्डर किया गया था। वर्ष के दौरान सामग्री प्रबंधन प्रक्रिया को सुगठित कम्प्यूटरीकरण (इन्टीग्रेटेड कम्प्यूटराजेशन) के माध्यम से ऑनलाईन किया गया है। मांग तथा आपूर्ति प्रोसेसिंग को प्रभावशाली बनाया गया है। आंकड़े पारदर्शी हो गए हैं तथा सभी क्षेत्रों और बेसों में उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध हैं। यथासमय सतर्कता संकेतों के माध्यम से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन की क्षमता में वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष के दौरान सामग्री की खरीद तथा सेवाओं हेतु नीति और प्रक्रिया मैनुअल जारी किया गया है।

V. सूचना प्रणाली व प्रौद्योगिकी योजना:

परिचालन, अभियांत्रिकी, सामग्री एवं वित्त जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्षेत्रों में सूचना प्रणाली व प्रौद्योगिकी योजना के क्रियान्वयन हेतु मेसर्स टाटा कॅन्सल्टेन्सी सर्विसेज लिमिटेड



पावर ग्रीड के ट्रांसमिशन लाइनों का हॉटलाइन वाशिंग कार्य करते हुए बेल 206 एल4 हेलीकॉप्टर



के द्वारा बनाए गए इन्टीग्रेटेड सॉफ्टवेयर से कुशलता, सामर्थ्य और ग्राहक सन्तुष्टि में वृद्धि होगी। नोएडा, सफदरजंग एअरपोर्ट तथा मुम्बई के कार्यालयों के लिए एल ए एन/डब्ल्यू ए एन एकीकृत संरचना का कार्य प्रगति पर हैं। कारपोरेट कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा डिस्ट्रिक्टों हेतु एकीकृत वॉयस कम्प्यूनिवेशन प्रणाली का कार्य क्रियान्वित किया गया है। कम्पनी ने वैष्णव देवीजी और केदारनाथजी तथा अमरनाथजी के लिए परिचालन हेतु ई-टिकटिंग प्रणाली आरम्भ की है। कम्पनी की नई वेबसाइट <http://pawanhans.co.in> लॉन्च की गई है।

VI. आई.एस.ओ. 14001 : 18001 प्रमाणीकरण

कम्पनी अपने क्वालिटी मेनेजमेन्ट सिस्टम आई एस ओ 9001 : 2000 मानकों के साथ आई एस ओ 14001 तथा 18001 के अधीन प्रमाणीकृत हुआ है, जिसे एकीकृत मेनेजमेन्ट सिस्टम के रूप में जाना जाएगा, जिसमें पर्यावरण तथा संरक्षा पहलू सम्मिलित है।

VII. मानव संसाधन विकास

क) श्रमशक्ति

31 मार्च, 2010 को नियमित तथा प्रत्यक्ष अनुबंधित कर्मचारियों की संख्या 850 थी, जबकि 31 मार्च, 2009 को कर्मचारियों की संख्या 804 थी।

ख) औद्योगिक सम्बन्ध:

अवधि के दौरान औद्योगिक सम्बन्ध सदभावपूर्ण रहे तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की गईं। कर्मचारियों से सम्बन्धित मुद्दे विचार-विमर्श के माध्यम से सुलझाए गए। वर्तमान गैर-अधिकारियों के संगठित निकायों के साथ 01.01.2007 से देय नया वेतन समझौते पर तथा उन्नति क्रम में विकास की बातचीत चल रही है।

ग) प्रशिक्षण:

समस्त कर्मचारियों यथा-अधिकारियों, पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और सहायक स्टाफ के लिए प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रबंधकीय निपुणता के विभिन्न विषयों पर नियमित रूप से व्याख्यान आयोजित किए गए। कम्पनी द्वारा कर्मचारियों को विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तथा इन-हाउस प्रशिक्षणों में नामित किया जाता है। नियमित आधार पर पायलटों, इंजीनियरों, तकनीशियनों के लिए विभिन्न पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों के लिए एविएशन ट्रेनिंग स्कूल की सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। कम्पनी द्वारा पिछले

वर्ष में मेसर्स हेलीसिम, फ्रांस में 40 पायलटों का सिमुलेटर प्रशिक्षण करवाया है। अधिक संख्या में पायलटों तथा इंजीनियरों की सेवानिवृत्ति/ त्यागपत्र को ध्यान में रखकर बढ़ते हुए बेड़े की अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अनुभवी और युवा पायलटों को नियुक्त किये जाने और उनकी प्रशिक्षण की कार्रवाई की जा रही है।

घ) पवन हंस हेलीकाप्टर्स प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई (पीएचटीआई)


कंपनी ने मुम्बई में तकनीशियनों तथा इंजीनियरों के लिए सितम्बर, 2009 में डीजीसीए द्वारा अनुमोदित हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की है।

ङ) राष्ट्रीय संस्थान विमानन संरक्षा एवं सेवा, दिल्ली (एनआईएसएस)

कंपनी ने देश में संरक्षा प्रबंधन प्रणाली तथा संरक्षा जागरूकता हेतु जून 2010 में दिल्ली में राष्ट्रीय विमानन संरक्षा एवं सेवा संस्थान की स्थापना की है। संस्थान का उद्देश्य भारत में हेलीकॉप्टर उद्योग में संरक्षा मानकों तथा लेखापरीक्षा अनुवर्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/राज्य सरकार/प्राइवेट परिचालकों के विमानन व्यवस्था/ढाँचे की लेखापरीक्षा एवं परामर्श उपलब्ध कराना है। संस्थान द्वारा अन्य ग्राहकों, नए परिचालकों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करने तथा विभिन्न हेलीपैड/हेलीपोर्ट/ अपतटीय संस्थापनों को लेखापरीक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

च) राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान (एनएफटीआई) प्राइवेट लिमिटेड में इक्विटी योगदान

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सी ए ई, कनाडा द्वारा गोंडिया में एन एफ आई टी की स्थापना की गई है, जिसमें भा.वि.प्रा. द्वारा कुल इक्विटी रु. 68 करोड़ में से 49% का निवेश करेगी तथा शेष सीईए द्वारा निवेश की जाएगी। एनएफआईटी में अपने इक्विटी योगदान में से 10% पहंहेलि को निवेश करने हेतु भा.वि.प्रा. ने प्रस्तावित किया है तथा तदनुसार पहंहेलि रु. 6.8 करोड़ का योगदान करेगी। अब तक पहंहेलि ने रु.2.89 करोड़ का भुगतान किया है तथा भा.वि.प्रा. ने इतनी ही राशि का शेष पहंहेलि के नाम अंतरित किया है। पहंहेलि के अलावा नेसिल भी एनएफटीआई की इक्विटी में योगदान करेगी। एनएफटीआई ने फीक्स्ट विंग पायलटों के लिए बुनियादी पायलट लाइसेंस हेतु प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है तथा



वर्ष 2010-11 में हेलीकॉप्टर पायलटों का प्रशिक्षण शुरू करने की सम्भावना है।

भूमि/परिसरों के लिए भा.वि.प्रा.हेतु लीज किराया

अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003 में दिए गए माध्यस्थम अधिनिर्णय के अनुसार कंपनी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जुहू एरोड्रम, सफदरजंग एअरपोर्ट तथा अन्य स्थानों के लिए भूमि/हेंगर के लिए लीज किराया/लाइसेंस शुल्क का भुगतान करता आया है। चूंकि भा. वि.प्रा. से लीज किराए की उचित वृद्धि हेतु अनुरोध किया गया है, अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को संबंधित परिसरों हेतु पहले की लीज अवधि की समाप्ति के बाद की अवधि हेतु नया माध्यस्थम अधिनिर्णय के लिए मामला प्रस्तुत किया जाएगा। अगले अधिनिर्णय तक पहलेलि पूर्व के माध्यस्थम अधिनिर्णय के अनुसार लीज किराए का भुगतान करती रहेगी।

VIII. निदेशक मंडल

वर्ष 2009-10 के दौरान निदेशक मंडल की चार बैठकें हुईं। वर्तमान तथा वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान मंडल में निम्नांकित सदस्य हैं:-

वर्तमान	
श्री आर.के. त्यागी	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डॉ.एस.एन.ए.जैदी	नागर विमानन महानिदेशक (17.11.2008 से)
श्री. ई. के. भारत भूषण	अपर सचिव व वित्तीय सलाहकार, ना.वि.मं. (18.02.2009 से)
श्री रोहित नन्दन	संयुक्त सचिव, ना.वि.मं. (28.12.2009 से)
श्री सुधीर वासुदेवा	निदेशक ऑफशोर, ते.प्रा.गै.नि. (01.02.2009 से)
एवीएम एम. बहादुर	ए सी ए एस (परिचालन टी. एवं एच.) वायु सेना मुख्यालय (15.01.2009 से)
निवर्तमान	
श्री आलोक सिन्हा	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय (25.05.2009 से 28.12.2009)
श्री अरूण मिश्रा	संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय ना.वि.मं. (13.03.07 से 25.05.09 तक)

निदेशक मंडल श्री आलोक सिन्हा तथा श्री अरूण मिश्रा द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं की सराहना करता है।

बोर्ड की बैठकों में तथा पिछली एजीएम में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति निम्नांकित है :-

निदेशक के नाम	बोर्ड बैठकों की तिथि - उपस्थित निदेशक					वा.सा.बै. में निदेशकों की उपस्थिति
	05.06.2009	11.08.2009	23.12.2009	17.03.2010	23.12.2009	
श्री आर. के. त्यागी, अप्रनि	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री ई. के. भारतभूषण, निदेशक	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
डॉ. एस. एन. ए. जैदी, निदेशक	अवकाश	जी हाँ	अवकाश	जी हाँ	जी नहीं	जी नहीं
श्री आलोक सिन्हा, निदेशक	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ	—	जी हाँ	जी हाँ
श्री रोहित नन्दन, निदेशक	—	—	—	जी हाँ	जी हाँ	जी हाँ
श्री सुधीर वासुदेवा, निदेशक	अवकाश	जी हाँ	जी हाँ	अवकाश	जी हाँ	जी हाँ
एवीएम एम. बहादुर	जी हाँ	अवकाश	जी हाँ	अवकाश	जी हाँ	जी हाँ

कंपनी के किसी भी निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (छ) के प्रावधान के अनुसार अयोग्य नहीं ठहराया गया है।

IX. निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 217 (2 ए.ए.) के प्रावधान के अनुसार 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्त वर्ष के वार्षिक लेखों के संबंध में आपके निदेशकों ने:-

- वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है तथा सामग्री के अपसरण के संबंध में उचित स्पष्टीकरण समाविष्ट किया है।
- ऐसी लेखांकन नीतियों को चुना है तथा उनका बराबर प्रयोग किया है तथा ऐसे विनिर्णय तथा प्राक्कलन किए हैं जो उचित तथा युक्ति संगत हैं, जिससे वित्त वर्ष के अंत में कम्पनी के कार्य मामले तथा उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ की सही तथा सत्य छवि प्रस्तुत हो सके।
- कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी की परिसंपत्तियों के रक्षार्थ पूर्वोपाय तथा जालसाजी और अन्य विसंगतियों को रोकने तथा पता लगाने के लिए समुचित तथा पर्याप्त ध्यान रखा गया; तथा



श्री माता वैष्णव देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा हेतु सांझीछत में बेल-407 हेलीकॉप्टर

घ) वार्षिक लेखों को प्रचलित/वर्तमान आधार पर तैयार किया गया है।

X. नैगमिक अभिशासन


कंपनी ने नैगमिक अभिशासन के विषय में पहल किया है तथा इसके कार्यप्रणाली को विभिन्न स्टैक होल्डरों द्वारा स्वीकारा गया है।

कंपनी ने डीपीई द्वारा 06.07.2007 को जारी नैगमिक अभिशासन की मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अपनाया है। डीपीई ने दिनांक

14.05.2010 के का. ज्ञा. के माध्यम से इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को अनिवार्य किया है तथा पहंहेलि द्वारा डीपीई के मार्गदर्शी सिद्धान्तों को सम्भाव्य अधिकतम रूप से अपनाया है, सिवाय स्वतंत्र निदेशकों के अपेक्षित संख्या के, जो नागर विमानन मंत्रालय के विचाराधीन है। निदेशक मंडल द्वारा 110 वीं बैठक में आदर्श आचरण संहिता का अनुमोदन किया गया है तथा इस पर कार्यात्मक प्रमुखों तथा निदेशकों ने हस्ताक्षर किया है तथा कंपनी की वेबसाइट में दर्शाया गया है।



बालताल में अमरनाथ तीर्थस्थल हेतु यात्री सेवा करते हुए बेल 407 हेलीकॉप्टर



अरुणाचल प्रदेश में एम आई-172 हेलीकॉप्टर

ग्लोबल कार्यप्रणाली के अनुसार कंपनी ने स्टैक होल्डरों द्वारा अपेक्षित सूचनाओं को कंपनी की कारपोरेट वेबसाइट www.pawanhans.co.in पर उपलब्ध कराया है।

लेखापरीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम की धारा 292 (क) के अनुपालन में निदेशक मंडल द्वारा 24.05.2000 को इसके अध्यक्ष तथा दो निदेशकों को शामिल करके एक लेखापरीक्षा समिति का गठन किया गया है। लेखापरीक्षा समिति के द्वारा, वित्तीय विवरण, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, आंतरिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, सी एवं जी के टिप्पणियों की समीक्षा की जाती है तथा वित्त वर्ष में अपेक्षित बैठकों का आयोजन किया जाता है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान लेखापरीक्षा समिति द्वारा 11.08.2009 तथा 23.12.2009 को बैठकों की गई है। वर्तमान लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष श्री ई. के. भारत भूषण, अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय तथा श्री रोहित नन्दन, संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय और एवीएम एम. बहादुर, एसीएएस (परिचालन, टी एवं एच), वायुसेना मुख्यालय सदस्य के रूप में शामिल हैं।

नैगमिक अभिशासन पर डीपीई मार्गदर्शी सिद्धान्तों की अपेक्षाओं के अनुसार विवरण :

गत वर्षों के दौरान आयोजित वार्षिक सामान्य बैठकों का विवरण निम्नांकित है :-

वार्षिक सामान्य बैठक	वा.सा.बै. का समय	वा.सा.बै. का स्थान	विशेष संकल्प, यदि कोई हो
22वीं वार्षिक सामान्य बैठक 31.12.2007 को आयोजित की गई	12:30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	शून्य
23वीं वार्षिक सामान्य बैठक 30.12.2008 को आयोजित की गई	12:30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	शून्य
24वीं वार्षिक सामान्य बैठक 23.12.2009 को आयोजित की गई	2:30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	ए. एम. ई. प्रशिक्षण संस्थान, संरक्षा संस्थान, फिक्सड विंग एअर क्राफ्ट तथा समुद्री प्लेन का परिचालन तथा हेलीपैड/हेलीपोर्ट के विकास के नए व्यापार से संबंधित खंड को सम्मिलित करने हेतु मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के मुख्य उद्देश्य खंड में परिवर्तन।
25वीं वार्षिक सामान्य बैठक 03.12.2010 को आयोजित की गई	12:30 (अप.)	पंजीकृत कार्यालय सफदरजंग एअरपोर्ट, नई दिल्ली-110003	प्राधिकृत पूंजी रु. 120 करोड़ को बढ़ाकर रु. 250 करोड़ करना तथा भारत के राष्ट्रपति और ओएनजीसी के नाम से इन्विटि शेयर जारी करना।



XI. राष्ट्रपति के निदेश

बोर्ड स्तर के तथा बोर्ड स्तर से अवरपद के अधिकारियों के वेतनमान तथा भत्तों से परिशोधन से संबंधित राष्ट्रपति के निदेश को नागर विमानन मंत्रालय द्वारा 01.05.2009 को जारी किया गया।

वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन की रिपोर्टिंग

प्रत्येक तिमाही में वास्तविक एवं वित्तीय निष्पादन को परिनिश्चित किए जाते हैं तथा निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाते हैं। कंपनी की वेबसाइट में तिमाही के परिणामों को प्रकाशित किया जाता है तथा कार्यालयीन खबरों को नियमित रूप से और तत्काल कंपनी की वेबसाइट में दर्शाया जाता है। प्रशासनिक तथा कार्यालयीन व्यय, कुल व्यय का प्रतिशत अर्थात् वित्तीय व्यय 10.5% है।

वीसॅल ब्लोअर नीति

स्वैच्छिक पहल के रूप में एक वीसॅल ब्लोअर नीति का अनुपालन किया जा रहा है। यह नीति सुनिश्चित करेगी कि एक सच्चे वीसॅल ब्लोअर को किसी भी प्रकार की अत्याचार से उपयुक्त सुरक्षण मिले। यह नीति कंपनी के समस्त कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी तथा कंपनी की इन्ट्रानेट में लोड होगी। किसी भी कार्मिक को लेखापरीक्षा समिति में पहुँच से वंचित नहीं रखा गया है।

XII. लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 की वार्षिक लेखे हेतु दी गई टिप्पणियों को उनके उत्तर सहित अनुलग्नक 'क' में संलग्न किया गया है। (कृपया पृष्ठ 59 देखिए)। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (4) के अनुसरण में भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट अनुलग्नक 'ख' में संलग्न है (कृपया पृष्ठ 66 देखिए)।

XIII. कर्मचारियों का विवरण

कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 217 (2क) तथा कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) संशोधन नियम 1988 के अनुसार कर्मचारियों का विवरण अनुलग्नक 'ग' (कृपया पृष्ठ 67 देखिए) में संलग्न है।

XIV. राजभाषा नीति

समीक्षाधीन वर्ष में कंपनी ने सरकार की राजभाषा नीति के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु हिन्दी दिवस/सप्ताह का आयोजन, हिन्दी कार्याशालाओं का आयोजन, वित्तीय प्रोत्साहन, विज्ञापनों का द्विभाषी रूप से जारीकरण तथा राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

XV. विकलांग व्यक्तियों को रोजगार

कंपनी विकलांग व्यक्तियों के लिए बने अधिनियम का पालन करती है।

XVI. सतर्कता

कंपनी में एक स्वतंत्र सतर्कता विभाग है, जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। इससे नियमित निरीक्षणों तथा कर्मचारियों से सघन सम्पर्क द्वारा प्रक्रियाओं को सरल बनाने, पारदर्शी बनाने तथा निर्णय लेने में उत्तरदायित्व का बोध कराने में सहायता मिली है। प्रतिषेधात्मक सतर्कता पर गंभीर अनुपालन से नैतिक कार्य संस्कृति को प्रोन्नत करने, बेहतर नियंत्रण तथा पद्धति के अन्तर्गत ही अनुशासन बनाने और ईमानदार तथा कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में यह प्रभावशाली सिद्ध हुई है। सतर्कता विभाग की विवेकपूर्ण कार्यप्रणाली ने संस्थान की क्षमता और छवि बेहतर बनाई है और उत्तरदायित्व बोध में वृद्धि की है।

XVII. उभरता परिवेश

उभरते हुए नए परिवेश, में कंपनी के सामने प्रतियोगी बनने के लिए अवसर और चुनौतियां हैं जिसके लिए इसे गुणवत्ता सुधारनी होगी और लागत भी कम करनी पड़ेगी। पवन हंस भारत में हेलीकॉप्टर प्रचालन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी है तथा इसके परिचालन और अनुरक्षण उच्च मानकों वाले हैं। कंपनी संरक्षा निष्पादन में समग्र विकास के लिए उत्कृष्टता हासिल करने हेतु अथक प्रयास करती रही है। यही समय है कि कंपनी को अपनी शक्ति बटोरनी होगी और अपना कौशल



बढ़ाना होगा ताकि हेलीकॉप्टर परिचालन में एशिया में सबसे अग्रणी बने तथा साथ ही विमानन उत्पादों की मरम्मत व ओवरहॉल में विश्वस्तरीय बन सके।

XVIII. आभार

निदेशक मंडल भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों विशेषकर नागर विमानन मंत्रालय तथा नागर विमानन महानिदेशक से प्राप्त सतत सहयोग व सहायता के लिए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य ग्राहकों को हार्दिक धन्यवाद देता है, जिन्होंने कम्पनी के परिचालन पर अपना विश्वास बनाए रखा

तथा अन्य राज्य सरकारें एवं स्टैक होल्डरों को भी धन्यवाद देता है। जिन्होंने कम्पनी के परिचालन में योगदान दिया है।

निदेशक मंडल कम्पनी की प्रगति के लिए प्रत्येक स्तर के कर्मचारियों द्वारा किए गए उनके कर्तव्य-निष्ठ कार्यों की प्रशंसा करता है।

निदेशक मंडल के लिए और
उनकी ओर से

(आर.के. त्यागी)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 03 दिसम्बर, 2010



पहिले के बेड़े में सम्मिलित नया एएस 350 बी3 हेलीकॉप्टर



प्रबंधन का विचार-विमर्श एवं विश्लेषण रिपोर्ट

परिदृश्य

भारत में 268 पंजीकृत सिविल हेलीकॉप्टर हैं। पहंहेलि के पास 41, सार्वजनिक उपक्रमों/राज्य सरकारों के पास 51 तथा शेष प्राइवेट एजेंसियों के पास हैं। भारत में 6 हेलीकॉप्टर परिचालक हैं जिनके पास पांच या इससे अधिक हेलीकॉप्टर हैं तथा पहंहेलि बृहततम हेलीकॉप्टर परिचालक है और दीर्घावधि आधार पर डिप्लॉय किए गए हेलीकॉप्टरों के व्यवसायिक परिचालनों में बाजार में मुख्य शेयर प्रतिधारित करता है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड (पहंहेलि) देश का बृहततम हेलीकॉप्टर परिचालक है।

अक्टूबर, 1986 से ही पवन हंस ओ एन जी सी के मुम्बई में स्थित अपतटीय प्लेटफार्मों के ड्रिलिंग रिंगों पर अहर्निस् कर्मचारियों को और आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध कराती आई है। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड मुम्बई से 130 नाटि.मील त्रिज्या के अन्दर ओ एन जी सी के रिंगों (मुख्य प्लेटफार्म तथा ड्रिलिंग रिंग) और उत्पादन प्लेटफार्मों (कुओं) में परिचालन करता है।

कम्पनी ने अपने स्थापना काल से अब तक 5.13 लाख से अधिक उड़ानें तथा 19 लाख से अधिक लेंडिंग की है।

31 मार्च, 2009 को कर्मचारियों की संख्या 804 थी तथा 31 मार्च, 2010 को कर्मचारियों की संख्या 850 है। श्रमशक्ति में 148 उड़ान कर्मी, 87 इंजीनियर, 5 फ्लाइट इंजीनियर, 49 अधिकारी, 236 तकनीशियन तथा 325 सहायक स्टाफ हैं।

पहंहेलि समग्र भारतीय उपमहादेश में हेलीकॉप्टर परिचालन करता है, इसका पंजीकृत कार्यालय तथा उत्तरी क्षेत्र सफदरजंग एअरपोर्ट में, कारपोरेट कार्यालय नोएडा में तथा पश्चिम क्षेत्र का कार्यालय मुम्बई में स्थित है। ओएनजीसी के अपतटीय परिचालन हेतु पहंहेलि जुहू एरोड्रम, मुम्बई से 15 डॉफिन हेलीकॉप्टरों द्वारा सेवाएं उपलब्ध कराती है। गैर तेल क्षेत्र के लिए पहंहेलि कावारती, चंडीगढ़, गुवाहाटी, ईटानगर, पोर्टब्लेयर, गंगटोक, अगरतला, रांची, कटरा, बरोडा, अहमदाबाद, पटना तथा नजीरा स्थित बेसों से परिचालन करता है।

अपतटीय क्षेत्र में अपनी स्थिति सशक्त बनाने के लिए पहंहेलि उत्पादन कार्य में अपनी अपतटीय परिचालन, गहरे सागर उत्खनन, तलाशी एवं बचाव आदि को और पैना बनाएगी। पहंहेलि तटीय क्षेत्र में राज्य सरकारों, हेली पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों, ईएमएस, कानून व्यवस्था, समाचार संग्रहण आदि में हेलीकॉप्टर डिप्लॉय करके अपनी स्थिति सशक्त करेगी। पहंहेलि अधिक से अधिक अनुरक्षण तथा परिचालन कॉन्ट्रैक्ट (हेलीकॉप्टर स्वामित्व वाले ग्राहकों के साथ), एमआरओ की स्थापना, समुद्री प्लेनों का परिचालन, हॉटलाईन वाशिंग परिचालन आदि हेतु प्रयास करेगी।

मिशन विवरण

“हेलीकॉप्टर परिचालन में एशिया का मार्केट लीडर बनना तथा अन्तरराष्ट्रीय मानकों के समतुल्य हेलीकॉप्टर कम्पोनेन्ट/एसेम्बली की मरम्मत/ ओवरहॉल सेवा उपलब्ध कराना।”

तेल तथा गैस उद्योग में पहंहेलि की भूमिका

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस सैक्टर का 15 प्रतिशत से अधिक जी.डी.पी. में योगदान करता है। सरकार द्वारा नई अनुरक्षण लाईसेंसिंग नीति के अंतर्गत बृहत संख्या में तेल तथा गैस अनुसन्धान ब्लॉक प्रदान किए गए हैं। आबंटन से कई बिलियन यूएस डॉलर का निवेश हुआ है।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तथा औचित्य

कम्पनी में समुचित तथा आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्त प्रणालियाँ हैं ताकि परिसम्पत्तियों का अप्राधिकृत उपयोग या निवर्तण तथा अप्राधिकृत लेन-देन जैसे समस्त क्रियाकलापों का अनुवीक्षण तथा नियंत्रण किया जा सके और रिकॉर्ड किया जा सके तथा सही रूप से रिपोर्ट किया जा सके।


कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा प्रतिपालन करना (सीएसआरएस)

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के आधार पर कम्पनी ने सितम्बर 2010 में कारपोरेट दायित्व तथा प्रतिपालन (सीएसआरएस) नीति तैयार की है। वर्ष 2010-11 के एमओयू के अनुसार कम्पनी सीएसआर पर व्यय की जाने वाली राशि का लक्ष्य पूरा करेगी।




मुख्य वित्तीय अंश (2009-10 के लिए)


आय के श्रोत



लागत संरचना




जनशक्ति विवरण







शुद्ध लाभ और परिचालन लाभ




उड़ान घंटे




राजस्व



स्थाई परिसम्पतियां





संक्षिप्त लेखे

	(रुपये करोड़ में)				
	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07	
संसाधन					
शुद्ध मूल्य	350.96	300.37	288.56	279.79	
आस्थगित कर देयता	77.21	67.06	50.38	47.48	
योग	428.17	367.43	338.94	327.27	
संसाधनों का उपयोग					
अचल परिसम्पत्तियाँ (पूँजी-कार्य प्रगति पर सहित)	749.62	745.29	681.07	546.25	
घटा : मूल्यह्रास	283.01	250.47	215.37	191.00	
शुद्ध अचल परिसम्पत्तियाँ	466.61	494.82	465.70	355.25	
निवेश	2.89	-	-	-	
शुद्ध कार्यशील पूँजी	(42.41)	(133.53)	(137.97)	(27.98)	
विविध खर्चे	1.08	6.14	11.21	-	
कुल नियोजित पूँजी	428.17	367.43	338.94	327.27	
आय					
परिचालन से राजस्व	384.04	310.94	220.11	208.83	
ब्याज आय	12.05	17.88	23.30	24.96	
योग	396.09	328.82	243.41	233.79	
व्यय					
श्रम लागत	109.64	81.13	71.20	59.03	
बीमा	7.67	6.56	5.48	5.42	
अनुरक्षण एवं सामग्री	130.04	109.36	68.06	77.32	
ईंधन	21.23	21.66	16.89	21.24	
अन्य व्यय एवं प्रावधान	41.81	35.73	21.91	17.37	
मूल्यह्रास	38.21	36.20	30.36	25.67	
योग	348.60	290.64	213.90	206.05	
असाधारण/पूर्वावधि समायोजन से पूर्व वर्ष के लिए लाभ	47.49	38.18	29.51	27.74	
पूर्वावधि/असाधारण समायोजन कर पूर्व लाभ	7.65	9.77	0.66	(9.13)	
कर के लिए प्रावधान	55.14	47.95	30.17	18.61	
कर के लिए प्रावधान अनुषंगी लाभ कर	9.40	5.50	3.00	0.40	
आस्थगित कर देयता	10.15	16.68	3.45	8.26	
कर के बाद शुद्ध लाभ	35.59	25.12	23.17	9.52	
लाभांश का भुगतान	-	11.38	11.38	9.10	
विशिष्ट अनुपात					
क) शुद्ध लाभ का अनुपात	$\frac{\text{कर पश्चात शुद्ध लाभ}}{\text{कुल राजस्व}}$	9.0%	7.6%	9.5%	4.1%
ख) निवेश से आय	$\frac{\text{कर पश्चात शुद्ध लाभ}}{\text{नियोजित पूँजी}}$	8.3%	6.8%	6.8%	2.9%
ग) शुद्ध मूल्य पर आय	$\frac{\text{कर पश्चात शुद्ध लाभ}}{\text{शुद्ध मूल्य}}$	10.1%	8.4%	8.0%	3.4%
घ) ऋण उगाही अवधि (माह में)	$\frac{\text{परिचालन देनदार}}{\text{औसत मासिक परिचालन राजस्व}}$	3.5	3.3	4.2	3.6
ङ) मालसूची खपत (माह में)	$\frac{\text{वर्ष एवं माल सूची}}{\text{औसत मासिक परिचालन राजस्व}}$	2.1	2.4	2.0	2.0
च) चालू अनुपात	चालू परिसम्पत्तियाँ : चालू देयताएं	0.9:1	0.8:1	0.8:1	0.9:1

लेखे





महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

1. अचल परिसम्पत्तियां/मूल्यह्रास

- क) मूल्यह्रास का प्रावधान अचल परिसम्पत्तियों को तुलन-पत्र में मूल्यह्रास के बिना वास्तविक लागत पर दर्शाया गया है।
- ख) हेलीकॉप्टर बेड़े का मीडलाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप प्रमाणिकता लागत सहित) की लागत/मेजर रिट्रोफिट को पूंजीकृत किया गया है।
- ग) मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी (संशोधन), अधिनियम, 1956 की अनुसूची-XIV के अंतर्गत विहित दरों पर सरल रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है। पुराने हेलीकॉप्टरों तथा विमान इंजनों को खरीदने के मामलों में मूल्यह्रास को एक दर से उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि शेष निश्चित अवधि में ऐसी आस्तियों की लागत को 95% बट्टे खाते में डाला जा सके। एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में, इनकी जीवन सीमा पर विचार करके, जो कि 7000 घंटे अथवा 15 वर्ष, जो भी पहले हो प्रत्येक वर्ष 466 घंटे की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 6.33% वार्षिक, न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराया जाता है। अतिरिक्त घंटों की उड़ान के लिए मूल्यह्रास को 466 घंटे से अधिक की गई वास्तविक उड़ान घंटे को प्रतिघंटा दर से गुणा करके, प्रत्येक हेलीकॉप्टर के लिए मूल लागत के 95% को 7000 घंटे से भाग करके गणना की जाती है।
- घ) एयरफ्रेम तथा एयरोइंजन उपस्कर-रोटेबल्स तथा हेलीकॉप्टर के मीड लाइफ अपग्रेडेशन कार्यक्रम (टाइप सर्टिफिकेशन लागत सहित)की लागत/मेजर रिट्रोफिट पर मूल्यह्रास की गणना सरल रेखा आधार पर इस तरह से की जाती है, जिससे कि प्रमुख परिसम्पत्ति (टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर्स) के शेष उपयोगी जीवन में उसकी 95% राशि को बट्टे खाते डाला जा सके, बशर्ते इसे स्क्वैट्ट दरों पर

न्यूनतम प्रभार से लगाया गया हो। एम आई 172 हेलीकॉप्टरों के संबंध में एअरफ्रेम तथा एयरो इंजन रोटेबल्स को बेड़े की वार्षिक औसतन अनुरक्षण उड़ान घन्टे तथा वित्त वर्ष के आरम्भ में न्यूनतम परिचालित हेलीकॉप्टरों के शेष उपयोगी जीवनावधि की उड़ान घन्टे के आधार पर मूल्यह्रास की गणना की गई है। इस उद्देश्यार्थ, हेलीकॉप्टरों के अंतिम बैच (डॉफिन एन हेलीकॉप्टर, जिनकी हेलीकॉप्टर बेड़े में महत्वपूर्ण संख्या है) अथवा हेलीकॉप्टर (अन्य हेलीकॉप्टरों के लिए) के शेष उपयोगी जीवन को माना जाएगा। वित्त वर्ष 2006-07 से तकनीकी प्राक्कलनों तथा कम्पनी की परिव्यय नीति के अनुसार हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 30 वर्ष अथवा 25000 घंटे, जो भी बाद में होगा (एम आई 172 हेलीकॉप्टर के सिवाय, जिनकी जीवन सीमा उपर्युक्त बताए गए अनुसार सीमित है) माना गया है। अब से पहले हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवन काल 20 वर्ष अथवा 16000 घन्टे, जो भी बाद में होगा माना जाता था। इन शीषो^१ के अधीन स्क्रैप की गई मदों को एफ आई एफ ओ आधार पर रीटेन ऑफ किया गया है। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर बेड़े के रोटेबल्स “इन्वेन्ट्री” के रूप में बने रहेंगे, क्योंकि इनका पूरा बही मूल्य प्रदान किया गया है।

- ङ) पट्टाधारी भूमि की लागत, पट्टे की अवधि के बीतने पर अमॉरटाइज की गई। इसी तरह संयुक्त विकास करार के अधीन ए.ए.आई. के साथ निर्माण किए गए आवासीय फ्लैटों को करार की शर्तों के अनुसार सम्पत्ति पर कब्जा लेने के अधिकार की अवधि में अमॉरटाइज किया गया है।
- च) अचल परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए विदेशी मुद्रा में देयताओं से संबंधित परिवर्तन अंतरों को परिसम्पत्ति की मूल लागत में समायोजित किया



गया है और परिवर्तन की तारीख तक संचयी मूल्यह्रास को पुनः संगठित किया गया है। इस नीति का अनुसरण 31.3.2007 तक किया गया।

- छ) सक्रिय उपयोग से हटाई गई और निपटान के लिए धारित सामग्री मूल्य की परिसम्पत्तियों को उनके निवल बही मूल्य और निवल वसूली योग्य मूल्य (जहां लागू हो) से कम पर दर्शाया गया है और लेखों में अलग से दिखाया गया है। ऐसी परिसम्पत्तियों (वित्त वर्ष 1995-96 से वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों तथा संबंधित मदों सहित) का मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया गया है।
- झ) हेलीकॉप्टरों/स्पेयर्स की वृद्धियों या विलोपों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना समानुपातिक आधार पर की जाती है जो अर्जन/ बिक्री के दिनांक से प्रभावी है। समस्त अन्य अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास समानुपातिक आधार पर लगाया जाता है। ऐसी अर्जित परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्रभावी तारीख, मद की खरीद के माह के आगामी माह के प्रथम दिन से मानी गई है। इसी प्रकार विलोपों के संबंध में परिसम्पत्ति के विलोप पूर्व माह के अंतिम दिन को समानुपातिक मूल्यह्रास के प्रावधान के लिए माना गया है। परिसम्पत्तियों के समापन या निपटान से हुए लाभों और हानियों के लाभ एवं हानि लेखों में क्रेडिट/प्रभारित किया गया है।
- ज) रु. 5000 या उससे कम यूनिट मूल्य की परिसम्पत्तियों को 100% रूप में खरीद के वर्ष में मूल्यह्रासित किया गया।

2. निवेश

निवेश को लागत में से प्राप्त अंतरिम भुगतान, यदि कोई है, घटाकर कहा गया है। तथापि उन निवेशों के संबंध में जिनका पुनर्भाजन मूल्य अर्जन लागत से भिन्न है, ऐसे मामलों में अर्जन लागत तथा निवेशों के पुनर्भाजन दिनांक तक ऑन टाइम आधार पर लेखांकित किया गया है। वर्ष की इस रकम को लाभ व हानि खाते में ब्याज आय के

रूप में समायोजित किया गया है और तदनुसार ऐसे निवेशों की लागत का समायोजन किया गया है।

3. विदेशी मुद्रा के लेन-देन

क) कम्पनी के प्रधान बैंकर द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुसार अचल परिसम्पत्ति, माल तथा सेवाओं को खरीदने से संबंधित विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है। उसी तरह कम्पनी द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शन को ट्रांजैक्शन की तिथि में प्रचलित दर के अनुसार लेखांकित किया गया है जिसे इस मामले में संबंधित माह की अंतिम तिथि माना गया है।

ख) वर्षान्त में वित्तीय परिसम्पत्तियों और देयताओं को वर्ष के अंत में लागू मुद्रा विनियम दर पर बदला जाता है जबकि गैर वित्तीय मदों पर इसे ऐतिहासिक दरों पर लिया जाता है।

ग) वित्तीय परिसम्पत्तियों अथवा देयताओं के पुनर्लेखन अथवा विदेशी मुद्रा लेन-देन के कारण होने वाले मुद्रा विनियम उतार-चढ़ाव के कारण हुई हानि अथवा लाभ को उस वर्ष के लाभ और हानि खाते में अन्तरित किया जाता है।

4. मालसूची

क) स्पेयर्स और खपत योग्य सामान इत्यादि सहित हेलीकॉप्टर की सूची को मूविंग वेटेड औसत विधि का प्रयोग करके लागत पर दर्शाया गया है। शॉप फ्लोर पर पड़े ऐसे स्पेयर्स एवं स्टॉक को वर्ष में अन्तिम इन्वेन्ट्री माना जाता है।

ख) खुले/परीक्षण औजारों का मूल्यांकन अप्रचलन आरक्षित वित्तीय बट्टों को घटाकर लागत पर किया जाता है। खुले औजारों/परीक्षण औजारों को खरीद के वर्ष सहित तीन वर्षों की अवधि में समान रूप से विलय किया जाता है। इन शीर्षों के अधीन स्क्रेप की गई मदों को एफ.आई.एफ.ओ. आधार पर बट्टे खाते डाला जाता है।



- ग) लैण्डेड यूनिट मूल्य रु. 1000 से कम स्टोर्स तथा स्पेयर्स तथा उपभोज्य, तेल, ग्रीज, स्नेहक आदि मदों को खरीद के वर्ष में खर्च किया गया था।
- घ) प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को कस्टम के पास पड़ी तथा अप्राप्त वस्तुओं की गणना मार्गस्थ माल के रूप में गई है। यद्यपि जिनकी मरम्मत के बाद वापस किया गया उनके ओवर-हॉल प्रभार की तत्समान रकम को अनुरक्षण के लिए प्रावधान में उसी वर्ष डेबिट किया जाता है।
- ङ) लेखों में अचल मदों के लिए मूविंग वेटेड औसत लागत के आधार पर स्टोर्स, स्पेयर्स तथा उपभोज्य के लिए प्रावधान बनाया गया है (रिपेयरेबल्स एवं रोटेबल्स, ग्राउंड सहायता एवं टैस्ट उपस्कारों, बीमाकृत स्पेयर्स तथा अनुरक्षण औजारों के अलावा) जिसे अंतिम कार्य संपादन/अंतिम सौदे की तिथि से लगातार तीन वर्षों तक वास्तविक उपयोग के लिए जारी नहीं किया गया है।
5. देयताएं
- क) तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान सभी ज्ञात देयताओं के लिए लेखे में प्रावधान किया गया है। अज्ञात देयताओं या उन देयताओं के लिए जिनकी राशि की गणना शुद्धता की तर्कसंगत मात्रा तक नहीं की जा सकती, प्रावधान नहीं किया गया है। माल की खरीद या मरम्मत/ओवरहॉल प्रभारों के लिए देयता का प्रावधान लेखों में विनिर्माता की सूचनाओं/इंजीनियरी अनुमानों के आधार पर मदों की प्राप्ति के प्रत्येक वर्ष में 31 मार्च को किया गया है।
- ख) सप्लायरों/बाहरी पार्टियों पर दावों की गणना उनकी स्वीकृति पर की जाती है। आपूर्तिकर्ताओं/बाहरी पार्टियों/ ग्राहकों के दावों को निपटान आधार पर लेखांकित किया जाता है।
- ग) उपचित व्ययों/ देयताओं के लिए यदि अलग-अलग लेन-देन रु. 5000 से कम है तो लेखों में कोई प्रावधान नहीं किया गया।
6. पूर्व प्रदत्त व्यय
- ग) रु. 5000 तक के पूर्व प्रदत्त व्ययों के मामले में एकाकी लेन-देनों को लेखांकित नहीं किया गया।
7. हेलीकॉप्टरों का अनुरक्षण व्यय
- क) वित्त वर्ष 2006-07 से प्रभावी रूप में हेलीकॉप्टरों के अनुरक्षण व्यय को किए खर्च आधार पर लेखांकित किया जाता है।
8. राजस्व मान्यता
- क) अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार हेलीकॉप्टर परिचालन से राजस्व को प्रोद्भूत आधार पर स्वीकार किया जाता है।
- ख) अभियांत्रिकी तथा अन्य सेवाओं से आय को तब स्वीकार किया जाता है जब संगत कार्य को पूरा कर लिया जाता है।
- ग) रद्दी परिसम्पत्ति/स्टोर्स की बिक्री से प्राप्त/राजस्व वास्तविक वसूली पर अभिज्ञान किया जाता है।
9. निवेशों से प्राप्त ब्याज/आय
- बैंकों/अन्य संस्थाओं आदि में किए गए जमा/निवेश पर उपचित ब्याज/आय को लागू ब्याज/ संसूचक आय दरों पर वित्त वर्ष के अंत तक आनुपतिक आधार पर लेखांकित किया गया है।
10. ईंधन
- विमानन टर्बाइन ईंधन पर हुए व्यय को क्रय वर्ष में लाभ एवं हानि लेखों में पूरी तरह प्रभारित किया गया है और वित्त वर्ष के अंत में हेलीकॉप्टरों में ईंधन के स्टॉक का, यदि कोई को, कोई संज्ञान नहीं किया जाता है।
11. बीमा/बीमा दावे
- क) कम्पनी ने तकनीकी कार्मिकों के लिए स्वयं बीमा की अलग योजनाओं का विकल्प लिया था। इसके संबंध में रु. 40 लाख का एक स्वयं बीमा रिजर्व रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत देय किसी मुआवजे को स्वयं बीमा रिजर्व से लाभ एवं हानि लेखों में तदनुसूची अंतरण करके वर्ष के व्यय में प्रभारित किया गया है।



- ख) हेलीकॉप्टरों तथा अन्य मालसूची से भिन्न मदों के बीमा दावों को नकद आधार पर लेखांकित किया गया है और किसी तीसरी पार्टी के देय दावे को छोड़कर उसे आय के रूप में माना गया है।
- ग) कुल हानि से भिन्न सभी हेलीकॉप्टर तथा माल सूची संबंधी दावों को बीमा कम्पनी द्वारा दावों को स्वीकृति वर्ष के उनके अनुमानित/अंतिम रूप से निर्धारित मूल्यों पर लेखांकित किया गया है। मरम्मत पर हुए वास्तविक व्यय को और वसूल किए गए कुल बीमा दावे को अनुरक्षण लागत के प्रावधान में समायोजित किया जाता है तथा परिसम्पत्तियों के उनके बही मूल्य पर आगे ले जाया जाता है।
- घ) हेलीकॉप्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने के वर्ष में अचल परिसम्पत्तियों से हेलीकॉप्टर का रिटेन डाउन मूल्य कम करके समायोजित किया जाता है तथा उसे 'बीमा दावा प्राप्य योग्य लेखा' में दर्शाया जाता है और 'परिसम्पत्ति के नाश पर लाभ/ हानि दावा' में समुचित समायोजन किया जाता है, जब दावाकृत मूल्य का बीमा कम्पनी द्वारा स्वीकार/निपटारा किया जाता है।
12. **ग्रेच्युटी**
- ग्रेच्युटी की गणना एकचूरियल मूल्यांकन आधार पर की जाती है और वर्ष में देय रकम को अलग मान्यता प्राप्त ग्रेच्युटी निधि में अंतरित किया जाता है।
13. **अमूर्त परिसम्पत्तियां**
- क) नए भर्ती किए गए पायलटों के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण व्यय, जो लेखांकन मानक-26 के अनुसार अमूर्त परिसम्पत्ति हेतु योग्य है, को ऐसे अमूर्त परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के रूप में अमरताईज किया गया है। अन्य प्रशिक्षण व्यय को जिस वर्ष में खर्च किया गया है उसी में, राजस्व लेखा में चार्ज ऑफ किया गया है।
- ख) रु. 5 लाख से अधिक लागत से खरीदे गए/आन्तरिक संसाधनों से विकसित सॉफ्टवेयरों को सफलतापूर्वक चालू करने की तिथि से सरल रेखा आधार पर 60 माह से अधिक अविध के लिए ऑमरटाइज किया गया, बशर्ते प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में इसकी समीक्षा की जाए। रु. 5 लाख तक की प्रत्येक सॉफ्टवेयर लागत को खरीद के वर्ष में राजस्व में प्रभारित किया गया है।
14. **अवकाश वेतन**
- अवकाश वेतन/असबाब भत्ता/उत्तर सेवा-निवृत्ति चिकित्सा लाभ तथा छुट्टी यात्रा रियायत लाभ को एकचूरियल मूल्यांकन आधार पर लगाया जाता है।
15. **पूर्वाविधि समायोजन**
- आय अथवा व्यय से संबंधित लेखे जो कि चालू अवधि में उद्भूत हुए हैं उन्हें पूर्व के वर्षों में यथोचित रूप से प्राक्कलित किया जा सकता था लेकिन त्रुटियों अथवा चूकों के कारण लेखांकित नहीं किया गया और उन्हें इस अवधि से पूर्व की मदों के रूप में दर्शाया गया है।
16. **फुटकर देनदार/ प्राप्य लेखे**
- क) बाहरी पार्टियों से वसूली योग्य ऋण जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया है, उसे संदिग्ध ज्ञात किया गया है और उसे दर्शाया गया है सिवाय जिसे विशेष रूप से इस अवधि से पूर्व संदिग्ध ज्ञात किया गया है।
- ख) बाहरी पार्टियों से संबंधित असमायोजित/दावा नहीं की गई जमा राशि जो 3 वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया है, उसे रिटेन बैक किया गया है तथा आय के रूप में माना गया है।
17. **उधार लागत**
- क) अर्जन, निर्माण या अर्हकारी परिसम्पत्ति के उत्पादन से संबंधित उधार लागत को अभिप्रेत उपयोग के लिए परिसम्पत्तियों के तैयार होने तक पूंजीकृत किया जाता है।



ख) उपर्युक्त बताए गए के अलावा अन्य उधार लागत को पीरियड लागत माना जाता है और लाभ और हानि खाते में परिवर्तित किया जाता है।

18. आय पर कर

वर्तमान कर, वर्ष की कर योग्य आय पर देय कर की रकम के रूप में अभिनिश्चित किया गया है। निर्धारण में मांगे गए अतिरिक्त आयकर को निर्धारण अंतिमता के वर्ष में उपलब्ध कराया गया है। तदनुसार, आयकर वापसी पर ब्याज निर्धारण अंतिमता के वर्ष में अथवा वास्तविक प्राप्त जो भी बाद में हुआ हो, माना गया है। बही लाभ और कर लाभों के बीच समयान्तर के कारण आस्थगित कर प्रभार या देय क्रेडिट की पहचान तत्समय लागू या तुलन-पत्र की तिथि पर लागू दरों एवं कानूनों के आधार पर की

जाती है। आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उसी सीमा तक माना जाता है जहां तक भविष्य में उनकी वसूली का तर्कसंगत निश्चय किया जा सके। अनामेलित मूल्यह्रास अथवा अग्रणीत हानियों के संबंध में आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को केवल तभी माना जाता है, जब कि ऐसी परिसम्पत्तियों की वसूली का निश्चय किसी वास्तविक साक्ष्य के आधार पर किया गया हो।

19. कैश फ्लो विवरण

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारीकृत 'कैश फ्लो विवरण पर लेखा मानक-3' के अधीन निर्धारित अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार कैश फ्लो विवरण तैयार किया गया है।



तुलन-पत्र
31 मार्च, 2010

अनुसूची		31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
I निधियों के स्रोत			
1. अंशधारकों की निधि			
पूंजी	1	1,13,76,60,000	1,13,76,60,000
इक्विटी शेयर, लंबित आबंटन के लिए अग्रिम	2	15,00,00,000	-
आरक्षितियां एवं अधिशेष	3	2,22,19,53,729	1,86,60,67,637
		3,50,96,13,729	3,00,37,27,637
2. आस्थगित कर देयता (शुद्ध)			
	4	77,21,01,593	67,05,68,030
योग (I)		<u>4,28,17,15,322</u>	<u>3,67,42,95,667</u>
II निधियों के उपयोग			
1. अचल आस्तियां			
क. क्रियाशील आस्तियां			
कुल ब्लॉक		7,11,87,76,690	6,69,77,24,868
घटाइए: मूल्यह्रास निधि		2,83,01,25,402	2,50,46,56,551
शुद्ध ब्लॉक		4,28,86,51,288	4,19,30,68,317
ख. सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा निवर्तनाधीन/अक्षम आस्तियां			
कुल ब्लॉक		62,51,07,349	62,51,07,349
घटाइए: मूल्यह्रास निधि		52,96,88,433	52,96,88,433
निवर्तन/असमर्थता पर हानि के लिए घटाया प्रावधान		9,54,18,916	9,54,18,916
शुद्ध ब्लॉक		-	-
ग. अक्रियाशील आस्तियाँ			
कुल ब्लॉक		2,75,93,114	38,24,63,052
घटाइए: मूल्यह्रास निधि		2,62,13,458	5,02,24,054
शुद्ध ब्लॉक		13,79,656	33,22,38,998
घ. पूंजीगत कार्य प्रगति पर			
		37,60,22,861	42,28,50,085
निवेश	6	2,89,33,530	4,94,81,57,400
2. चालू आस्तियाँ ऋण व अग्रिम			
इन्वेन्ट्रीज		68,69,02,563	63,03,76,490
फुटकर देनदार		1,13,03,42,642	86,09,32,321
नकद व बैंक शेष		1,25,84,19,443	1,50,92,41,266
ऋण व अग्रिम		2,04,52,05,501	1,34,94,86,762
		5,12,08,70,149	4,35,00,36,839
घटाइए:			
चालू देयताएँ व प्रावधान	8	5,13,38,69,402	5,23,47,89,044
देयताएँ		41,10,46,727	45,05,38,024
प्रावधान		5,54,49,16,129	5,68,53,27,068
शुद्ध चालू परिसम्पत्तियां		(42,40,45,980)	(1,33,52,90,229)
3. फुटकर व्यय			
(राइट ऑफ नहीं किए गए या असमायोजित)		1,07,73,967	6,14,28,496
योग (II)		<u>4,28,17,15,322</u>	<u>3,67,42,95,667</u>

आकस्मिक देयताएँ एवं लेखों पर टिप्पणियां 14
महत्वपूर्ण लेखनीतियों पर विवरण तथा उपर्युक्त अनुसूचियां लेखों के अभिन्न भाग हैं।
समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते वी.के.वर्मा एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार

आर.के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ई.के. भारतभूषण
निदेशक

वी. कुमार
पार्टनर
(एम.सं.-503826)

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबंधक (विधि)

संजीव बहल
महाप्रबंधक (वि.एवं लेखा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 सितम्बर, 2010



लाभ एवं हानि खाता 31 मार्च, 2010 तक

	अनुसूची	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
I आय			
हेलीकॉप्टर किराया प्रभार		3,72,97,18,406	3,07,16,08,587
घटा: हेलीकॉप्टरों के गैर प्रावधान के लिए कटौतियां (ए.ओ.जी.)		<u>4,45,30,930</u>	<u>6,08,16,059</u>
		3,68,51,87,476	3,01,07,92,528
ब्याज से आय	9	12,05,37,282	17,87,92,040
अन्य आय	10	15,52,03,847	9,85,68,078
योग		<u>3,96,09,28,605</u>	<u>3,28,81,52,646</u>
II व्यय			
हेलीकॉप्टर अनुरक्षण व्यय		1,15,84,72,772	88,52,62,879
हेलीकॉप्टर परिचालन व्यय	11	40,54,14,024	42,49,87,096
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ	12	1,09,64,44,624	81,13,12,033
बीमा		7,67,04,242	6,55,84,035
मूल्यह्रास	5	38,20,60,906	36,20,03,592
अन्य व्यय	13	36,68,53,338	35,72,30,550
योग		<u>3,48,59,49,906</u>	<u>2,90,63,80,185</u>
III असाधारण/पूर्वावधि मदों से पहले वर्ष के लिए लाभ		47,49,78,699	38,17,72,461
असाधारण मदें	14	7,04,59,064	9,80,37,555
पूर्वावधि समायोजन	15	59,80,992	(3,48,275)
वर्ष के लिए कर पूर्व लाभ		<u>55,14,19,655</u>	47,94,61,741
कर का प्रावधान (संपत्ति कर /एम ए टी सहित)		9,40,00,000	5,50,00,000
अनुषंगी लाभ कर		-	65,00,000
आस्थगित कर देयताएं		10,15,33,563	16,67,57,966
कर के पश्चात शुद्ध लाभ		<u>35,58,86,092</u>	25,12,03,775
गत वर्ष से अग्रणीत लाभ		1,65,70,67,637	1,53,89,64,394
समंजन के लिए उपलब्ध लाभ		<u>2,01,29,53,729</u>	<u>1,79,01,68,169</u>
समंजन			
प्रस्तावित लाभांश		-	11,37,66,000
लाभांश पर कॉरपोरेट कर		-	1,93,34,532
तुलन-पत्र में ले जाया गया लाभ		<u>2,01,29,53,729</u>	<u>1,65,70,67,637</u>
		<u>2,01,29,53,729</u>	<u>1,79,01,68,169</u>
प्रति शेयर आय (मूल एवं डायल्यूटेड)		3,128	2,208
(प्रति शेयर अंकित मूल्य रु. 10,000/-)			
आकस्मिक देयताएं एवं लेखों पर टिप्पणियां	14		

महत्वपूर्ण लेखनीतियों पर विवरण तथा उपर्युक्त अनुसूचियां लेखों के अभिन्न भाग हैं।
समसंख्यक दिनांक की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

कृते वी. के. वर्मा एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार

आर.के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

ई.के. भारतभूषण
निदेशक

वी. कुमार
पार्टनर
(एम.सं.-503826)

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबंधक (विधि)

संजीव बहल
महाप्रबंधक (वि.एवं लेखा)

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 20 सितम्बर, 2010



अनुसूची 1 पूँजी


	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
प्राधिकृत पूँजी		
1,20,000 इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10,000/-	1,20,00,00,000	1,20,00,00,000
निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी		
1,13,766 के पूर्ण पदत्त इक्विटी शेयर प्रत्येक रु. 10,000/-	1,13,76,60,000	1,13,76,60,000
योग	1,13,76,60,000	1,13,76,60,000

अनुसूची 2 इक्विटी शेयर, लंबित आबंटन के लिए अग्रिम

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
भारत के राष्ट्रपति	15,00,00,000	-
	15,00,00,000	-

अनुसूची 3 आरक्षितियां एवं अधिशेष

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
1. स्वयं बीमा रिजर्व		
अथ शेष	40,00,000	40,00,000
जोड़िए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
	40,00,000	4,00,000
घटाइये : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	40,00,000	40,00,000
2. सामान्य आरक्षिति		
अथ शेष	20,50,00,000	20,50,00,000
जोड़िए : वर्ष के दौरान अतिरिक्त	-	-
	20,50,00,000	20,50,00,000
घटाइये : वर्ष के दौरान उपयोग	-	-
	20,50,00,000	20,50,00,000
3. लाभ एवं हानि खाता	2,01,29,53,729	1,65,70,67,637
योग	2,22,19,53,729	1,86,60,67,637



अनुसूची 4 आस्थगित कर देयता


	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009 (रुपयों में)
1. आस्थगित कर देयता		
समयान्तर के कारण उद्भूत कर		
- संचित मूल्यह्रास	94,38,48,190	82,07,88,583
कुल आस्थगित कर देयता	94,38,48,190	82,07,88,583
2. आस्थगित कर आस्तियां		
समयान्तर के कारण उद्भूत कर		
- कर्मचारी लाभ का प्रावधान	12,99,02,553	10,78,97,004
- खपत न होने वाली इन्वेन्ट्री के प्रावधान	3,21,93,518	3,04,63,548
- उपचित ब्याज सहित संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	96,50,526	1,18,60,001
कुल आस्थगित कर आस्तियां	17,17,46,597	15,02,20,553
शुद्ध आस्थगित कर देयता	77,21,01,593	67,05,68,030



अनुसूची 5 अचल आस्तियां

कुल ब्लॉक

क्र. सं.	विवरण	1 अप्रैल 2009 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान विलोप/समायोजन	31 मार्च, 2010 को
क. क्रियाशील आस्तियां					
1.	भूमि-पट्टे पर	58,90,935	-	-	58,90,935
2.	भवन	32,70,51,628	29,73,108	-	33,00,24,736
3.	हेलीकॉप्टर और एयरो इंजिन	4,29,39,60,834	10,74,62,289	-	4,40,14,23,123
4.	एयर फ्रेम एवं इंजिन उपस्कर रोटबल्स	1,74,94,42,154	30,25,77,250	5,26,31,082	1,99,93,88,322
5.	कार्यशालाएं व ग्राउंड सहायता उपस्कर	21,27,35,026	44,20,22,172	5,13,935	25,64,23,263
6.	प्रशिक्षण सहायता उपस्कर	22,69,885	-	-	22,69,885
7.	वातानुकूलन	79,30,989	8,72,690	-	88,03,679
8.	विद्युत संस्थापनाएं	85,32,543	22,04,326	-	1,07,36,869
9.	फर्निचर व जुड़नार	1,93,20,714	43,18,461	-	2,36,39,175
10.	कार्यालय उपस्कर	1,18,52,782	41,88,716	-	1,60,41,498
11.	वाहन	1,39,49,872	5,61,090	47,780	1,44,63,182
12.	कम्प्यूटर	2,44,11,969	48,84,517	-	2,92,96,486
13.	पूँजीगत सॉफ्टवेयर	1,82,77,378	-	-	1,82,77,378
14.	संचार उपकरण	20,98,159	-	-	20,98,159
सर्व योग		6,69,77,24,868	47,42,44,619	5,31,92,797	7,11,87,76,690
गत वर्ष		6,06,19,68,492	65,10,10,631	1,52,54,255	6,69,77,24,868
ख. सक्रिय उपयोग से निवर्तमान तथा निवर्तनाधीन/अक्षम आस्तियाँ					
1.	हेलीकॉप्टर्स एवं एयरो इंजिन	57,78,07,818	-	-	57,78,07,818
2.	एयर फ्रेम एवं इंजिन उपस्कर रोटबल्स	48,54,343	-	-	48,54,343
3.	वर्कशॉप एवं ग्राउंड सहायता उपस्कर	3,12,53,717	-	-	3,12,53,717
4.	प्रशिक्षण सहायता उपस्कर	41,25,207	-	-	41,25,207
5.	विद्युत संस्थापनाएं	6,67,996	-	-	6,67,996
6.	फर्निचर व जुड़नार	34,06,217	-	-	34,06,217
7.	कार्यालय उपस्कर	29,92,051	-	-	29,92,051
सर्व योग		62,51,07,349	-	-	62,51,07,349
गत वर्ष		67,29,35,527	-	4,78,28,178	62,51,07,349
ग. अक्रियाशील आस्तियाँ					
हेलीकॉप्टर्स एवं एयरो इंजिन		38,24,63,052	-	35,48,69,938	2,75,93,114
गत वर्ष		38,24,63,052	-	-	38,24,63,052



मूल्यहास				शुद्ध ब्लॉक	
31.मार्च, 2009	वर्ष के दौरान	विलोप/ समायोजन	31 मार्च, 2010 को	डब्ल्यू डी.बी 31 मार्च, 2010 को	(रुपयों में) डब्ल्यू डी.बी 31 मार्च, 2009 को
12,40,955	65,455	-	13,06,410	45,84,525	46,49,980
9,56,42,585	1,38,06,627	-	109449212	220575524	23,14,09,043
1,61,29,67,941	22,54,52,971	75,88,542	1,83,08,32,370	2,57,05,90,753	2,68,09,92,893
67,22,19,076	12,10,34,115	4,84,94,419	74,47,58,772	1,25,46,29,550	1,07,72,23,078
6,68,22,562	1,04,83,621	4,63,705	7,68,42,478	17,95,80,785	14,59,12,464
15,23,194	99,202	-	16,22,396	6,47,489	7,46,691
34,90,928	3,94,109	-	38,85,037	49,18,642	44,40,061
63,63,340	2,28,986	-	6592326	41,44,543	21,69,203
1,12,09,520	15,19,032	-	1,27,28,552	1,09,10,623	81,11,194
54,07,638	8,31,260	-	62,38,898	98,02,600	64,45,144
46,60,130	11,77,643	45,389	57,92,384	86,70,798	92,89,742
1,51,35,840	33,32,823	-	1,84,68,663	1,08,27,823	92,76,129
72,53,735	35,35,400	-	1,07,89,135	74,88,243	1,10,23,643
7,19,107	99,662	-	8,18,769	12,79,390	13,79,052
2,50,46,56,551	38,20,60,906	5,65,92,055	2,83,01,25,402	4,28,86,51,288	4,19,30,68,317
2,15,36,62,489	36,20,03,592	1,10,09,530	2,50,46,56,551	4,19,30,68,317	-
50,50,45,725	-	-	50,50,45,725	7,27,62,093	7,27,62,093
40,72,124	-	-	40,72,124	7,82,219	7,82,219
1,31,94,495	-	-	1,31,94,495	1,80,59,222	1,80,59,222
18,90,720	-	-	18,90,720	22,34,487	22,34,487
5,72,702	-	-	5,72,702	95,294	95,294
31,44,451	-	-	31,44,451	2,61,766	2,61,766
17,68,216	-	-	17,68,216	12,23,835	12,23,835
52,96,88,433	-	-	52,96,88,433	9,54,18,916	9,54,18,916
55,27,57,588	-	2,30,69,155	52,96,88,433	9,54,18,916	-
5,02,24,054	-	2,40,10,596	2,62,13,458	13,79,658	33,22,38,998
5,02,24,054	-	-	5,02,24,054	33,22,38,998	-



अनुसूची 6 निवेश

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट, गोंडिया, महाराष्ट्र के इक्विटी पूंजी में निवेश	2,89,33,530	-
	<u>2,89,33,530</u>	<u>-</u>

अनुसूची 7 चालू आस्तियां, ऋण व अग्रिम

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
चालू आस्तियां ऋण व अग्रिम		
क. चालू आस्तियां		
I) माल सूची (प्रबंध तंत्र द्वारा प्रमाणित तथा मूल्यांकित)		
क) लागत पर		
भंडार एवं पूंजी	80,05,88,732	73,47,38,424
घटा: (i) स्थिर भंडार व पूंजी का प्रावधान	(9,47,14,676)	(8,96,25,032)
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(4,53,13,528)	(4,53,13,528)
	<u>66,05,60,528</u>	<u>59,97,99,864</u>
-मार्गस्थ माल	2,15,59,745	2,56,26,044
ख) लागत पर रिटैन ऑफ घटाकर		
रिपेयरेबल्स तथा रोटेबल्स	15,75,56,671	15,75,56,671
घटा: (i) अप्रचलन आरक्षिति	(14,36,26,262)	(14,36,26,262)
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(1,39,30,409)	(1,39,30,409)
	<u>-</u>	<u>-</u>
जेम मोड्यूल	5,01,37,213	5,01,37,213
घटा: (i) अप्रचलन आरक्षिति	(4,47,21,331)	(4,47,21,331)
(ii) मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	(54,15,882)	(54,15,882)
	<u>-</u>	<u>-</u>
परीक्षण औजार उपस्कर	3,75,04,578	3,35,27,161
घटा: रिटैन ऑफ	(3,27,22,288)	(2,85,76,579)
	<u>47,82,290</u>	<u>49,50,582</u>
प्रशिक्षण सामग्री	27,17,193	27,17,193
घटा: रिटैन ऑफ	(27,17,193)	(27,17,193)
	<u>-</u>	<u>-</u>
उप-योग (I)	<u>68,69,02,563</u>	<u>63,03,76,490</u>

इन्वेन्ट्रियों में लागत पर वेस्टलैण्ड मदें जो क्रियाशील नहीं हैं का कुल रुपये 27.32 करोड़ (गत वर्ष रु. 27.32 करोड़) तथा बही मूल्य रु. 6.47 करोड़ (गत वर्ष रु. 6.47 करोड़) भी शामिल हैं तथा निवर्तन के लिए रखा है और जिसके लिए कम्पनी तदनु रूप ऊपर बताए गए अनुसार मूल्य में कमी संबंधी प्रावधान बना रही है जिससे इन्वेन्ट्रियों का कम लागत पर अथवा शुद्ध वसूली मूल्य प्रतिबिंबित हुआ है। (लेखों पर टिप्पणियों के नोट सं. 4 का संदर्भ लें)

जारी.....



	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
II) विविध देनदार (अप्रत्याभूत)		
छ: माह से अधिक का बकाया ऋण		
क) अच्छे समझे गए	30,71,29,229	51,05,63,532
ख) संदेहास्पद समझे गए	2,00,92,770	1,91,11,673
अन्य ऋण, अच्छे समझे गए	82,32,13,413	35,03,68,789
	<u>1,15,04,35,412</u>	<u>88,00,43,994</u>
घटा: संदेहास्पद ऋणों के	(2,00,92,770)	(1,91,11,673)
उप-योग (II)	<u>1,13,03,42,642</u>	<u>86,09,32,321</u>
III) नकद व बैंक शेष		
हाथ नकदी	21,42,418	19,47,763
अनुसूचित बैंकों में शेष		
(i) चालू खाते	28,13,00,188	20,01,00,354
(ii) जमा खाते	93,28,10,573	1,26,38,47,582
* (रु. 27.41 करोड़ लियनाथीन सहित, गत वर्ष रु. 33.02 करोड़)		
जमा राशि पर उपचित ब्याज	4,21,66,264	4,33,45,567
उप-योग (III)	<u>1,25,84,19,443</u>	<u>1,50,92,41,266</u>
योग (क)	<u>3,07,56,64,648</u>	<u>3,00,05,50,077</u>
ख. ऋण व अग्रिम		
(अप्रत्याभूत सिवाय इसके कि बताया गया हो)		
प्राप्त होने वाले नगद/ काइंड में अथवा मूल्य के रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
क) अच्छे समझे गए*		
i) पूंजी आपूर्तिकताओं को अग्रिम	57,89,69,440	5,24,847
ii) अन्य अग्रिम	1,40,20,78,119	1,28,97,16,003
ख) संदेहास्पद समझे गए	82,99,484	1,57,80,944
	<u>1,98,93,47,043</u>	<u>1,30,60,23,794</u>
घटा: संदेहास्पद अग्रिमों के लिए प्रावधान	82,99,484	1,57,80,944
	<u>1,98,10,47,559</u>	<u>1,29,02,42,850</u>
* (स्टाफ को दिए ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रतिभूत आस्तियां रु. 7.76 करोड़ सहित, (गत वर्ष रु. 7.55 करोड़) तथा विरोध के अंतर्गत आयकर विभाग में जमा की गई राशि रु.70.16 करोड़ (गत वर्ष रु. 90.15 करोड़) लेखों पर टिप्पणियों के नोट सं 2 (ग) का संदर्भ लें)		
सार्वजनिक उपक्रमों को ऋण		
i) अच्छे समझे गए	-	-
ii) संदेहास्पद समझे गए	7,25,00,000	7,25,00,000
	<u>7,25,00,000</u>	<u>7,25,00,000</u>
घटा: संदेहास्पद समझे गए ऋण का प्रावधान	7,25,00,000	7,25,00,000
	<u>7,25,00,000</u>	<u>7,25,00,000</u>
पूर्वदेय व्यय	3,75,71,853	3,33,97,270
प्रतिभूति जमा	2,65,86,089	2,58,46,642
उप-योग (ख)	<u>2,04,52,05,501</u>	<u>1,34,94,86,762</u>
योग (क+ख)	<u>5,12,08,70,149</u>	<u>4,35,00,36,839</u>



अनुसूची 8 चालू आस्तियां, ऋण व अग्रिम

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
चालू देयताएं एवं प्रावधान		
क) चालू देयताएं		
केन्द्र सरकार द्वारा दावाकृत राशि		
- मूल राशि	1,30,91,03,140	1,30,91,03,140
- ब्याज/अन्य प्रभार	3,39,31,18,827	3,39,31,18,827
	4,70,22,21,967	4,70,22,21,967
विविध लेनदार	18,80,41,186 *	32,17,51,323 *
ग्राहकों से अग्रिम	2,50,61,647	5,66,41,408
अन्य देयताएं	21,85,44,602	15,41,74,346
	43,16,47,435	53,25,67,077
उप-योग (क)	5,13,38,69,402	5,23,47,89,044
* माइक्रो एवं लघु उद्योग को देय राशि: शून्य		
ख) प्रावधान		
प्रस्तावित लाभांश	-	11,37,66,000
लाभांश पर कारपोरेट कर	-	1,93,34,532
कर्मचारी लाभ	41,10,46,727	31,74,37,492
उप-योग (ख)	41,10,46,727	45,05,38,024
योग (क+ख)	5,54,49,16,129	5,68,53,27,068

अनुसूची 9 ब्याज आय

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
बैंकों में/जमा से ब्याज आय (टी.डी.एस.चालू वर्ष रु. 1.63 करोड़; गत वर्ष रु. 3.17 करोड़)	10,47,09,105	14,84,30,193
कर्मचारियों को दिए गए ऋण पर ब्याज	33,30,941	35,47,003
अन्य ब्याज आय	1,24,97,236	2,68,14,844
योग	12,05,37,282	17,87,92,040



अनुसूची 10 अन्य आय

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
प्रचालन तथा अनुरक्षण ठेके	12,00,08,714	4,85,37,273
अनापेक्षित प्रावधान	1,49,02,893	3,00,98,500
आस्तियों के विक्रय पर लाभ	16,77,793	74,86,170
प्रकीर्ण आय	1,86,14,447	1,24,46,135
योग	15,52,03,847	9,85,68,078

अनुसूची 11 हेलीकॉप्टर परिचालन व्यय

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
ईंधन व्यय	19,12,55,024	20,47,47,254
लैंडिंग पार्किंग व्यय व अन्य	2,10,24,106	1,18,90,333
परिनिर्धारित नुकसानी	8,19,40,571	10,71,99,902
उपस्कर/विशेषज्ञ हायर प्रभार	1,93,04,210	3,71,65,354
वाणिज्यिक व्यय	3,19,07,860	2,22,56,564
अन्य परिचालन व्यय	20,30,033	12,15,126
भाड़ा, परिवहन तथा दुलाई	63,75,447	43,97,697
भंडारण, संभलाई प्रभार तथा विलम्ब शुल्क	1,07,17,813	76,51,942
बट्टे खाते डाले गए रोटेबल्स, स्टोर एवं स्पैयर्स	2,09,89,514	71,43,207
नॉन-मूविंग इन्वेन्ट्री/जीवनावधि समाप्त मदों के लिए प्रावधान	49,94,627	9,77,007
मुद्रा विनिमय दरों में घट-बढ़ (शुद्ध)	1,48,74,819	2,03,42,710
योग	40,54,14,024	42,49,87,096



अनुसूची 12 कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं अन्य लाभ

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
वेतन, मजदूरी तथा अन्य लाभ	89,84,56,894	70,89,58,406
कर्मचारी कल्याण	1,31,42,436	1,03,11,231
भविष्य निधि एवं उपदान निधि	12,21,27,485	2,52,04,963
अन्य कर्मचारी व्यय	6,27,17,809	6,68,37,433
योग	1,09,64,44,624	81,13,12,033

अनुसूची 13 अन्य व्यय

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
मरम्मत तथा अनुरक्षण		
भवन	1,41,09,099	1,70,40,386
उपस्कर	42,72,295	14,64,587
अन्य	1,27,51,910	65,60,326
	<u>3,11,33,304</u>	<u>2,50,65,299</u>
किराया	4,06,11,248	3,54,70,706
यात्रा तथा वहन	15,23,19,325	13,43,77,192
कर्मचारी प्रशिक्षण	3,92,10,846	5,41,63,161
बैंक प्रभार	61,60,426	89,47,121
विद्युत तथा जल	1,31,12,118	1,27,25,200
टेलिफोन तथा डाक व्यय	90,36,083	98,41,947
विज्ञापन व प्रचार	2,32,94,009	2,14,56,201
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	66,75,270	60,79,974
वाहन चालन तथा अनुरक्षण	23,57,362	20,27,230
लेखापरीक्षकों का शुल्क		
- लेखापरीक्षा शुल्क	5,36,709	4,67,187
- अन्य व्यय	55,000	50,000
	<u>5,91,709</u>	<u>5,17,187</u>
दरें व कर	1,20,62,853	84,83,408
आस्तियों की बिक्री से हानि	-	2,58,164
बट्टे डाली गई राशि	-	14,53,894
घटा : संदेहास्पद ऋणों के लिए प्रावधान	-	14,04,228
	<u>-</u>	<u>49,666</u>
बट्टे डाली गई शुद्ध राशि	-	49,666
संदेहास्पद ऋणों/अग्रिमों के लिए प्रावधान	25,21,773	93,67,421
विविध व्यय	2,77,67,012	2,84,00,673
योग	36,68,53,338	35,72,30,550



अनुसूची 14 असाधारण मर्दे

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
क. जमा		
बीमा दावा	7,04,59,964	9,80,37,555
योग	<u>7,04,59,964</u>	<u>9,80,37,555</u>
ख. नामे		
	-	-
योग (ख)	<u>-</u>	<u>-</u>
ग. शुद्ध जमा/ (नामे) (क-ख)	<u>7,04,59,964</u>	<u>9,80,37,555</u>

अनुसूची 15 पूर्वावधि समायोजन

	31 मार्च, 2010	(रुपयों में) 31 मार्च, 2009
क. जमा		
मूल्य ह्रास	1,13,06,826	-
पूँजीगत व्यय	-	28,94,091
अन्य मर्दे	27,55,012	9,09,418
योग (क)	<u>1,40,61,838</u>	<u>38,03,509</u>
ख. नामे (निवल)		
मरम्मत एवं अनुरक्षण व्यय	12,06,858	-
पूर्व वर्षों के ग्राहक पर बिल/दावा	10,70,099	40,52,461
अन्य मर्दे	58,03,889	99,323
योग (ख)	<u>80,80,846</u>	<u>41,51,784</u>
ग. शुद्ध जमा/(नामे) (क-ख)	<u>59,80,992</u>	<u>(3,48,275)</u>



अनुसूची 14

आकस्मिक देयताएं और लेखों के सम्बन्ध में टिप्पणी

(31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लेखों के साथ संलग्न और उनका एक अंग)

1. पूंजीगत लेखों में निष्पादन के लिए शेष तथा अप्रावधानित संविदाओं की अनुमानित राशि (शुद्ध अग्रिम) रु. 323.73 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 3.16 करोड़)

2. आकस्मिक देयताएँ

क) बैंक को दी गई प्रति गारंटी रु. 20.23 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 15.92 करोड़)

ख) बकाया साख-पात्र रु. 30.09 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 21.44 करोड़)

ग) ऋण के रूप में न स्वीकारे गए कम्पनी के खिलाफ दावे निम्नवत हैं:

1) कम्पनी द्वारा संघर्ष किए जा रहे पूर्व वर्षों की आयकर की मांग एवं अपील के अधीन रु. 55.47 करोड़ है (पूर्व वर्ष में रु. 54.88 करोड़) जिसके लिए कम्पनी उस अवधि तक कर विभाग में वापसी हेतु प्रतिवाद सहित/समायोजन के अधीन 31.03.2010 तक कुल रु.70.16 करोड़ (पूर्व वर्ष में रु. 90.15 करोड़) कर जमा कर चुकी है। कर विभाग को जमा करायी गयी राशि को (शुद्ध कर के लिए प्रावधान) वसूली योग्य अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

2) न्यायालय मुकदमे/माध्यस्थ अधीन मुकदमे रु. 9.59 करोड़ (गत वर्ष रु. 10.50 करोड़)

3) अन्य रु. 5.09 करोड़ (गत वर्ष रु. 4.70 करोड़)

3. भारत सरकार की देयताएँ

3.1 सरकार ने जून 1986 में 42 वेस्टलैण्ड तथा डॉफिन हेलीकॉप्टर को खरीदने की संपूर्ण परियोजना लागत की राशि को इक्विटी पूंजी के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था। चूंकि कम्पनी को

प्राप्त बजट सहायता परियोजना लागत से कम थी, इसलिए यह भारत सरकार की देयताओं का निपटान करने में असमर्थ थी। वित्त मंत्रालय ने वर्तमान बकाया राशि रु. 130.91 करोड़ पर (मूल राशि) 18% वार्षिक दर से ब्याज का दावा किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से ऐसे ब्याज तथा अन्य प्रभारों का अधित्याग करने के लिए अनुरोध किया है।

3.2 समीक्षाधीन वित्त वर्ष 2003-04 के दौरान नागर विमानन मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय को भेजे परिशोधित प्रस्ताव के आधार पर जिसमें डॉफिन तथा वेस्टलैण्ड पर कम्पनी द्वारा 31.03.2001 तक देय ब्याज की कुल राशि रु. 339.31 करोड़ (1.4.2001 से राइट ऑफ तिथि तक देयों पर ब्याज बताया गया है) तथा मूलधन राशि रु. 130.91 करोड़ को कम्पनी में सरकारी इक्विटी में परिवर्तित किया जाए। प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय की सहमति है। तदनुसार, कम्पनी ने वित्त मंत्रालय द्वारा दावाकृत ब्याज और अन्य प्रभारों के लिए वित्त वर्ष 1999-2000, 2000-01 और 2002-03 के दौरान 31.3.2001 तक के लिए रु. 339.31 करोड़ का प्रावधान बनाया है तथा उसे अग्रणीत किया गया है।

3.3 नागर विमानन मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 2007 में वित्त मंत्रालय को एक परिशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें वित्त मंत्रालय से सरकार द्वारा कम्पनी से दावाकृत कुल राशि रु. 470.22 करोड़ (मूल राशि रु. 130.91 करोड़ तथा 31.03.2001 तक का ब्याज रु. 339.31 करोड़) का अधित्याग करने हेतु पुनर्विचार करने हेतु कहा गया है ताकि मौजूद निधि को बेड़े के वर्धन तथा अन्य पूंजीगत आउटले प्रोग्राम हेतु उपयोग किया जा सके जो कम्पनी का अस्तित्व बनाए रखने हेतु नागर विमानन क्षेत्र में भारत में विद्यमान प्रतिस्पर्धात्मक



परिदृश्य में अपरिहार्य है। वित्त मंत्रालय इस प्रस्ताव से सहमत नहीं है तथा कम्पनी का दावाकृत राशि सरकारी कोष में जमा करने हेतु उपदेश दिया है। कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 21.8.2008 को आयोजित 115वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि वित्त मंत्रालय के दावे का पूर्ण अधित्याग करने हेतु नागर विमानन मंत्रालय की पैरवी करे और एक वित्त सलाहकार नियुक्त किया है, जो अन्य मुद्दों सहित इसकी जांच करे। वित्त सलाहकार ने कम्पनी के मूल्यांकन में भारत सरकार के दावे का प्रभाव पर उनकी रिपोर्ट प्रस्तुत किया है तथा कुछ विकल्पों की संस्तुति की है। रिपोर्ट की अनुसार कम्पनी के लिए भारत सरकार के दावे का भुगतान करना व्यवहार्य नहीं है।

निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार कम्पनी ने जनवरी, 2009 में नागर विमानन मंत्रालय के सचिवों की समिति को भारत सरकार द्वारा दावाकृत रु. 470.22 करोड़ का अधित्याग करने हेतु ड्रॉफ्ट नोट प्रस्तुत किया है। मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

4. वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री

4.1 18 जनवरी, 1993 को सरकार ने निर्णय लिया कि वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर बेड़े को इसकी इन्वेन्ट्री के साथ एक ग्लोबल टेंडर द्वारा बेच दिया जाए। इससे होने वाली आय को भारत सरकार तथा यू.के. की परस्पर सहमति से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम में लगाया जाए। तथापि इस ग्लोबल टेंडर पर प्रतिकूल अनुक्रिया के कारण सरकार ने 12 मई, 1994 को इन्हें इच्छुक पार्टियों को ही परस्पर मोलभाव करके बेच देने हेतु कम्पनी को अनुमति दी। सरकार ने वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का निरीक्षण करने के लिए एक स्टियरिंग समिति का भी गठन किया था।

4.2 वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टरों (एक क्षतिग्रस्त हेलीकॉप्टर सहित) तथा संबंधित इन्वेन्ट्री की बिक्री न होने

तक, इन आस्तियों को उनके बही मूल्य पर लिखा गया है, जो कुल रु. 22.39 करोड़ है। कम्पनी ने बतौर सावधानी बही मूल्य समान रु. 22.39 करोड़ हानि का प्रावधान किया था। वर्ष 1999-2000 में ऐसी परिसम्पत्तियों के संबंध में बही मूल्य रु. 7.23 करोड़ का समायोजन करने के बाद, शेष प्रावधान रु. 15.16 करोड़ को अग्रेनीत किया गया है।

4.3 वर्ष 1999-2000 के दौरान कम्पनी ने सरकार के अनुमोदन से वेस्टलैण्ड आस्तियों को पाउंड स्टर्लिंग 9,00,000 में बेचने हेतु यू.के. की एक फर्म के साथ अनुबंध किया था। इन आस्तियों को अधिक से अधिक दो शिपमेंट में भेजे जाने वाले पारेषण के अनुमानित मूल्य के बराबर भुगतान पर भेजे जाने की सहमति हुई थी। पहला शिपमेंट दिसम्बर, 1999 में भेजा गया तथा कम्पनी को जनवरी, 2000 में पाउंड 4,50,000 (रु. 3.22 करोड़) की वसूली हुई, जिसे कम्पनी ने तत्काल प्रशासन मंत्रालय के निदेशानुसार भारत सरकार के पास जमा कर दिया था। शिपमेंट में वेस्टलैण्ड हेलीकॉप्टर के कुछ आवश्यक पूर्जे कम्पनी की अभिरक्षा में है। द्वितीय शिपमेंट खरीददार द्वारा उठाए गए विवाद के कारण नहीं भेजा जा सका है। कम्पनी द्वारा खरीददार के खिलाफ करार की शर्तों के अनुसार विशिष्ट कार्यों तथा ठेके संबंधी विभिन्न निबन्धनों के उल्लंघनों से हुई हानि की वसूली के लिए माध्यस्थ कार्यवाही प्रारंभ की गई है।

अब यह पता लगा है कि खरीददार (मेसर्स ए ई एस एरोस्पैस लि. यू के) को यू के के न्यायालय ने वर्ष 2002 में कारोबार बन्द करने का आदेश दिया है तथा एक कार्यालयीन प्राप्तिकर्ता नियुक्त किया है। बन्द किए जाने की आदेश के बावजूद कम्पनी को माध्यस्थ निर्णय की कार्यवाही जारी रखने हेतु कानूनी सलाह दी गई है। निपटान अनिर्णीत होने के कारण कम्पनी ने ऐसे देयों का



लेखांकन नहीं किया है और वसूली/निपटान के पश्चात इसका लेखांकन किया जाएगा।


4.4 प्रथम शिपमेंट के अधीन किए गए लेन-देन को संपूर्ण बिक्री मानते हुए वर्ष के दौरान वेस्टलैण्ड आस्तियों की (लागत रु. 51.46 करोड़, डब्ल्यू. डी.वी.रु. 7.23 करोड़) बिक्री के संबंध में आवश्यक लेखांकन समायोजन वर्ष 1999-2000 की लेखा बहियों में किया गया है। बेची गई इन्वेन्ट्री मदों के परिमाणों का तथा मुंबई के माल गोदाम में रखी हुए इन्वेन्ट्री मदों के परिमाणों का ब्यौरा अनुपलब्ध होने के कारण आकड़ों को अंतिम आधार पर लिया गया है (4.5 का संदर्भ लें) बशर्ते आगे समाधान किया जाए। बिक्रीकृत इन्वेन्ट्री मदों को एफ.आई.एफ.ओ. आधार पर अभिकलित किया गया है। चूंकि वेस्टलैण्ड आस्तियों की बिक्री का ठेका इकमुश्त आधार पर किया गया है, मदवार बिक्री दाम की अनुपलब्धता में, प्रतिफल पाउंड स्टर्लिंग 4,50,000 (रु. 3.22 करोड़) से 9 हेलीकॉप्टर, टेस्ट बेड तथा इन्वेन्ट्री मदों के कुल रिटर्न डाउन मूल्य को घटाकर निर्धारण किया गया है तथा इसे वित्त वर्ष 1999-2000 में लेखांकित किया गया है।

4.5 वित्त वर्ष 1999-2000 के दौरान वेस्टलैण्ड इन्वेन्ट्री का एक भाग कम्पनी के दिल्ली स्थित कार्यालय से मुंबई कार्यालय तक स्थानान्तरण करते समय खरीददार के अनुदेशों से पथांतर किया था तथा उसे वर्तमान मुंबई के वेयर हाउस की अभिरक्षा में रखा हुआ है। वेस्टलैण्ड इन्वेन्ट्री के प्रारंभिक अर्जन लागत तथा मालगोदाम में रखे हुए पूंजीगत मदों का मूल्य रु. 32.50 करोड़ (ह्रासित मूल्य रु. 4.50 करोड़) है। कम्पनी ने ऐसे पथांतर के लिए खरीददार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है। (पैरा 4.3 का संदर्भ लें) वेयर हाउस की दावाकृत राशि रु. 3.97 करोड़ है, (गत वर्ष रु. 3.63 करोड़) जिसे ठेके के अनुसार खरीददार द्वारा सीधे निपटान करना अपेक्षित है। कम्पनी ने

दिसम्बर, 2002 में दिल्ली उच्च न्यायालय से एक अंतरिम निषेधाज्ञा प्राप्त कर ली है, जिससे कि वेयर हाउसिंग कम्पनी अपने दावे का निपटान हेतु माल को न बेच सके। 22/4/2008 के दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल माननीय न्यायाधीश द्वारा कम्पनी के पक्ष में वेयर हाउस कम्पनी को बिना किसी दावे का भुगतान के इन्वेन्ट्री मदों को वेयर हाउस से अपने कब्जे में लेने का निर्णय दिया है। निर्णय के खिलाफ वेयर हाउस कम्पनी द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के खंड पीठ के समक्ष अपील किया गया था, जिसके द्वारा दिनांक 11/8/2008 को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा कम्पनी के पक्ष में दिए गए निर्णय को मान्य ठहराया है कम्पनी ने वेयर हाउस कम्पनी के द्वारा संभावित अपील के खिलाफ सावधान-पत्र दायर किया है। साथ ही अधिक सावधानी के तौर पर दावे को आकस्मिक देयताओं में दर्शाया गया है। ऐसी मदें तथा कम्पनी के पास रखी शेष इन्वेन्ट्री मदे (जिसे बॉक्सों में मोहर बन्द रखा गया है और वर्ष के दौरान जिनका प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है) और जो कि द्वितीय शिपमेंट है उसका समाधान नहीं होने के कारण बही मूल्य (रु. 6.47 करोड़) के अनुसार अग्रेनीत किया गया, हालांकि उपर्युक्त पैरा 4.2 के अनुसार पूर्ण रूप से प्रदत्त किया गया है।

5. आवासीय फ्लैट/क्वाटर्स

5.1 कम्पनी ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 25 वर्षों के लिए लीज पर दी गई भूमि पर 2002-03 के दौरान रु. 22.76 करोड़ लागत से 242 फ्लैटों का निर्माण किया है तथा इसका उपयोग कर रहा है। कम्पनी ने 242 फ्लैटों में से 50 फ्लैटों को संयुक्त विकास करार के अधीन लीज भूमि की किराए के बदले में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आबंटित किया है तथा परियोजना वास्तुविद द्वारा इन 50 फ्लैटों की निर्माण लागत रु. 5.59 करोड़ प्राक्कलित की गई है।



- 5.2 कम्पनी ने कर्मचारियों के लिए एम.एच.ए.डी.ए. मुंबई से 6 आवासीय फ्लैट खरीदे थे। हालांकि कब्जा आवंटन-पत्र के आधार पर लिया गया है, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अनन्तिम आधार पर स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार उपलब्ध कराया है और इस शर्त पर कि अंतिम भुगतान सोसाइटी के पक्ष में उचित कन्वेअन्स डीड का निष्पादन होने के पश्चात किया जाएगा। कुछ सोसाइटियों ने विभेदक कीमत निर्धारण के मुद्दे को लेकर एम.एच.ए.डी.ए. के खिलाफ मुंबई उच्च न्यायालय में मुकदमा किया है तथापि, इस स्थिति में राशि का निर्धारण कर पाना सम्भव नहीं है।
- 5.3 कम्पनी द्वारा लोखंडवाला कांस्ट्रक्शन इण्डस्ट्रीज लिमिटेड से वर्ष 1991-1992 में कर्मचारियों के लिए 42 आवासीय फ्लैट खरीदे गए थे। निदेशक मंडल ने इन फ्लैटों का सार्वजनिक उपक्रमों को किराए पर देने का अनुमोदन दिया है तथा तदनुसार, 42 फ्लैटों को दिनांक 23 जुलाई, 2008 से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को किराए पर दी गई है।
6. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऋण
- कम्पनी ने विगत वर्षों 1991-1992 में 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज/त्रैमासिक भुगतान पर केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रम मेसर्स हिन्दुस्तान फोटो फिल्म लिमिटेड (एच पी एफ) को अप्रत्याभूत अंतर कारपोरेट ऋण दिया था। संचित बकाया राशि रु. 7.25 करोड़ है। तथापि, एच पी एफ द्वारा अपनी खराब वित्तीय दशा के कारण ब्याज सहित ऋण का भुगतान करने की अपनी संविदात्मक बाध्यता को पूरा नहीं कर सका। एच पी एफ को रूग्ण घोषित कर दिया गया था। कम्पनी ने इसकी देयता का संरक्षण हेतु बी आई एफ आर के पास अपना दावा दायर किया है। जनवरी, 2003 में बी आई एफ आर द्वारा एच पी एफ को बन्द करने की संस्तुति की थी, जिसके खिलाफ एच पी एफ तथा इसके प्रशासनिक मंत्रालय के द्वारा ए ए आई एफ आर के विपरीत नेट वर्थ के कारण कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए उक्त ऋण की ब्याज आय को शामिल नहीं किया है तथा इसे वसूल करते ही/निपटान होते ही शामिल कर लिया जाएगा। तदनुसार,
- वर्ष का लाभ रु. 1.56 करोड़ (गत वर्ष रु. 1.56 करोड़) कम रहा।
- पूर्ण सतर्कता बरतते हुए कम्पनी ने विगत वर्षों के मूलधन की राशि के प्रति रु. 7.25 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिसे हिसाब में आगे ले जाया गया है।
7. स्थायी परिसम्पत्तियाँ
- क) डॉफिन बेड़े का मीड लाइफ अपग्रेडेशन
- 7.1 ते. प्रा. गे.नि. के नए अनुबंध की आवश्यकतानुसार विमानन मानक (ए एस-4) के अनुपालन को ध्यान में रखकर, कम्पनी का डॉफिन बेड़ा मिड लाइफ अपग्रेड प्रोग्राम के अधीन है, जो कि एक मेजर रीट्रोफिट परियोजना है तथा जिससे संरक्षा तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार होगा और परिणाम स्वरूप ग्राहकों को बेड़े की श्रेष्ठतर उपलब्धता प्राप्त होगी। कम्पनी को डाफिन हेलीकॉप्टर बेड़े के लिए रीट्रोफिट किट की आपूर्ति मेसर्स यूरोकॉप्टर द्वारा की गई है तथा रीट्रोफिटमेंट क्रमावस्था से पूरी की जाएगी। इस सम्बन्ध में मेसर्स यूरोकॉप्टर का प्राधिकृत प्रतिनिधि मेसर्स सोफिमा, फ्रांस के साथ अनुबंध किया गया है। रीट्रोफिट पैकेज जो कि डॉफिन हेलीकॉप्टरों की पूर्णता के लिए आवश्यक है, जे.ए.आर.ओ.पी.एस 3 मानकों के अनुपालन में हैं। ऐसी बेहतरी से कम्पनी का डॉफिन बेड़ा को अद्यतन अपतटीय मानकों से उन्नत हो जाएगा तथा इसके फलस्वरूप बेड़े की उपयोगिता अवधि बढ़ेगी और जिससे भविष्य में कम्पनी को बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त होगा।
- समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा 2 डॉफिन हेलीकॉप्टरों को ए.एस 4 युक्त किया गया। श्रम घंटे लागत हेतु हुए व्यय रु. 0.55 करोड़ पूंजीगत किया गया है।
- 7.2. रु. 25.14 करोड़ (गत वर्ष रु. 43.63 करोड़ राशि) की स्थाई परिसम्पत्ति जिसमें रोटेबल्स तथा



रेपेरेबल्स (सकल मूल्य) शामिल हैं जिन्हें मरम्मत के लिए विदेश भेजा गया था लेकिन 31 मार्च, 2010 को मरम्मत करने वाले अधिकरणों के पास हैं। तथापि, ज्यादातर मर्दें मरम्मत के पश्चात 31 मार्च, 2010 के बाद कम्पनी को प्राप्त हो चुकी हैं।

8. मूल्यहास

8.1 पूंजीगत मशीनरी स्पेयर्स होने के कारण रोटेबलों को स्थाई परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है तथा उसे मूल्यहासित किया गया है। रोटेबलों के सम्बन्ध में तथा मेजर आशोधन लागत जैसा की पूंजीकरण किया गया है का मूल्यहास शेष मूल परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवन से जोड़ा गया, जिसकी वे सन्नद्ध थे यथा हेलीकॉप्टर का प्रकार, बशर्ते मूल्यहास दर का प्रावधान न्यूनतम प्रभार के अनुरूप हो। रोटेबलों के तथा मेजर आशोधन लागत जैसा की पूंजीकरण का उद्देश्य, हेलीकॉप्टरों के उपयोगी जीवन सीमा को तकनीकी आधार पर विनिर्माता के उपदेशानुसार वित्त वर्ष 2006-07 से 30 वर्ष अथवा 25000 घन्टे, जो भी बाद में हो, रखा गया है।

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आई.सी.ए.आई.) की विशेषज्ञ सलाहकार समिति ने राय दी है कि रोटेबल सामान्य स्पेयर्स प्रकृति के हैं तथा उन्हें इन्वेन्ट्री के रूप में माना जाना चाहिए न कि पूंजीगत स्पेयर्स के रूप में और हेलीकॉप्टरों का उपयोगी जीवनकाल कम्पनी अधिनियम की अनुसूची XIV के अर्न्तगत विहित मूल्यहास दर लागू करके निर्धारित करना चाहिए तथा उससे अधिक नहीं होना चाहिए। इंस्टिट्यूट द्वारा एक विकल्प का सुझाव दिया गया है कि 'कम्पोनेंट अप्रोच' के आधार पर कम्पनी रोटेबलों को स्वतंत्र परिसम्पत्ति के रूप में अभिज्ञान करने का मार्ग अपना सकता है तथा ऐसे स्पेयर्स को स्पेयर्स की उपयोगी जीवनकाल के आधार पर मूल्यहास प्रभारित करें, जो अनुसूची- XIV के आधार पर किसी हालात में निर्धारित अवधि से अधिक न हो।

कम्पनी की राय में रोटेबल पूंजीगत स्पेयर्स हैं तथा उन पर मूल्यहास प्रभारित किया जाना चाहिए

और किए गए मेजर आशोधन लागत को हेलीकॉप्टरों के उपयोगी जीवन काल से जोड़ा जाना लेखांकन मानक ए एस-6, पैरा-9 एवं 11 तथा 23 एवं 24 के प्रावधान की तथा आई.सी.ए.आई द्वारा मूल्यांकन हेतु लेखांकन पर जारी निर्देशन टिप्पणी की अनुरूप है। इस उद्देश्य से मूल परिसम्पत्ति का उपयोगी जीवनकाल इसके निर्दिष्ट जीवनकाल से भिन्न हो सकता है। वर्तमान मामलों में हेलीकॉप्टर को निर्दिष्ट अवधि 17 वर्ष पर मूल्यहासित किया गया है। जबकि, इसका उपयोगी जीवनकाल ऐसे निर्दिष्ट अवधि से अधिक है। इसी सिद्धान्त को रोटेबलों आदि के मूल्यहास में अनुसरण किया गया है, इस सिद्धान्त का उपयोग करके कि उनके निर्दिष्ट जीवनकाल पर मूल्यहासित करना चाहिए, जो कि इस मामले में हेलीकॉप्टर के समान ही सुविचारित किया गया है। आई.सी.ए.आई.की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के द्वारा दिए गए मत के आधार पर कम्पनी की लेखांकन नीति में सुधार किया गया है, इस हद कि रोटेबलों का कम्पनी अधिनियम में निर्दिष्ट दरों से उच्च दर पर मूल्यहासित किया जाएगा। (5.6 % प्रति वर्ष) या रोटेबल आदि के मूल्यहास दर को 95% बढ़े खाते में डाला जाएगा। हेलीकॉप्टर का बढ़ाया गया शेष जीवनकाल कम्पनी की राय में लेखांकन नीति ए.एस-2, ए.एस-6, ए.एस-10 ए.एस आई-2 अनुरूप है। उपर्युक्त लेखांकन नीति विभिन्न अंतरराष्ट्रीय एअरलाईनों तथा एअर इंडिया के अनुसरण में किया जाता है और लेखा परीक्षकों द्वारा स्वीकृत है।

8.2 अनिवार्य लेखांकन मानक के साथ मौजूदा लेखांकन नीति को समरेखित करने के लिए तथा एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों हेतु उपयुक्त मूल्यहास नीति बनाने के लिए वित्त वर्ष 2009-10 हेतु लेखांकन नीति में परिवर्तन किया गया है "एम.आई. 172 हेलीकॉप्टरों के लिए 12000 घंटे या 25 वर्ष का जीवन काल, जो भी पहले हो, प्रति वर्ष न्यूनतम दर 5.60% की दर से मूल्यहास उपलब्ध किया गया है"। जिसके



फलस्वरूप चालू वर्ष 2009-10 में रोटेबल का मूल्यह्रास 53.70% के स्थान पर 11.03% के दर से प्रभारित किया गया है तथा तदनुसार वर्ष के लाभ में रु.0.82 करोड़ की वृद्धि हुई है (गत वर्ष - शून्य)।

9. इन्वेन्ट्री

9.1 अचल स्टोर्स, स्पेयर्स तथा उपभोज्य इन्वेन्ट्री की समीक्षा करके समीक्षाधीन वर्ष के दौरान लेखांकन नीति के अनुसार रु. 0.50 करोड़ (गत वर्ष रु. 0.10 करोड़) का प्रावधान बनाया गया है।

9.2 कम्पनी स्पेयर्स पार्टों को एक पार्टी से 'हाई सी सेल्स' आधार पर खरीद करती है, जो कम्पनी की ओर से आयात करती है। खरीद आदेशों के निबंधनों के अनुसार कोटेशन विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है तथापि भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाता है, विजया बैंक द्वारा इनवायस तिथि में अधिसूचित यूरो की बिल सेलिंग दर को आधार माना जाता है।

9.3 विदेश मुद्रा की लेनदेन से सम्बन्धित महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के पैरा सं. 3 के अनुसार, लाभ एवं हानि के कारण निम्नांकित विनिमय उतार-चढ़ाव है:

क) इन्वेन्ट्री तथा स्थाई परिसम्पत्तियों की खरीद के लिए बकाया भुगतान से सम्बन्धित देयताओं का पूर्णविवरण तथा

ख) निपटान की तिथि में की गई भुगतान से सम्बन्धित मुद्रा मूल्य में अंतर तथा आयातित इन्वेन्ट्री तथा स्थाई परिसम्पत्तियों का स्वामित्व स्वीकार करने की तिथि में विदेशी मुद्रा उतार-चढ़ाव के कारण लाभ या हानि लेखा में दिखाया गया है तथा लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण किया गया है।

10. उत्तरी क्षेत्र में ए.टी.एफ. की खरीद के लिए भारतीय तेल निगम (आई.ओ.सी.) के खाते में रु.0.14 करोड़

(क्रेडिट) [गत वर्ष रु.1.13 करोड़ (डेबिट)] का कुल अधिशेष दिखाया गया है, जो पूर्व वर्षों में खरीदे गए ए.टी.एफ. का प्रावधान है। चालू वित्त वर्ष में लेखों के विस्तृत मिलान के दौरान आई.ओ.सी. की बहियों में कम्पनी के नाम पहले का तथा विचाराधीन वर्ष के भी कुछ असंबद्ध लेन-देन को देखा गया है, जैसे-आदि शेष का अंतर, आई.ओ.सी. से न ली गई असंबद्ध आपूर्तियां जिनके लिए आई.ओ.सी. साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका है। तथापि, कम्पनी ने वास्तविक ईंधन की खपत से उड़ान घंटों के सामंजस्य को जांचा है। तदनुसार आई.ओ.सी. के वरिष्ठतम अधिकारियों के समक्ष रखा है तथा समाधान प्रगति पर है। कम्पनी को जब कभी भी संबंधित सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, उसी समय आवश्यक संशुद्ध प्रविष्टियां कर ली जाएंगी।

वर्षांत में आई.ओ.सी. के लेखा बही के अनुसार रु.3.08 करोड़ की बकाए के विपरीत प्रतिभूति जमा रु.2.91 करोड़ पर विचार करके आई.ओ.सी. का अधिक दावा रु.0.03 करोड़ (आईओसी के बुक में रु. 0.17 करोड़ पहहेलि के बुक में रु. 0.14 करोड़) को पहहेलि से प्राप्त योग्य को आकस्मिक देयता के रूप में दर्शाई गई है।

11. ओ एन जी सी के अनुबंध के अनुसार हेलीकॉप्टरों का जुटाव

ओ एन जी सी द्वारा कम्पनी को 12 ए एस 4 युक्त डॉफिन हेलीकॉप्टरों के प्रावधान हेतु अनुबंध किया गया है। अनुबंध 3 वर्ष के लिए है तथा ओ एन जी सी के विकल्प पर एक वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है। अनुबंध के अनुसार, कम्पनी दिनांक 1/3/2006 को जारी एल ओ आई के तहत 150 दिनों के अन्दर हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय करना अपेक्षित था। हेलीकॉप्टरों के जुटाव में विलम्ब होने की स्थिति में अनुबंध के निबंधनों के अनुसार 3 वर्ष की अनुबंध



अवधि के कुल मूल्य को ध्यान में रखकर ओ एन जी सी परिनिर्धारित क्षति की वसूली कर सकता है।

निर्धारित तिथि तक कम्पनी अपेक्षित संख्या में ए एस-4 युक्त डॉफिन हेलीकॉप्टरों को उपलब्ध नहीं कर सकी तथा बिना परिनिर्धारित क्षति की उगाही के समय को बढ़ाने की मांग की तथापि, ओ एन जी सी द्वारा परिनिर्धारित क्षति उगाही सहित समयावधि को बढ़ाया गया। 31.12.2007 तक कम्पनी द्वारा अनुबंध की अपेक्षानुसार चरणबद्ध तरीके से इन हेलीकॉप्टरों को डिप्लॉय किया गया।

इसी बीच नए अनुबंध के निबंधनों के अनुसार ओ एन जी सी ने भुगतान से एल डी की वसूली शुरू की। तथापि कम्पनी के अनुरोध के आधार पर समीक्षाधीन वित्त वर्ष के अन्त में ए एस-4 युक्त हेलीकॉप्टरों के जुटाव में हुए विलम्ब पर एल डी की वसूली रोक दी है। ओ एन जी सी द्वारा वसूली गई कुल एल डी रु. 14.94 करोड़ है। कम्पनी ने वसूली गई एल डी की वापसी का मामला ओ एन जी सी के समक्ष रखा है।

कम्पनी का मत है कि नए अनुबंध के अधीन अनुबंधित 12 ए एस-4 डॉफिन हेलीकॉप्टरों के जुटाव/ आगम में हुए विलम्ब के कारण किए गए भुगतान से एल डी की उगाही 'अनुबंध एल डी' पूर्व परिचालन प्रकृति का है जो 'परिचालन एल डी' से भिन्न है। हेलीकॉप्टरों का अप्रावधान दिन-प्रति-दिन के आधार पर है तथा उसे विनिर्दिष्ट संबंधित तिथियों पर लेखांकित करना आवश्यक है। तदनुसार, चूंकि ओ एन जी सी द्वारा वास्तविक रूप से वसूली राशि 3 वर्ष के समग्र अनुबंध मूल्य पर रखी गई है, एल डी के रूप में वसूली गई राशि का 01.01.2008 से तीन वर्ष की अवधि हेतु समान रूप में विस्तार किया गया है। अतः वित्त वर्ष 2007-08 को प्रथम वर्ष के रूप में माना गया है और शेष राशि रु.4.52 करोड़ को वित्त वर्ष 2008-09

तथा 2009-10 हेतु लाभ एवं हानि खाता में प्रभारित किया गया है।

12. 31 मार्च, 2010 तक के फुटकर देनदारों तथा ऋण और अग्रिम/जमा शेष का पुष्टिकरण परिचालित किया गया था, लेकिन प्रत्युत्तर सीमित था। तथापि, बताए गए मामलों को छोड़कर प्रायः डेबिट/अग्रिम प्राप्त हो चुका है/समायोजित किया गया है।

13. कर्मचारियों के पारिश्रमिक

13.1 01.01.2007 से नियमित तथा अनुबंधित कर्मचारियों के लिए वेतन तथा भत्तों के परिशोधन को ध्यान में रखकर 01.04.2009 से 31 मार्च 2010 तक रु. 25.10 करोड़ (गत वर्ष रु. 21.11 करोड़) का तदर्थ प्रावधान बनाया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान राष्ट्रपति के निदेश के आधार पर नागर विमानन मंत्रालय द्वारा जारी पत्र दिनांक 06.05.2009 के अनुसार 01.01.2007 से अधिकारियों के वेतनमानों का परिशोधन किया गया। जबकि अधिकारियों के वेतनमानों को परिशोधित किया जा चुका है, भत्ते तथा अन्य लाभ का परिशोधन विचाराधीन है। गिल्ड/यूनियन के साथ अन्य श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान तथा भत्तों के परिशोधन से सम्बन्धित विचार-विमर्श किया जा रहा है। लेखापरीक्षाधीन वित्त वर्ष में अधिकारियों को 31.03.2010 तक रु. 21.04 करोड़ (गत वर्ष रु. 22.08 करोड़) बकाया तथा वेतन कुल प्रावधान में से भुगतान/समायोजित किया गया तथा शेष रु. 19.28 करोड़ (गत वर्ष रु. 15.22 करोड़) को अनुवर्ती अवधि में भुगतान/समायोजन हेतु अग्रेनीत किया गया।

13.2 ए एस 15 (संशोधित) लेखांकन नीति के अनुसार कम्पनी उपदान, अवकाश वेतन, छु. या. रि., सेवानिवृत्ति पश्चात बैगेज भत्ता तथा उत्तर सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना को एकचूरियल मूल्यन आधार पर उपलब्ध कराती है तथा उसे निम्नांकित रूप से छु.या.रि./बैगेज भत्ता/वेतन बकाया हेतु प्रावधान लाभ एवं हानि लेखा



नामे में डाला गया है:-

विवरण	(रुपये करोड़ में)		
	31.03.2009 आदि देयता	वर्ष के दौरान सर्जित/ समायोजित	31.03.2010 को अंत देयता
उपदान देयता	13.24	9.12	22.36
अर्जित छुट्टी	7.33	2.67	10.00
अर्ध वेतन छुट्टी	6.07	(0.55)	5.52
उत्तर सेवानिवृत्ति चिकित्सा लाभ योजना	2.04	0.31	2.30*
छुट्टी यात्रा रियायत	0.99	0.03	1.02
सेवानिवृत्ति पर बैगेज भत्ता	0.10	0.01	0.11

* बीमा कंपनी को भुगतान किया गया रु.0.05 करोड़ का यथानुपात किस्त का समायोजन।

वर्तमान दायित्व का मूल्यन प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मैथड का उपयोग करके ऐक्चूरियल मूल्यन आधार पर निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक सेवावधि में कर्मचारियों के ग्राह्य लाभ में अतिरिक्त वृद्धि होगी तथा निर्णायक दायित्व को तैयार करने हेतु प्रत्येक यूनिट की अलग से गणना की जाती है। निम्नांकित तालिका में कर्मचारियों के विभिन्न लाभों के घटक को संक्षेप में दिया गया है तथा शुद्ध लाभ व्ययों के घटकों को लाभ एवं हानि खाते में दर्शाया गया है।

(रुपये करोड़ में)

क्र.स. विवरण	31.03.2010 को अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अवेछु) (अनिधिबद्ध)	31.03.2010 को बैगेज भत्ता/छुट्टारि/पीआर एमबीएस (अनिधिबद्ध)	31.03.10 को उपदान (निधिबद्ध)
क) दायित्व के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन			
(i) अवधि के प्रारंभ में (01.04.2009) दायित्व का वर्तमान मूल्य	13.40	3.13	13.24
(ii) ब्याज लागत	1.01	0.23	0.99
(iii) पूर्व सेवा लागत	-	-	9.01
(iv) चालू सेवा लागत	1.10	0.61	1.32
(v) उपहास/निपटान लागत	-	-	-
(vi) भुगतान किया गया लाभ	(1.12)	(0.45)	(0.65)
(vii) दायित्व/बाध्यता पर ऐक्चूरियल (अभिलाभ/हानि) (संतुलित अंक)	1.13	(0.09)	(1.55)
(viii) अवधि के समाप्ति पर (31.03.2010) दायित्व/बाध्यता का वर्तमान मूल्य	15.52	3.43	22.36
ख) प्लेन परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन			
(i) अवधि के प्रारंभ में (01.04.2009) प्लेन परिसम्पत्तियों की उचित मूल्य	-	-	14.38
(ii) नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-	1.13
(iii) अंशदान	-	-	6.24
(iv) भुगतान किया गया लाभ	-	-	(0.65)
(v) दायित्व/बाध्यता पर ऐक्चूरियल अभिलाभ/(हानि)	-	-	0.15
(vi) अवधि के समाप्ति पर (31.03.2010) नियोजित परिसम्पत्तियों की उचित मूल्य	-	-	21.25
ग) तुलन-पत्र में अभिज्ञान हेतु राशि			
(i) अवधि के प्रारंभ में (31.03.2010) में दायित्व/बाध्यता का वर्तमान मूल्य	15.52	3.43	22.36
(ii) अवधि के समाप्ति पर नियोजित परिसम्पत्तियों की उचित मूल्य	-	-	21.24
(iii) तुलन-पत्र में अभिज्ञान किए गए शुद्ध परिसम्पत्तियां/दायित्व	(15.52)	(3.43)	(1.12)
घ) लाभ एवं हानि लेखा विवरण में अभिज्ञात किया गया व्यय			
(i) वर्तमान सेवा लागत	1.10	0.61	1.32
(ii) पूर्व सेवा लागत	-	-	9.01
(iii) ब्याज लागत	1.01	0.23	0.99
(iv) नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	-	-	(1.13)
(v) अपहास/निपटान लागत	-	-	-
(vi) अवधि में अभिज्ञात शुद्ध ऐक्चूरियल अभिलाभ/(हानि)	1.14	(0.09)	(1.70)
(vii) भुगतान किया गया लाभ सहित लाभ तथा हानि विवरण में अभिज्ञात व्यय	3.25	0.75	8.49

* परिसम्पत्ति मूल्य देयता से अधिक होने के कारण उपेक्षा की गई है।



कर्मचारी लाभों का निर्धारण करने में उपयोग की गई मूल धारणा निम्नवत है :-

विवरण	समस्त कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण (अ.छु. एवं अ.वे.छु) (अनिधिबद्ध)	समस्त कर्मचारियों के लिए बैगेज भत्ता/ छुट्टी/पीआरएमबीएस (अनिधिबद्ध)	उपदान (निधिबद्ध)
छूट दर	7.50 %	7.50 %	वेस्टिंग अवधि 5 वर्ष की सेवा
नियोजित परिसम्पत्तियों पर संभावित दर	0.00 %	0.00 %	लाभ उपदान अधिनियम 1972 के भुगतान प्रावधानों के अनुसार तथापि वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान वर्तमान सीमा रु.3.50 लाख को बढ़ाकर रु.10.00 लाख कर दी गई है।
भविष्य में लागत वृद्धि	-	5.50 % /4.50%	-
वेतन एस्केलेशन दर	5.50 %	-	उपदान का परिकलन हेतु वेतन आहरण की गई अंतिम मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ता
सेवानिवृत्ति आयु	-	60 वर्ष	- 60 वर्ष
एट्रिशन दर			
आयु (वर्ष)			
30 वर्ष तक	3.00%	3.00%	
44 वर्ष तक	2.00 %	2.00 %	
44 वर्ष से अधिक	1.00 %	1.00 %	

उपर्युक्त सूचनाएं ऐक्चूएरी द्वारा प्रमाणित हैं।

14 बीमा दावे

14.1 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर वीटी- ई एल बी, जो दिनांक 12.09.2006 को पंजाब में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था उसे वर्ष के दौरान न्यू इन्डिया एशिओरेंस कंपनी द्वारा कॉन्स्ट्रक्टिव टोटल लॉस (सी टी एल) के अंतर्गत निपटान के आधार पर कर दिया गया है। पोत बीमा नीति के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रोटर इन मोशन के अंतर्गत कुल भुगतान योग्य राशि से रु.0.40 करोड़ की कटौती के पश्चात बीमा कंपनी से शुद्ध रु.5.95 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ है।

हेलीकॉप्टर का मेजर मरम्मत तथा अनुरक्षण कार्य किया जा रहा है तथा हेलीकॉप्टर का मरम्मत कार्य अगले वित्त वर्ष में पूरी होने की सम्भावना है। वित्त वर्ष के दौरान हेलीकॉप्टर को 'वर्तमान में अनुपयोगी परिसम्पत्ति' के रूप में दर्शाया गया है लेकिन अनुसूची 5 में स्थाई परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया है।

14.2 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टर वी टी- पी एच सी, जो दिनांक 27.09.2007 को कावारती लक्षद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हो

गया था उसका निर्धारण फरवरी, 2010 में न्यू इन्डिया एशिओरेंस कंपनी द्वारा कॉन्स्ट्रक्टिव टोटल लॉस (सी टी एल) के अंतर्गत निपटान के आधार पर किया गया तथा अप्रैल, 2010 में वार्षिक लेखा समापन से पहले वसूली की गई। हेलीकॉप्टर की स्लैवेज मूल्य रु.4.99 करोड़ तथा पोत बीमा नीति के निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार रोटर इन मोशन के अंतर्गत कुल भुगतान योग्य राशि से रु.0.70 करोड़ की कटौती के पश्चात् बीमा कंपनी से शुद्ध रु.29.31 करोड़ का भुगतान प्राप्त हुआ है।

तदनुसार वित्त वर्ष 2009-10 में वास्तविक निश्चित वसूली गई दावा होने के कारण वसूली गई शुद्ध रु.29.31 करोड़ राशि को खाता बही में रेखांकित किया गया है। वित्त वर्ष 2009-10 में हेलीकॉप्टर की स्लैवेज मूल्य रु.4.99 करोड़ में रु.2.25 करोड़ का दो एरिअल इंजन तथा रु.2.74 करोड़ का रोटेबल और अन्य मदें शामिल हैं जिसे वित्त वर्ष 2009-10 में रेखांकित किया गया है।



हेलीकॉप्टर का एरियल 2सी इंजन व्यवहार्य स्थिति में हैं तथा इसलिए वर्षात में स्थाई परिसम्पत्ति में लेखांकित किया गया है। उपयोग से पहले रोटेबल, बेंच चेक, मरम्मत तथा ओवरहॉल आदि के अंतर्गत है, अतः रोटेबल को “निरीक्षणधीन सामग्री” के रूप में दर्शाया गया है।

15. आयकर

15.1 आयकर निर्धारण का कार्य इस समय प्रगति पर है। गत वर्ष की कुछ अपीलाधीन आयकर देयता, यदि कोई होगी, ऐसे निर्धारणों के पूरा होने के पश्चात उसका अभिज्ञान किया जाएगा।

15.2 चूंकि अधिनियम के सामान्य प्रावधान के अधीन कर देयताएं शून्य हैं, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 जे बी के अन्तर्गत लाभ खाते में वर्तमान एम ए टी (न्यूनतम वैकल्पिक कर) के अनुसार रु.9.40 करोड़ (गत वर्ष 5.50 करोड़) का कर प्रावधान बनाया गया है। तथापि, आयकर अधिनियम के अनुसार एम ए टी का लाभ का समायोजन परवर्ती अवधि के लिए सामान्य कर देयता में किया जाएगा।

16. व्यय में निम्नांकित सम्मिलित है :-

	31 मार्च, 2010	(रुपये करोड़ में) 31 मार्च, 2009
क) कम्पनी-स्टॉफ क्वार्टर		
i) कर	0.33	0.33
ii) मरम्मत - भवन/अन्य	0.74	1.18
ख) पट्टे पर आवासीय सुविधा		
i) किराया (शुद्ध वसूली)	0.13	0.11
ii) अनुरक्षण प्रभार	0.01	0.02

17. ब्याज आय

लेखापरीक्षाधीन वित्त वर्ष में बैंकों में अल्पावधि जमा पर रु. 10.47 करोड़ (गत वर्ष रु. 14.84 करोड़) की ब्याज आय कमाई गई जो कि परिचालन निधि जिसमें भारत सरकार की देयता के निपटान संबंधी निधि भी शामिल है, जिसे इस अवस्था में (नोट सं. 3 का संदर्भ

ले) अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता है और परिनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

18. हेलीपोर्ट परियोजना

कंपनी को रु.64.00 करोड़ की प्राक्कलित लागत से रोहिणी, नई दिल्ली में हेलीपोर्ट के निर्माण के लिए सरकार ने अनुमोदन दे दिया है, जिसका निधियन निम्न प्रकार से होगा :-

(i) भूमि लागत हेतु सरकार द्वारा सहायता अनुदान रु. 19.00 करोड़।

(ii) सरकार द्वारा आधार्किक संरचना का विकास हेतु कुल 45.00 करोड़ का 80% यथा रु. 36.00 करोड़ तथा शेष रु.9.00 करोड़ अर्थात् 20% कंपनी के आंतरिक संसाधनों से व्यय किया जाएगा।

तनदुसार कंपनी को हेलीपोर्ट की परियोजना लागत के रूप में सरकार का इक्विटी अंशदान रु. 15.00 करोड़ मार्च, 2010 को प्राप्त हुआ है। लंबित आवंटन के कारण इस राशि को इक्विटी को अग्रिम रूप में माना गया है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने नागर विमानन मंत्रालय की ओर से रोहिणी, नई दिल्ली की 25 एकड़ भूमि का मूल्य रु. 19.07 करोड़ डीडिए के पास जमा किया है तथा भूमि का कब्जा ले लिया है। चूंकि भूमि का मालिकाना नागर विमानन मंत्रालय के नाम पर होगा, कंपनी द्वारा जमा की गई राशि को सरकार द्वारा स्वीकृत हेलीपोर्ट परियोजना को ध्यान में रखकर नागर विमानन मंत्रालय से वसूली योग्य रूप में दर्शाया गया है। कंपनी द्वारा भूमि लागत के रूप में जमा की गई रु. 19.07 करोड़ की रीमिटेंस हेतु नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है।

19. तुलन-पत्र की तिथि तक कम्पनी के ऊपर किसी भी लघु उद्योग का 30 दिन से अधिक बकाया नहीं है।



20. सेगमेंट रिपोर्टिंग

कम्पनी हेलीकॉप्टर सेवाएँ उपलब्ध कराने का कारोबार कर रही हैं, जिसे एक कारोबार सेगमेंट के रूप में माना जाता है। अतः सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक-17 के अनुसार कम्पनी पर सेगमेंट रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

22. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

लेखांकन मानक-18 'संबंधित पार्टी प्रकटीकरण' (रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर) के अनुसार आई.सी.ए. आई. द्वारा जारी संबंधित पार्टी प्रकटीकरण निम्नवत है:

क) प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

- श्री आर.के. त्यागी, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, 18 05.2007 से अब तक अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक हैं।

ख) लेन-देन

- पारिश्रमिक	रु. 24,60,190/-
- दिए गए ऋण	-
(भ.नि.अ. ब्याज सहित)	


21. प्रावधान

(रुपये करोड़ में)

विवरण	01.04.2009 को आदि शेष	वर्ष के दौरान स्थापित	वर्ष के दौरान उपयोग समायोजन/अन्तरण/ परावर्तन	31.03.2010 को अंत शेष
इन्वेन्ट्री सहित क्षतिग्रस्त आस्ति	16.01	-	-	16.01
1/1/2007 से वेतन एवं भत्तों के परिशोधन हेतु प्रावधान	15.22	25.10	21.04	19.28
सन्देशास्पद ऋण/अग्रिम	10.82	0.26	0.91	10.17
लाभांश	11.38	-	11.38	-
लाभांश पर कॉरपोरेट कर	1.93	-	1.93	-
खपत न होने वाली इन्वेन्ट्री आदि	8.96	0.51	-	9.47

23. प्रति शेयर आय की निम्नानुसार संगणना की गई है:

	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
● कर पश्चात शुद्ध लाभ	रु. 35,58,86,092/-	रु. 25,12,03,775/-
● बकाया इक्विटी शेयर की औसत की संख्या	113766	113766
● औसत प्रति शेयर आय (मूल तथा डाईल्यूटेड)	रु. 3,128/-	रु. 2,208/-
रु. 10,000/- प्रति शेयर अंकित मूल्य		



24. अतिरिक्त सूचनाएं

क) प्रारम्भिक और अंतिम स्टाक (वित्तीय बट्टे खाते डालने के बाद)

	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
i) भंडार, पूर्ण तथा उपभोज्य मर्दे (शुद्ध)	67,11,56,634	60,39,80,998
ii) जेम मॉड्यूल	54,15,882	54,15,882
iii) परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर	47,82,289	49,50,583
iv) मार्गस्थ माल (शुद्ध)	2,15,59,745	2,56,26,042
v) निरीक्षण के अधीन स्टॉक	4,83,97,890	5,28,76,860
योग	75,13,12,440	69,28,50,365

ख) सी.आई.एफ. आधार पर परिकल्पित आयातित सामग्री

	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
i) भंडार, पूर्ण व उपभोज्य मर्दे	34,27,26,016	45,51,12,013
ii) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	30,10,63,875	46,53,38,997
iii) परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/खुले औजार	2,89,27,262	2,88,19,443
iv) मार्गस्थ माल/निरीक्षणाधीन माल	4,21,25,282	7,88,01,119
v) पूंजी सामान/अन्य मर्दे	1,11,34,307	43,00,601
vi) रिट्रोफिट कार्यक्रम	15,61,378	11,36,98,138
योग	72,75,38,120	1,14,60,70,311



ग) वित्त वर्ष के दौरान व्यय की गई विदेशी मुद्रा:

	(रुपयों में)	
	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
i) भंडार, पुर्जे व उपभोज्य मदें	33,93,24,980	44,14,55,466
ii) एयरफ्रेम एवं एयरो इंजन उपस्कर रोटेबल्स	29,86,39,387	45,92,64,252
iii) परीक्षण औजार/ग्राउंड सपोर्ट उपस्कर/ खुले औजार	2,69,02,571	2,78,36,485
iv) विदेश यात्रा/ विदेश प्रशिक्षण	2,83,13,663	2,90,38,789
v) मार्गस्थ माल/ निरीक्षणाधीन माल	4,18,65,662	7,74,91,725
vi) मरम्मत प्रभार	86,19,40,763	61,38,30,285
vii) उपस्कर/विशेषज्ञ हायर प्रभार	1,93,04,210	3,60,63,510
viii) पूंजी सामान/अन्य मदें	94,95,929	52,89,278
ix) रिट्रोफिट कार्यक्रम	15,61,378	11,15,39,502
योग	<u>1,62,73,48,543</u>	<u>1,80,18,09,292</u>

घ) आयातित और स्वदेशी कलपुर्जों व अतिरिक्त पुर्जों (खुले औजारों के बट्टे खाते को मिलाकर और पूंजीगत मदों को छोड़कर) की खपत का मूल्य:

	मूल्य (रुपयों में)		प्रतिशत	
	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
आयातित	27,08,05,034	23,39,28,775	97.20%	96.70%
स्वदेशी	79,38,499	80,98,093	2.80%	3.30%
योग	<u>27,87,43,533</u>	<u>24,20,26,868</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>



ड) वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में आय:

	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
हेलीकॉप्टर सेवाएं	1,31,67,43,044	99,07,72,166
	<u>1,31,67,43,044</u>	<u>99,07,72,166</u>

च) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक सहित निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

i) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भुगतान किया गया पारिश्रमिक:

	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
i) वेतन	15,63,534	7,75,339
ii) भत्ते तथा परिलब्धियां	7,33,512	6,10,132
iii) भविष्य निधि/ग्रेच्युटी	1,63,144	99,914
कुल	<u>24,60,190</u>	<u>14,85,385</u>

ज) तुलन पत्र तथा कम्पनी के सामान्य कारोबार का विवरण:

I. पंजीकरण विवरण :

पंजीकरण संख्या : 55/22233 राज्य कोड : 55
तुलन पत्र तिथि : 31.03.2010

II. वर्ष के दौरान की गई पूंजी व्यवस्था (रकम हजार रुपए में)

पब्लिक इश्यू : शून्य राइट इश्यू : शून्य
बोनस : शून्य प्राइवेट इश्यू : शून्य

III. निधियों की गति एवं नियोजन की स्थिति (रकम हजार रुपए में)

कुल देयताएं : 9826631 कुल आस्तियां : 9826631

क) निधियों के स्रोत :

प्रदत्त पूंजी : 1137660 आरक्षित व अधिशेष : 2221954
आस्थगित कर देयताएं : 772102
प्रत्यभूत ऋण : शून्य अप्रत्यभूत ऋण : शून्य

ख) निधियों का उपयोग :

शुद्ध अचल आस्तियां : 466604 निवेश : 28934
(कार्यशील पूंजी सहित)
शुद्ध चालू आस्तियां : (424046) विविध परिव्यय: 10774
संचित हानियां : शून्य

IV) कम्पनी का कार्य निष्पादन (रकम हजार रुपए में)

i) ब्याज व अन्य आय

सहित टर्नओवर, असाधारण
तथा अन्य ऋण : 40,45,450
असाधारण और अन्य जमा आवर्त
सहित कुल व्यय : 3494031
कर पूर्व लाभ : 551420
कर पश्चात लाभ : 355886
प्रति शेयर आय : रु. 3128



V) कम्पनी का मुख्य उत्पाद/सेवा (आर्थिक रूप से)

मद कोड संख्या (आई.टी.सी.कोड)

: लागू नहीं

उत्पाद का विवरण

: हेलीकॉप्टर सेवाएं

25. जहां कहीं भी आवश्यकता हुई है गत वर्ष के आंकड़ों को पुनर्वर्गीकृत/सुधारा गया है।

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

ई. के. भारतभूषण
निदेशक

संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबंधक (विधि)

संजीव बहल
महाप्रबंधक (वि. एवं लेखा)

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 20 सितम्बर, 2010



31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए कैश फ्लो विवरण

	31 मार्च, 2010	31 मार्च, 2009
(लाख रुपयों में)		
क. परिचालन गतिविधियों से प्राप्त कैश फ्लो		
कर पूर्व शुद्ध लाभ	5,514.20	4,794.62
मूल्यह्रास प्रभार	3820.61	1,181.36
पूर्वाविधि मूल्यह्रास समायोजन	(81.24)	-
ब्याज आय	(1,205.37)	(1787.92)
अचल आस्तियों की बिक्री से लाभ/हानि	(16.73)	(0.25)
बट्टे खाते डाले गए अचल आस्तियों/स्टोर/स्पैयर/खुले औजार का समायोजन	219.21	71.07
बट्टे खाते डाली गई राशि	-	(14.04)
बीमा दावे	(704.60)	(980.38)
अनापेक्षित प्रावधान का प्रतिलोम	(109.03)	
बट्टे खाते डाले गए प्रकीर्ण व्यय	452.68	452.68
कार्यशील पूंजी परिवर्तनों से पूर्व परिचालन लाभ/(हानि)	7,889.73	3,717.14
कार्यशील पूंजी परिवर्तन		
जोड़िए/(घटाइए)		
इन्वेन्ट्री	(1,395.23)	(2,929.51)
फुटकर देनदार	(2,675.12)	(1,183.26)
ऋण और अग्रिम	(6,623.59)	(924.03)
चालू देयताएं	(708.97)	4,366.50
प्रावधान	719.60	(50.78)
विशिष्ट मर्दे (बीमा दावा)	704.60	980.38
पूर्वाविधि समायोजन	81.24	-
कार्यशील पूंजी में कमी/(वृद्धि)	(9,897.47)	(8,473.70)
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (क)	(2,007.74)	(4,756.56)
ख. निवेश गतिविधियों से प्राप्त कैश फ्लो		
इक्विटी पूंजी में निवेश	(289.94)	-
अचल आस्तियों की खरीद	69.15	(3,333.38)
अचल आस्तियों की बिक्री	0.02	1.46
कार्यशील पूंजी	(432.53)	(416.57)
ब्याज आय	1,205.37	1,787.92
परिचालन गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ख)	552.67	(1,960.57)
ग. वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो		
इक्विटी के लिए अग्रिम, लम्बित आबंटन	1,500.00	-
भुगतान किया गया लाभांश (कारपोरेट कर सहित)	(1,331.01)	-
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध कैश फ्लो (ग)	168.99	-
घ. कर भुगतान		
आयकर (संपत्ति कर सहित) का भुगतान	(1,222.14)	(1,061.94)
कैश तथा तत्समान कैश में शुद्ध वृद्धि/(कमी) (क+ख+ग+घ)	(2,508.22)	(7,779.07)
वर्ष के आरम्भ में कैश तथा तत्समान कैश	15,092.41	22,871.48
वर्ष के अंत में कैश तथा तत्समान कैश	12,584.19	15,092.41

नोट: ब्रैकेट में दिए गए अंक कैश आऊट गो हैं

कृते वी.के. कुमार एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार
वी. कुमार
पार्टनर
(एम.सं. 503826)

आर. के. त्यागी
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
संजीव अग्रवाल
कम्पनी सचिव एवं उप महाप्रबंधक (विधि)

ई.के. भारतभूषण
निदेशक
संजीव बहल
महाप्रबंधक (वि.एवं लेखा)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2010



लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'क'

प्रबंधतंत्र के उत्तर

सेवा में

सदस्यगण


पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड

हमने पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2010 के संलग्न तुलन-पत्र तथा उक्त दिनांक को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी के लाभ एवं हानि लेखा की लेखा परीक्षा कर ली है, जिसमें शाखा लेखापरीक्षक द्वारा परीक्षित पश्चिम क्षेत्र का लेखा शामिल है। इन वित्तीय विवरणों के लिए कम्पनी का प्रबंधतंत्र उत्तरदायी है। इन विवरणों पर अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर मत व्यक्त करना हमारा उत्तरदायित्व है।

हमने भारत में सामान्य रूप से प्रचलित लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों की अपेक्षा है कि हम उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं और इसे निष्पादित करें कि सभी वस्तुगत मामलों से संबंधित वित्तीय विवरण चिन्हित वित्तीय प्रतिवेदन में दिए गए विवरणों में से नमूने के तौर पर राशियों तथा कथनों की साक्ष्य के आधार सत्य की परीक्षा की जाए। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखा सिद्धान्त तथा प्रबंधतंत्र द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलनों का मूल्यांकन करना तथा समस्त वित्तीय विवरणों के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन करना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारी लेखा परीक्षा हमारे मत के लिए उचित आधार प्रदान करती है।

हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 227 (4ए) के अनुसार कम्पनी (लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट) द्वारा जारीकृत आदेश, 2003 द्वारा यथा अपेक्षित हम अनुलग्नक में उक्त आदेश के अनुच्छेद 4 व 5 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न कर रहे हैं।



2. उपर्युक्त अनुच्छेद 1 में उल्लिखित उपबंध में अपनी टिप्पणी के आगे हम रिपोर्ट करते हैं:
- क) लेखा परीक्षा के उद्देश्यार्थ हमने समस्त आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण अपने संपूर्ण ज्ञान और विश्वास के साथ प्राप्त कर लिए हैं।
- ख) हमारे मत में विधि द्वारा यथापेक्षित बहियाँ कम्पनी द्वारा रखी गई हैं जैसा कि इन बहियों की परीक्षा से प्रतीत होता है और उस शाखा से भी समुचित विवरण जो हमारी लेखापरीक्षा हेतु अपेक्षित थे, प्राप्त हो गए हैं। दिनांक 31.05.2010 द्वारा शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और जिसका समुचित आकलन किया गया है।
- ग) इस रिपोर्ट में दिया गया तुलन-पत्र तथा लाभ व हानि लेखा कैश फ्लो बहियों तथा शाखा के लेखापरीक्षित विवरणों के साथ मेल खाता है।
- घ) इमारे मतानुसार, इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन-पत्र, लाभ-हानि खाता तथा कैश फ्लो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 211 की उपधारा (3सी) में विहित लेखा मानकों के अनुसार तैयार किए गए हैं।
- ङ) कम्पनी मामले विभाग द्वारा जारीकृत परिपत्र 8/2002 दिनांक 22.3.2002 को ध्यान में रखते हुए हमें प्रदत्त सूचना व स्पष्टीकरण के अनुसार सरकारी कंपनियों में कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 274 (1) (जी) के प्रावधान लागू किए जाने की छूट है।

हमारे मत से तथा हमारी पूरी सूचना और हमें प्रदत्त स्पष्टीकरणों से उक्त लेखे कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापेक्षित सूचना इस तरह देते हैं कि ये भारत में सामान्यतः



स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुसार सत्य एवं स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं :

1. तुलन-पत्र के मामले में 31 मार्च, 2010 की कम्पनी के मामलों की स्थिति।
2. लाभ व हानि के मामलों में इस तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ की स्थिति।
3. कैश फ्लो के मामले में इस तारीख को समाप्त वर्ष के कैश फ्लो की स्थिति।

कृते वी.के.वर्मा एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार
(वी.कुमार)
पार्टनर
एम.सं.-503826

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक : 20 सितम्बर, 2010



पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड,
नई दिल्ली

(तद्दिनांकित लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुच्छेद 1 के सन्दर्भ में)

I.


- (क) कम्पनी ने अचल परिसम्पत्तियों की स्थिति तथा उनके परिमाणात्मक विवरण के समुचित रिकार्ड रखे हैं। पश्चिम क्षेत्र में शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि कई मामलों में स्थाई परिसम्पत्तियों की स्थिति/स्थान के बारे में रिकार्ड नहीं किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में परिसम्पत्तियों की स्थिति/स्थान के बारे में स्थाई परिसम्पत्ति रजिस्टर में रिकार्ड रखा जाता है। ऐसी परिसम्पत्तियों के स्थान-निर्धारण हेतु रोटेबल्स का संचलन रिकार्ड कम्पनी के सामग्री/अभियांत्रिकी विभाग द्वारा रखा जा रहा है। पश्चिम क्षेत्र में स्थाई परिसम्पत्तियों के स्थिति/स्थान के बारे में अब रिकार्ड रखा जा रहा है।
- (ख) समुचित अंतरालों पर अचल परिसम्पत्तियों का वास्तविक सत्यापन किया गया है और उनके सत्यापन के दौरान कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पाई गई। पश्चिम क्षेत्र में शाखा लेखा परीक्षका द्वारा रिपोर्ट किया गया है कि चूंकि अचल परिसम्पत्तियों के अभिज्ञान का कार्य प्रगति पर है, इसलिए सत्यापित की गई परिसम्पत्तियों का बही अभिलेखों से मिलान नहीं हो पाया है। पश्चिम क्षेत्र में अचल परिसम्पत्तियों की पहचान हो चुकी है। सत्यापित की गई परिसम्पत्तियों की पुनर्मूल प्रक्रिया को बुक रिकार्ड में लिया जा रहा है। क्षेत्रीय लेखा परीक्षकों ने सूचित किया है कि अब तक बहियों की तुलना से वास्तविक सत्यापन में कोई उल्लेखनीय विसंगति दृष्टिगोचर नहीं हुई है।
- (ग) इस वर्ष परिसम्पत्तियों का कोई महत्वपूर्ण निवर्तन नहीं किया गया है जिसके कारण कोई विशेष प्रभाव पड़े। कोई टिप्पणी नहीं।

II.

- (क) मरम्मत/अनुरक्षण हेतु देश के बाहर भेजी गई इन्वेन्ट्री तथा उत्तरी क्षेत्र में वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की अनिवर्तित मालसूची के अतिरिक्त प्रबंधतंत्र द्वारा इस वर्ष की मालसूची का समुचित अंतरालों में वास्तविक सत्यापन किया गया है। स्क्रेप मर्दों के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर हैं लेकिन निपटान लम्बित है।
- (ख) सत्यापित की गई मालसूची के संबंध में कम्पनी के आकार और इसके कारोबार की प्रकृति के अनुरूप प्रबंधतंत्र द्वारा अपनाई जा रही मालसूची के वास्तविक सत्यापन की प्रक्रियाएं तर्क संगत और उचित है। कोई टिप्पणी नहीं।



- (ग) कम्पनी मालसूची के समुचित अभिलेख रख रही है और वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई विसंगतियाँ, जो महत्वपूर्ण नहीं थी, को लेखाबहियों में समुचित रूप में लेखांकित किया गया है। कोई टिप्पणी नहीं।
- III.** प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण तथा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार कोई ऐसी पार्टी नहीं, जो कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अधीन बनाई गई पंजिका के अंतर्गत आती है। तदनुसार खण्ड III (ख), III (ग), तथा III (घ), लागू नहीं होता है। कोई टिप्पणी नहीं।
- IV.** हमारे मत से और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कम्पनी के आकार और इसकी प्रकृति के अनुरूप इन्वेन्ट्री और अचल परिसम्पत्तियों के लिए तथा हेलीकॉप्टरों के किराए प्रभारों के लिए कम्पनी में आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाएं उचित रूप से बनाई गई हैं। हमारी लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण खामियों को दूर करने में हमारे द्वारा कोई महत्वपूर्ण क्रमिक असफलता नहीं पाई गई है। कोई टिप्पणी नहीं।
- V.** प्रबंधन द्वारा हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरणों और उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के अनुसार कम्पनी में ऐसा कोई लेन-देन नहीं किया गया है जिसकी प्रविष्टि कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 301 के अनुसार रजिस्टर की जाती है। कोई टिप्पणी नहीं।
- VI.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा अभिलेखों की कुल परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने पब्लिक से कोई भी जमा राशि नहीं ली और इसलिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश तथा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 58 ए तथा 58 ए ए में दिए गए प्रावधान तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम इस पर लागू नहीं होते हैं। कोई टिप्पणी नहीं।
- VII.** हमारे मत में आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली कम्पनी के आकार और इसके कारोबार की प्रवृत्ति के अनुरूप है। कोई टिप्पणी नहीं।
- VIII.** कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 209 (I) (घ) के अनुसार कम्पनी द्वारा अनुरक्षण लागत अभिलेख बनाए जाने की व्यवस्था केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किया गया है। कोई टिप्पणी नहीं।



- IX.** (क) कम्पनी भविष्य निधि, आयकर, सम्पत्तिकर, बिक्रीकर, उत्पाद शुल्क, चुंगी (सेस) तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्विवादित संवैधानिक देयों का भुगतान संबंधित प्राधिकरणों में नियमित रूप से जमा करती रही है। कोई टिप्पणी नहीं।
- (ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार 31 मार्च, 2010 तक ऐसे किसी भी निर्विवादित संवैधानिक बकाया राशि का उसकी देय तिथि से छः माह से अधिक अवधि तक के लिए भुगतान किया जाना शेष नहीं था। कोई टिप्पणी नहीं।
- X.** संचयी हानियों से संबंधित खण्ड लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XI.** कम्पनी ने किसी वित्तीय संस्था अथवा बैंक अथवा डिबेंचर धारक के देयों की अदायगी में चूक नहीं की है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XII.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने शेयरों, डिबेंचरों तथा अन्य प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण स्वीकृत नहीं किए है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XIII.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार चिट फंड अथवा निधि/म्युचुअल बेनिफिट फंड/सोसायटी से संबंधित खण्ड के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XIV.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने इस वर्ष के दौरान शेयरों, सेक्युरिटी, डिबेंचरों का सौदा या ट्रेडिंग नहीं की है, बैंकों में स्थाई जमा के रूप में कम्पनी द्वारा किए गए निवेशों के लेन-देन से संबंधित रिकार्ड समुचित रूप से बनाए गए हैं और उनमें समय से प्रविष्टियों की गई है। ये सभी निवेश कम्पनी के नाम में दिए गए हैं। कोई टिप्पणी नहीं।
- XV.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने अन्य व्यक्तियों द्वारा बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों




- से लिए गए ऋणों के लिए प्रत्याभूति (गारंटी) नहीं दी है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XVI.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने कोई भी सावधि ऋण नहीं लिया है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XVII.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार कम्पनी ने न तो दीर्घावधि निवेश के लिए अल्पावधि आधार पर कोई भी रकम उधार ली है और न ही उधार दी है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XVIII.** शेयरों का वरीयता आधार पर आबंटन से संबंधित खंड लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XIX.** डिबेंचरों के निर्गम से संबंधित खंड लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XX.** पब्लिक इश्यू द्वारा धन एकत्र करने से संबंधित खंड के प्रावधान लागू नहीं है। कोई टिप्पणी नहीं।
- XXI.** हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा अभिलेखों की परीक्षा के अनुसार इस वर्ष के दौरान कम्पनी पर या इसके द्वारा कोई धोखा नहीं देखा गया है अथवा रिपोर्ट किया गया है। कोई टिप्पणी नहीं।

कृते वी.के.वर्मा एवं कम्पनी
सनदी लेखाकार
एफआरएन सं. 000386एन

(वी.कुमार)
पार्टनर
एम.सं. 503826

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 20 सितम्बर, 2010



निदेशकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ख'

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के खातों की समीक्षा।

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेम वर्क के अनुसार वर्षान्त 31 मार्च, 2010 हेतु पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरों को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधतंत्र का उत्तरदायित्व है। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (2) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक उनके व्यावसायिक निकाय इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित एश्यूरेन्स मानकों तथा कम्पनी अधिनियम 1956, धारा 227 के अधीन इन वित्तीय ब्यौरों पर राय देने के लिए उत्तरदायी है। उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट दिनांक 20 सितम्बर, 2010 द्वारा उन्होंने इसे किया है, बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 619 (3) (ख) के अधीन 31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष हेतु पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के वित्तीय ब्यौरों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। इस अनुपूरक लेखापरीक्षा को सांविधिक लेखापरीक्षकों के वर्किंग पेपरों को देखे बिना तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों और कम्पनी के कार्मिकों की सीमित प्रारंभिक जांच-पड़ताल तथा कुछ लेखांकित रिकार्डों की चयनित जांच पर स्वतन्त्र रूप से कार्रवाई की गई है। मेरे द्वारा की गई लेखापरीक्षा के आधार पर मुझे उल्लेखनीय ऐसा कुछ नहीं मिला है जिस पर कोई टिप्पणी करना हो अथवा कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 (4) के अधीन सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर अनुपूरक देना हो।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लिए
और उनकी ओर से

(बिरेन्द्र कुमार)

प्रधान निदेशक, वाणिज्यिक लेखा व

पदेन सदस्य लेखापरीक्षा, बोर्ड- I,

नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

तिथि : 15 अक्टूबर, 2010



निदेशक मण्डल की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'ग'

कम्पनी अधिनियम 1956 के धारा 217 (2ए) के अंतर्गत कम्पनी (कर्मचारियों का विवरण) नियम 1975 के साथ पठित तथा 31 मार्च, 2010 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट के एक भाग के रूप में कर्मचारियों का विवरण।

क्र. सं.	नाम	आयु (वर्ष)	योग्यता	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अनुभव (वर्ष)	प्राप्त पारिश्रमिक (रुपयों में)	पूर्व नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
समीक्षाधीन पूर्ण वर्ष में कार्यरत और कुल रु. 24,00,000 तक वार्षिक पारिश्रमिक पाने वाले								
1	श्री आर. के. त्यागी	55	बी.ई. (इले. एवं टेलीकॉम) एम.बी.ए.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	18/05/2007	33	24,60,190	ओएनजीसी
2	कर्नल आर. पी. एस. महल	59	इन्टरमीडेट	उ.म.प्र. (परि.)	19/02/1997	37	31,11,544	भारतीय सेना
3	कर्नल सर्दूल सिंह	59	बी.एस.सी.	कैप्टन	01/10/1997	36	32,98,449	भारतीय सेना
4	कैप्टन जे. जे. सिंह	51	बी.ए.	व.प्र. (परि.)	10/01/2007	28	30,05,641	भारतीय सेना
5	कैप्टन जे. बी. सिंह	58	एम.ए.	व.प्र. (फ्लाइट सेफटी)	04/01/2008	34	34,14,041	भारतीय सेना
6	कैप्टन बी. वी. बद्दुनी	50	एम.एस.सी.	प्रबंधक (प्रशिक्षण)	10/01/2007	28	29,82,989	भारतीय वायु सेना
7	एअर कमांडर एच.पी.एस.नाट	57	मास्टर इन मैनेजमेन्ट	कैप्टन	15/10/2008	34	25,37,394	भारतीय वायु सेना
8	कर्नल जेराज एडवर्ड	54	पीजी डिप्लोमा इन एचआरएम	कैप्टन	24/09/2007	30	29,22,232	भारतीय सेना
9	श्री सुरेन्द्र प्रसाद	60	एम.ए. (इकानमीक्स)	उ.म.प्र. (अनुरक्षण)	10/01/1986	39	25,76,585	भारतीय वायु सेना
10	कर्नल अक्षय मेहरोत्रा	49	बी.एस.सी.	कैप्टन	19/03/2007	30	29,06,664	भारतीय सेना
11	कर्नल परमजीत सिंह	48	बी.ए.	कैप्टन	19/03/2007	28	32,13,328	भारतीय सेना
12	कर्नल ए. एस. परमार	51	एम.बी.ए.	प्रतिनियुक्त पायलट	22/05/2007	25	39,63,853	भारतीय सेना
13	ब्रिग. अनिल नन्दा	55	एम.एस.सी. (डिफेन्स स्टडीज)	प्रतिनियुक्त पायलट	25/06/2007	34	33,30,819	भारतीय सेना
14	कर्नल टी. एस. रणधावा	53	एलएलबी, एमबीए, पीजीडीसीए	कैप्टन	24/09/2007	30	31,75,268	भारतीय सेना
15	श्री यशपाल	60	एम.ए. डिप्लोमा इन इले. इंजी (वायु सेना)	उ.म.प्र. (अनुरक्षण)	07/07/1986	42	29,39,486	भारतीय वायु सेना
16	श्री पी. एस. दास	59	एएमई ए व सी. बी.ए. ऑनर्स	उ.म.प्र. (वर्कशॉप)	30/09/1989	31	24,15,837	भारतीय वायु सेना
17	लेफ्ट. कर्नल जे. एस. बब्बर	43	बी.ए., सीएचपीएल	कैप्टन	24/09/2007	24	26,76,278	भारतीय सेना
18	कर्नल प्रभात कुमार	55	बी.ए., एनडीए	कैप्टन-ए	10/01/2009	34	29,76,297	भारतीय सेना
19	लेफ्ट. कर्नल समीर सिंह	44	बी.ए.	कैप्टन	17/08/2010	25	32,96,954	भारतीय सेना
20	कर्नल जी. एम. सोलंकी	54	एम.ए.	कैप्टन	24/09/2007	32	34,23,616	भारतीय सेना
21	लेफ्ट. कर्नल नरिन्द्र कुमार शर्मा	49	एम.ए. (इतिहास)	कैप्टन	24/09/2007	25	29,57,929	भारतीय सेना
22	कर्नल पी. के. जुनेजा	53	बीएससी, एनडीए	कैप्टन	24/09/2010	35	32,11,747	भारतीय सेना
23	कर्नल मन्जीत सिंह	48	एम.एस.सी.	फॉस्ट अधिकारी- I	24/09/2007	25	29,15,530	भारतीय सेना
24	कर्नल सुदीप भट्टाचार्य	44	एम.एस.सी.	जूनियर कैप्टन	24/09/2007	26	34,41,214	भारतीय सेना
25	लेफ्ट. कर्नल ए. के. पाथे	46	बी.ए.	प्रतिनियुक्त पायलट	31/12/2007	21	28,97,523	भारतीय सेना
26	कर्नल मुकेश मल्होत्रा	53	बी.एस.सी., एन डी ए	कैप्टन	31/12/2007	35	32,20,628	भारतीय सेना
27	विंग कमांडर एम. एल. मेहता	64	सी. एच. पी. एल., बी.ए.	कैप्टन - सी	03/04/1996	45	27,80,244	भारतीय वायु सेना
28	विंग कमांडर अनिल किशोर	62	एन. डी. ए.	कैप्टन - सी	21/08/1996	28	34,02,374	भारतीय वायु सेना
29	कैप्टन अशोक गर्ग	31	XII	कैप्टन - ए	26/03/2003	8	26,71,253	भारतीय वायु सेना
30	विंग कमांडर बी. डी. सिंह	57	एम.एस.सी.	कैप्टन - ए	12/08/2004	30	27,87,666	भारतीय वायु सेना
31	विंग कमांडर टी.एस. मामिक	51	एन. डी. ए.	कैप्टन	17/01/2005	32	30,94,803	भारतीय वायु सेना
32	लेफ्ट. कर्नल एम. एस. चौहान	61	इन्टर सायन्स, बी.ए.	कैप्टन - ए	18/06/2007	32	25,31,709	भारतीय सेना
33	विंग कमांडर वरुण गुप्ता	59	एन. डी. ए.	कैप्टन - ए	18/06/2007	38	26,36,300	भारतीय वायु सेना
34	लेफ्ट कर्नल जगदीप सिंह	60	प्री-इंजीनियरिंग	पायलट-सी	18/06/2007	34	24,18,238	भारतीय सेना
35	कर्नल जे. एस. जोधा	60	हायर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग	पायलट-सी	18/06/2007	39	27,45,403	भारतीय सेना
36	ब्रिग. परमजीत सिंह साही	59	हायर सैकेन्ड्री, प्री-मेडिकल	कैप्टन - ए	18/06/2007	38	26,51,210	भारतीय सेना
37	कर्नल के. पी. एस. हंसपाल	55	आई. एस. सी., बी.ए.	कैप्टन - ए	11/01/2007	33	26,90,240	भारतीय सेना
38	लेफ्ट. कर्नल एस. पी. एस. बरार	47	बी.एस.सी., एन. डी. ए.	कैप्टन - ए	18/06/2007	25	29,78,844	भारतीय सेना
39	कर्नल अरुण कुमार ओपल	60	इन्टरमीडिएट	कैप्टन - ए	21/06/2007	37	29,22,684	भारतीय सेना
40	लेफ्ट. कर्नल वी. सी. काटोस	46	बी.ए., एम.बी.ए., पी.जी.डी.सी.ए.	कैप्टन	09/12/2007	26	24,78,871	भारतीय सेना
41	लेफ्ट. कर्नल एच.एस. उप्पल	60	एम.बी.ए., मास्टर डिप्लोमा इन कम्प्यूटर साइंस	कैप्टन - ए	09/12/2007	36	27,24,371	भारतीय सेना
42	कैप्टन पी. पी. सिंह	62	ए. एन. ए. ई. एस. आई.	कैप्टन - सी	08/04/2008	44	27,53,206	भारतीय वायु सेना
43	कैप्टन वी. के. सीताराम	63	एन. डी. ए.	कैप्टन - ए	01/07/2009	43	22,97,897	भारतीय सेना



क्र. सं.	नाम	आयु (वर्ष)	योग्यता	पदनाम	नियुक्ति की तारीख	अनुभव (वर्ष)	प्राप्त पारिश्रमिक (रुपयों में)	पूर्व नियोजन
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	कर्नल पी. एस. मारवाह	55	बी.ए., एम.बी.ए.	कैप्टन	02/03/2009	33	32,56,631	भारतीय सेना
45	कमांडर ए. पी. सिंह*	47	प्रो. युनिवर्सिटी	वरिष्ठ कमांडर	20/03/1989	21	38,85,171	पटियाला एंविर्णेशन क्लब
46	कमांडर पवन राठोर*	55	एन.डी.ए.	वरिष्ठ कमांडर	24/09/1990	33	35,67,485	भारतीय नौसेना
47	कमांडर वाई. एस. दास	57	बी.ए.	उ.म.प्र.	17/02/1997	36	44,08,675	भारतीय वायुसेना
48	कमांडर पी. के. रुखिआर	45	बी.ए.	कैप्टन	24/09/2007	23	39,50,024	भारतीय सेना
49	कैप्टन. टी. एस. गुलिया	43	डी.एम.एम.ए.	कैप्टन	24/09/2007	19	34,24,991	भारतीय सेना
50	कैप्टन जे. के. मिश्रा	42	बी.ए.	कैप्टन	24/09/2007	21	38,20,455	भारतीय सेना
51	कैप्टन अमिताभ नन्दी	45	एम.एस.सी.	कैप्टन	24/09/2007	25	40,70,118	भारतीय सेना
52	कैप्टन एस. एस. यादव	53	बी.ए. एम.बी.ए.	कैप्टन	24/09/2007	33	36,11,414	भारतीय सेना
53	कैप्टन सी. एस. मन्डेर	44	बी. कॉम.	कैप्टन	01/04/2009	23	27,45,487	भारतीय सेना
54	कैप्टन आर. एस. नन्दल	40	एम.ए.	कैप्टन	01/04/2009	18	29,91,675	भारतीय सेना
55	कैप्टन एम. के. गोगई	53	बी.एस.सी.	कैप्टन	01/04/2009	23	27,84,775	भारतीय सेना
56	कैप्टन एम. एम. श्रीवास्तव	50	बी.ए.	कैप्टन	01/04/2009	20	29,32,771	भारतीय सेना
57	कैप्टन ए. के. गोविल	59	बी.एस.सी.	उ.म.प्र.	20/01/1990	20	44,32,384	भारतीय नौसेना
58	कैप्टन ई. सेमुअल	54	एच.एस.सी.	उ.म.प्र.	20/05/1988	21	36,34,717	एच.आई.ई.टी.
59	कैप्टन एम. वी. अलेक्जेंडर	50	बी.एस.सी.	उ.म.प्र.	14/06/1988	21	37,84,563	प्रथम नियुक्ति
60	कैप्टन सुभाष चन्द्र	58	एच.एस.सी.	उ.म.प्र.	12/12/1996	27	49,28,903	भारतीय वायु सेना
61	कैप्टन रोहित राय	58	एम.एस.सी.	वरिष्ठ कमांडर	20/02/1997	24	38,23,366	भारतीय वायु सेना
62	कमांडर आर. एस. ढांडा	57	एम.एस.सी.	उ.म.प्र.	07/04/1997	26	44,24,905	भारतीय सेना
63	कैप्टन आनन्द मोहन	47	बी.ए.	कैप्टन	22/03/2006	19	35,61,270	भारतीय नौसेना
64	कैप्टन एम. एस. वेइन्स	54	एच.एस.सी.	कैप्टन	01/10/2007	36	37,38,302	भारतीय वायु सेना
65	कैप्टन अमरजीत सिंह	53	एम.एस.सी.	कैप्टन	01/10/2007	25	32,70,403	भारतीय वायु सेना
66	कैप्टन पीटर सेमुअल	29	बी.एस.सी.	कैप्टन	01/04/2006	7	30,30,349	प्रथम नियुक्ति
67	कैप्टन डी. एस. मोखा	65	बी.एस.सी.	कैप्टन	26/11/2007	44	34,99,314	भारतीय नौसेना
68	कैप्टन राजेश खन्ना	55	बी.ए.	कैप्टन	01/12/2007	18	29,56,998	एक्स. डिफेन्स
69	कैप्टन ए. ई. एन. राव	50	बी.एस.सी.	कैप्टन	18/06/2007	29	32,28,424	एक्स. डिफेन्स
70	कैप्टन एलन लुइस	50	प्रो. युनिवर्सिटी	कैप्टन	17/07/2003	28	32,84,377	एक्स. डिफेन्स
71	कैप्टन राकेश गेईन्ड	40	बी.ए.	कैप्टन	28/01/2005	19	42,04,708	भारतीय नौसेना
72	कैप्टन. एस. वी. रमानी	56	बी.एस.सी.	कैप्टन	04/11/2004	37	29,06,193	एक्स. डिफेन्स
73	कैप्टन जे. ए. रोयापन	56	बी.एस.सी.	कैप्टन	11/02/2005	34	35,05,605	भारतीय नौसेना
74	कैप्टन डी. एस. धनोया	63	बी.ए.	कैप्टन	04/04/2006	21	38,91,529	भारतीय सेना
75	कैप्टन आई एम. सिमोस	63	एस.एस.सी.	कैप्टन	01/10/2006	22	41,36,999	भारतीय वायु सेना
76	कैप्टन एस. के. वर्मा	63	इन्टर	कैप्टन	02/01/2007	44	42,81,236	भारतीय वायु सेना
77	कैप्टन अशोक खोसला	62	एन.डी.ए.	कैप्टन	03/10/2007	43	39,05,749	भारतीय सेना
78	कैप्टन हेमांग शुक्ला	49		कैप्टन	20/03/2008	35	29,39,093	एक्स. डिफेन्स
79	कैप्टन वाई. पी. सिंह	61	आई.एस.सी., एन.डी.ए.	कैप्टन	04/08/2008	40	33,58,385	भारतीय सेना
80	कैप्टन नवल कपूर*	54	एम.एस.सी.	कैप्टन	06/10/2008	32	31,83,050	भारतीय सेना

नोट :

- ऊपर दिए गए कर्मचारियों का निदेशकों से कोई सम्बन्ध नहीं है।
- पारिश्रमिक सहित वेतन एवं भत्ते, मैडिकल प्रतिपूर्ति, कम्पनी लीज आवास, वाहन प्रतिपूर्ति तथा वेतन आदि तथा गत वर्षों से सम्बन्धित कुल बकाया भुगतान शामिल है।
- * आंशिक पारिश्रमिक



स्पष्टीकरण विवरण

(कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 173(2) के अनुसार)

पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी तथा ऋण सीमाओं में वृद्धि


1) पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की इक्विटी शेयर पूंजी में वृद्धि

पहंहेलिक की वर्तमान प्राधिकृत पूंजी रु.120 करोड़ है, जिसमें से अभिदत्त पूंजी तथा प्रदत्त पूंजी रु. 113.766 है। अभिदत्त पूंजी में रु.89.266 करोड़ भारत के राष्ट्रपति तथा रु.24.50 करोड़ ओएनजीसी लिमिटेड के नाम पर है। हेलीपोर्ट बनाने हेतु सचिव, नागर विमानन मंत्रालय की अध्यक्षता में ईएफसी का कार्यवृत्त दिनांक 29.03.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं. 17/01/2010-एफआईएन-I के माध्यम से नागर विमानन मंत्रालय ने अग्रेषित किया है। ईएफसी के निर्णय के अनुसार हेलीपोर्ट की परियोजना लागत में पहंहेलिक में सरकार की रु.36 करोड़ इक्विटी समाविष्ट होगा।

संगम ज्ञापन के खण्ड V तथा संगम अनुच्छेद के खण्ड 4 के अनुसार कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी रु.120 करोड़ है, जिसमें से भारत के राष्ट्रपति का अभिदान 51% से कम नहीं होगा तथा शेष

ओएनजीसी लिमिटेड द्वारा अभिदानित होगा। पहंहेलिक की संगम अनुच्छेद 18 के अनुसार “बशर्ते की राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त हो, सामान्य बैठक में कम्पनी की स्वीकृति पर निदेशकों द्वारा शेयर पूंजी को इतनी धनराशि तक वृद्धि की सकती है, जिसे संकल्प में विहित अनुसार इस राशि को शेयर में विभाजित किया जा सके।” संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 20 के अनुसार नए शेयरों द्वारा पोषित पूंजी को मूल पूंजी के अंश के रूप में गिना जाएगा। संगम अनुच्छेद का अनुच्छेद 21 यह भी प्रावधानित करता है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए ऐसे निर्देशों के अधीन, नए शेयरों को वर्तमान शेयर धारकों में समानुपातिक रूप से प्रस्तावित किया जाएगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 04.08.2010 के पत्रांक एवी.30020/017/2007-डीजी के माध्यम से पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के संगम अनुच्छेद के खण्ड-VIII, अनुच्छेद सं. 18 के अनुसार “बशर्ते की राष्ट्रपति जी का अनुमोदन हो, सामान्य बैठक में कम्पनी की स्वीकृति से निदेशक, शेयर पूंजी में इतनी वृद्धि कर सकते हैं तथा संकल्प में विहित अनुसार इस राशि को शेयर में विभाजित कर सकते हैं” अतः पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की सामान्य बैठक में अंशधारकों से सहमति



लेने से संबंधित कार्रवाई करनी होगी तथा इसके पश्चात पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की शेयर पूंजी में वृद्धि करने हेतु राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना होगा।

नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 28.10.2010 के पत्रांक एवी.30020/017/2007-डीजी के माध्यम से यह भी सूचित किया है कि पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की शेयर पूंजी में ओएनजीसी द्वारा वृद्धि करने से संबंधित मामला पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड द्वारा ओएनजीसी के समक्ष रखने पर मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है, जो कि पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड में ओएनजीसी की शेयर पूंजी होगी। तदनुसार पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड ने ओएनजीसी को निवेदन किया है और ओएनजीसी ने इस पर अपनी सहमति दी है कि उनके द्वारा हेलीकॉप्टरों के अर्जन हेतु दिए जाने वाले ऋण (3 डॉफिन एन3 हेलीकॉप्टरों के लिए ओएनजीसी से रु.110 करोड़ प्राप्त हो चुका है) में से रु.95.85 करोड़ को इक्विटी के रूप में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के संगम अनुच्छेद 4 के अनुसार पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड की कुल इक्विटी में ओएनजीसी की शेयर इक्विटी पूंजी 49% हो जाएगी। तदनुसार ओएनजीसी का कुल अंशदान रु.24.50 करोड़ से बढ़कर 120.35 करोड़ (कुल इक्विटी का 49%) हो जाएगा तथा ओएनजीसी का अतिरिक्त अंशदान 95.85 करोड़ होगा। अंशधारक कृपया प्राधिकृत पूंजी रु.120 करोड़ से रु.250 करोड़

की वृद्धि हेतु अनुमोदन प्रदान करें तथा पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के संगम ज्ञापन तथा संगम अनुच्छेद के खण्ड V तथा खण्ड 4 में संशोधन करें। कंपनी अधिनियम के धारा 81ए के अनुसार विशेष संकल्प पारित करके कंपनी के निदेशक मंडल को शेयर धारकों को उनके द्वारा धारित मौजूदा इक्विटी शेयर समानुपात से इक्विटी पूंजी जारी करने तथा रु. 36 करोड़ भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में और रु.95.85 करोड़ ओएनजीसी के पक्ष में जारी करने हेतु प्राधिकृत करें।

- 2) **हेलीकॉप्टरों के अर्जन हेतु कम्पनी की प्रदत्त पूंजी तथा मुक्त आरक्षित से अधिक बाहरी ऋण के माध्यम से वित्तीयन पर विचार तथा अनुमोदन**
- 24.05.2010 को आयोजित 125वीं बैठक में कंपनी के निदेशक मंडल ने हेलीकॉप्टरों के अर्जन के संबंध में बाहरी ऋण की सीमा को रु.406.30 करोड़ अनुमोदित किया था, जो निम्नांकित है :-

(रुप करोड़ में)

आंतरिक						
हेलीकॉप्टर	परियोजना लागत	आंतरिक निधियन	बाहरी निधियन		कुल	
			नाम	राशि		
1	7 अदद डॉफिन एन3	पीआईबी 392.50 रिब. 344.10	69.18	ओएनजीसी	275.00	344.10
2	3 अदद डॉफिन 350 बी3	38.72	38.72	38.72
3	विकल्प खण्ड के अंतर्गत 3 हेलीकॉप्टरों का अर्जन	150.30	19.00	क) एनटीपीसी (1) ख) वित्तीय संस्थान/ बैंक (2)	54.30 77.00	150.30
		533.12	126.82		406.30	533.12




पहंहेलि का 31.03.2010 तक वर्तमान निवल मूल्य लगभग 335.96 करोड़ (प्रदत्त पूंजी रु.113.766 करोड़ एवं आरक्षित रु. 222.20 करोड़) है। नागर विमानन मंत्रालय ने दिनांक 16.07.2010 के पत्रांक एवी.30015/011/2009 के माध्यम से रु.406.30 करोड़ तक का ऋण संबंधी अनुमोदन सूचित किया है। तदनुसार, शेयर धारकों से कम्पनी अधिनियम की धारा 293(1)(घ) की शर्तों के अनुसार कंपनी

की प्रदत्त पूंजी से अधिक ऋण सीमा तथा मुक्त आरक्षित हेतु अनुमोदन के लिए अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त संकल्प के संबंध में कोई भी निदेशक अपनी व्यक्तिगत क्षमता में स्वार्थबद्ध नहीं है। तदनुसार, शेयर धारकों से उपर्युक्त संकल्प का अनुमोदन देने हेतु अनुरोध है।

ANNUAL REPORT
2009-10



PAWAN HANS HELICOPTERS LIMITED

OUR AIM

***MAXIMISE
FLYING WITH
TOTAL
SAFETY
AND
ECONOMY***

CONTENTS

• Board of Directors	4
• Management Team	5
• Notice	6
• Directors' Report	7
• Financial Highlights	21
• Summarized Accounts	23
• Accounts for the Year	24
• Cash Flow Statement	58
• Auditors' Report	59
• Report of the Comptroller & Auditor General of India	66
• Particulars of Employees	67
• Explanatory Statement	69



BOARD OF DIRECTORS



R.K. Tyagi
Chairman-cum-Managing Director



Dr. S. N.A. Zaidi
Director General of Civil Aviation



E.K. Bharat Bhushan
Additional Secretary & Financial Advisor
Ministry of Civil Aviation



Rohit Nandan
Joint Secretary
Ministry of Civil Aviation



Sudhir Vasudeva
Director (Off-shore)
Oil & Natural Gas Corporation Ltd.



AVM M. Bahadur
ACAS (Ops. & T&H)
Air Headquarters



MANAGEMENT TEAM

Chairman Cum Managing Director	Shri R.K. Tyagi
Chief Vigilance Officer	Shri Samir Sahai, I.F.S.
General Manager (Finance & Accounts)	Shri Sanjiv Bahl
General Manager (Engineering)	Shri Deepak Kapoor
General Manager (Operations)	Captain R.P.S. Mahal
General Manager (Infocom Services)	Shri C.P. Singh
Company Secretary & Dy. General Manager (Legal)	Shri Sanjiv Agrawal
Deputy General Manager (Marketing)	Shri Sanjay Kumar
Deputy General Manager (Personnel & HRD)	Shri R.B. Kushwaha
Deputy General Manager (Materials)	Shri S.K. Sharma
Deputy General Manager (Administration)	Wg. Cdr. Sanjay Seth
General Manager (Northern Region)	Shri Sanjiv Bahl
General Manager (Western Region)	Shri Subir Kumar Das

Registered office

Safdarjung Airport
New Delhi -110 003

Corporate office

C-14, Sector-1,
NOIDA-201301

Regional offices

Western Region

Juhu Aerodrome
S.V. Road
Vile Parle (West)
Mumbai-400 056

Northern Region

Safdarjung Airport
New Delhi-110 003

Auditors

M/s. V.K. Verma & Co.
Chartered Accountants
New Delhi

Branch Auditors

M/s. R.B. Jain &
Associates
Chartered Accountants
Mumbai

Bankers

Vijaya Bank
State Bank of India
Punjab National Bank



NOTICE FOR 25TH ANNUAL GENERAL MEETING

**ALL SHAREHOLDERS,
PAWAN HANS HELICOPTERS LIMITED.**

NOTICE is hereby given that the 25th Annual General Meeting of the Company is scheduled to be held on Friday, the 3rd December, 2010 at 12.30 PM at Registered Office of the Company at Safdarjung Airport, New Delhi to transact the following business:-

ORDINARY BUSINESS

1. ADOPTION OF ACCOUNTS

To receive, consider and adopt the audited Balance Sheet as on 31.3.2010, the audited Profit & Loss Account for the year ended on 31st March 2010, along with the Auditors' Report, comments of C&AG thereon and Directors' Report.

SPECIAL BUSINESS

2. INCREASE IN THE AUTHORISED EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

If deemed fit, to pass with or without modification, the following special resolutions for increase in share capital of the Company:-

i) INCREASE IN THE AUTHORISED EQUITY SHARE CAPITAL

"RESOLVED THAT authorized equity share capital of the Company be and is hereby increased from Rs.120 crores to Rs.250 crores by way of issue of 1,30,000 equity shares of Rs.10,000/- each for a total value of Rs. 130 crores.

ii) AMENDMENT IN MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

RESOLVED THAT Clause V of Memorandum of Association of the Company be and is hereby altered so as to substitute the following Clause No.V "The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 250,00,00,000/-(Rupees Two Hundred Fifty crores) divided into 250,000 (Two Lakh Fifty Thousand) equity shares of Rs.10000/- (Rupees Ten Thousand) each."

iii) AMENDMENT IN ARTICLES OF ASSOCIATION OF THE COMPANY

RESOLVED THAT Clause 4 of Articles of Association of Pawan Hans Helicopters Limited be and is hereby altered so as to substitute the following Clause as Clause No.4 " The Authorised Share Capital of the Company is Rs. 250,00,00,000/-(Rupees Two Hundred Fifty crores) divided into 250,000 (Two Lakh Fifty Thousand) equity shares of Rs.10000 (Rupees Ten Thousand) each, of which not less than 51% shall be subscribed by the President of India and the balance shall be subscribed by the Oil and Natural Gas Corporation Ltd."

iv) FURTHER ISSUE OF EQUITY SHARE CAPITAL

RESOLVED THAT pursuant to Section 81 (1A) and other applicable provisions of the Companies Act 1956 and in accordance with the provisions of the Memorandum and Articles of Association of the Company and other rules/regulations/guidelines/notifications/circulars issued from time to time by the Government and other authorities, the Board of Directors of the Company is hereby authorised to issue equity capital of Rs.36 crores comprising of 36,000 equity shares of Rs.10,000/- each in favour of President of India through Ministry of Civil Aviation and Rs.95.85 crores comprising of 95,850 equity shares of Rs.10,000/- each in favour of Oil & Natural Gas Corpn. Ltd.

FURTHER RESOLVED THAT for the purpose of giving effect to issue or allotment of ordinary shares as described above, the Board be and is hereby authorised to do all such acts, deeds, matters and things as it may in its absolute discretion deem necessary to effect the issue and allotment of the shares including to delegate any of the powers herein conferred to any officer of the Company.

3. TO CONSIDER AND APPROVE FINANCING THROUGH EXTERNAL BORROWING BEYOND THE PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES OF THE COMPANY FOR ACQUISITION OF HELICOPTERS.

If deemed fit, to pass with or without modification, the following resolution :-

"RESOLVED THAT pursuant to provisions of section 293 (1)(d), other applicable provisions of the Companies Act, 1956 and Article No.25 & 48 (xiv) of the Articles of Association of the Company, approval of the shareholders is hereby accorded to the Board of Directors of the Company to borrow money beyond the aggregate of the paid up capital of the company and its free reserves (otherwise than in the ordinary course of business) from ONGC, NTPC and Banks/ Financial Institutions upto the limit of Rs.406.30 crores.

BY THE ORDER OF THE
BOARD OF DIRECTORS OF
PAWAN HANS HELICOPTERS LIMITED

NEW DELHI.
November 8, 2010

(Sanjiv Agrawal)
Company Secretary

NOTES:

- A member entitled to attend and vote at the meeting is entitled to appoint a Proxy who need not be a member of the Company to attend and vote instead of himself. Proxies in order to be effective must be deposited at the registered office of the Company not less than 48 hours before the meeting. A blank Proxy Form is enclosed.
- For Special Business regarding increase in share capital and borrowing limits, Explanatory Statement is attached.



DIRECTORS' REPORT

*The Shareholders,
Gentlemen,*



Your Directors have immense pleasure in presenting the Twenty fifth Annual Report of the Company together with the audited accounts and the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year ended on 31st March, 2010.

I. Operations


a) Operational results

The Company was able to secure long-term contracts with Institutional clients mainly in the Oil Industry and Government Sector.

The revenue hours and average monthly deployment of helicopters was as under:-



The overall performance during the financial year 2009-10 has improved over previous year due to increased deployment of helicopters and better fleet serviceability.



b) Fleet Profile

The Company's operational fleet as on 31.3.2010 comprises of the following :-

Helicopter type	No. of helicopters
Dauphin SA365N	18
Dauphin AS365N-3	8
Bell-407	4
Bell 206L4	3
MI-172	2
Total	35

c) Fleet deployment

As on 31.03.2010, the Company had on contract 12 Dauphin helicopters with ONGC for their off-shore task. The Company provided one Dauphin helicopter each to State Governments namely Punjab, Meghalaya, Jharkhand and also to Ministry of Home Affairs. The Company also provided three Dauphin helicopters to the



Dauphin Helicopter performing Off-Shore task for ONGC

Administration of Andaman & Nicobar Islands and two Dauphin helicopter to Lakshadweep. The Company also provided two MI-172 helicopters to State Government of Arunachal Pradesh.

One Bell 206 L4 helicopter was deployed with State Government of Sikkim. One Bell 407 helicopter each was deployed with the State Government of Tripura and with GAIL. The Company runs the helicopter passenger services from Phata to the Holy Shrine of Kedarnath during the May-June and September-October seasons. The Company was able to achieve record revenue from operations at Phata during two seasons, namely May-June and September-October 2009 by carrying 10802 passengers. The Company also operates helicopter passenger services at Mata Vaishno Deviji from Katra to Sanjichat. The operations have been very successful as it carried over 1,24,000 passengers during the financial year 2008-09 and 2,02,624 passengers during the financial year 2009-10. The Company has also succeeded in obtaining award for deployment of 02 helicopters in the year 2010 for Shri Amarnath Shrine Board during the yatra season in July – August 2010.

The Company has undertaken for M/s. Power Grid Corporation of India Ltd. Hotline

Washing of insulators of the power transmission lines for 5 months in 2008 and for 3 months in 2009. These operations were successfully carried out in India for which the Company hired the operational services and washing equipment from abroad.

The Company has also got Operation & Maintenance Contract of 01 Dauphin N3 helicopter of Government of Gujarat, 2 Dhruv helicopters owned by ONGC and 4 Dhruv helicopters owned by BSF (MHA) in 2009 with M/s. HAL.

d) Fleet Augmentation

The Company signed Purchase Agreement for 3 nos. single engine light helicopters (AS 350-B3) on 03.04.2009 with M/s Eurocopter, France and received delivery of the same in July/August 2010. Further, Company also signed Purchase Agreement for 7 nos. twin engine Helicopters with M/s Eurocopter, France on 30.12.2009 and received delivery of 3 Dauphin N3 helicopters in July-September 2010. Agreement has also been signed on 31.07.2010 exercising option clause for 3 additional Dauphin N3 helicopters. The deliveries are being received in a phased manner. The Company has also signed agreement for purchase of 02 heavy duty Mi-172 helicopters with the manufacturer in August 2010. Further, for procurement of



two twin engine light helicopters and two ultra light helicopters for training, global tender bids are being invited.

e) Funding for acquisition of Dauphin N3 fleet.

The Company has signed agreement with ONGC on 13.08.2010 for term loan of Rs.275 crores being 80% of the estimated cost for purchase of 07 new Dauphin N3 helicopters at the rate of interest based on SBI base rate plus 150 basis points, presently 9% p.a. The loan is repayable in 60 monthly installments from the date of drawal of loan for each helicopter. Out of the said loan, ONGC has so far released loan for 03 Dauphin helicopters. Further, your Company has also signed MoU with NTPC for long term lease of a new Dauphin N3 helicopter for 10 years with loan for 100% funding for that helicopter @ 6% p.a. repayable in 10 years.

f) Mid-Life upgrade programme of Dauphin fleet.

With a view to meet the requirements of DGCA and ONGC contract for Aviation Standard-4 (AS-4) compliant helicopters, Retrofit programme for the Dauphin fleet is being undertaken in a phased manner. This retrofit programme has been undertaken for better safety and improved serviceability of Dauphin fleet in view of on-time monitoring of all dynamic components and engines by the technical personnel of the Company. Presently 18 nos. AS-4 complaint Dauphin helicopters after upgrade programme are available.

g) Heliport/Helipad in Delhi and adjoining areas

DDA on 1st June,2009 has allotted 25 acres land near Rohini, New Delhi in the name of Ministry of Civil Aviation for construction of the First Integrated Heliport in the Country and PHHL after deposit of Rs.19.07 crores with DDA took possession of the land on 3rd July, 2009. Feasibility study on development of heliport and other infrastructural facilities was carried out by M/s.RITES and approval of EFC has been obtained for project cost of Rs.64 crores out of which Rs.36 crores will be funded by Government by way of equity contribution to the Company and land cost as Grant-in—aid. Construction of boundary wall has been completed and Helipad is in final stages of completion in Phase-I. Further, DDA has earmarked one hectare land for construction of Helipad at Commonwealth Games Village site near Akshardham, New Delhi and the construction of Helipad and

other infrastructure work was completed before the commencement of Commonwealth Games. The cost of the project will be reimbursed by DDA.

h) Training Academy and Heliport at Hadapsar, Pune

PHHL has proposed to set up a Helicopter Training Academy cum Heliport at the existing Gliding Center. Detailed Project Report has been submitted to Ministry of Civil Aviation and the Ministry has released an amount of Rs.10 crores for the purpose.

i) Increase in Equity Capital

The Ministry of Civil Aviation vide Order No.AV.30020/017/2007-VE(DG) dated 31.03.2010 has decided to contribute equity capital of Rs.36 crores for project cost of Rs.64 crores for Heliport at Rohini. The company has received Rs.15 crores on 31.03.2010 and a further sum of Rs.21 crores on 16th April, 2010 as equity capital contribution. PHHL would be issuing equity shares of Rs.36 crores in favour of President of India after enhancement of the authorized capital from Rs.120 crores to Rs.150 crores for which the formalities are in progress.

With the increase in the paid-up capital by Rs.36 crores, the total equity contribution by Government of India through Ministry of Civil Aviation would be Rs.125.266 crores and ONGC's contribution shall be Rs.24.50 crores.

At the request of PHHL, ONGC has agreed to enhance its equity stake in PHHL upto 49% by converting part loan towards acquisition of new Helicopters to the extent of Rs.95.85 crores into equity. Accordingly, equity of Government of India shall now be 51% and ONGC 49%.

Paid up equity share capital	President of India (Rupees In crores)	%	ONGC Ltd. (Rupees In crores)	%	Total paid-up capital (Rupees In crores)	Total authorized capital (Rupees In crores)
Present paid-up capital	89.266	78.46	24.50	21.54	113.766	120.00
Additional equity contribution	36.00		95.85		131.85	130.00
Total paid - up capital after allotment of additional shares	125.266	51	120.35	49	245.616	250.00





II. Finance

a) Financial Results

Financial performance during the financial years 2008-09 and 2009-10 was as under :

(Rupees/Crores)		
Particulars	2008-09	2009-10
I. Operating Revenue		
- Revenue from Operations	305.93	380.52
- Incidental Revenue	5.01	3.52
Total (I)	<u>310.94</u>	<u>384.04</u>
II. Operating Expenditure		
- Operating Expenditure	254.44	310.38
- Depreciation	36.20	38.21
Total (II)	<u>290.64</u>	<u>348.59</u>
III. Operating Profit (I-II)	20.30	35.45
IV. Interest Income	17.88	12.05
V. Prior Period/Extraordinary Adjustments	9.77	7.64
VI. Profit before Tax	47.95	55.14
VII. Taxes /Deferred Tax Liability	22.83	19.55
VIII. Net Profit after Tax	<u>25.12</u>	<u>35.59</u>



b) Dividend

Your Directors have recommended that in view of significant requirements of funds for Company's growth and diversification, payment of dividend for the financial year 2009-10 may be skipped for utilization of the funds for the ongoing committed capital expenditure programmes. Therefore, no provision for Dividend has been made due to significant cash outflow for the Capital Projects, mainly acquisition of new helicopters and debt-servicing of Loan sanctioned by ONGC. The Company has paid dividend amounting to Rs.11,37,66,000/- @ 10% on the paid up equity capital of Rs.113.766 crores for the previous financial year 2008-09.

c) Claim to Government of India

In respect of pending issue of Government of India claim, the Ministry of Civil Aviation submitted a proposal to Ministry of Finance in December, 2007 that the Government may reconsider the claim by Ministry of Finance and waive off the total amount of Rs.470.22 crores (Principal amount Rs.130.91 crores and interest upto 31.03.2001 Rs.339.31 crores) claimed from the Company so that the existing funds could be utilized for fleet expansion and other capital outlay programmes which are essential for the survival of the Company under the competitive environment prevailing in the Civil Aviation industry in India. The Ministry of Finance has not agreed to this proposal and has advised that the Company be asked to deposit the said amount in Government Treasury. The Board of Directors of the Company in their 115th Meeting held on 21st August 2008 decided that the Company may pursue with the Ministry of Civil Aviation for full waiver of the claim of Ministry of Finance and appointed a Financial Advisor to examine the matter along with other related issues. The Financial Advisors submitted their Report on the impact of claim of GoI on valuation of the Company and recommended some options. According to this Report, payment of the amount claimed by Ministry of Finance is not a viable option for the Company. As



Dauphin Helicopters Fleet ready for Off-Shore operations at Juhu Aerodrome, Mumbai

per the decision of the Board of Directors, the Company has submitted in January, 2009 a draft Note for Committee of Secretaries to Ministry of Civil Aviation seeking waiver of the claim of GoI aggregating Rs.470.22 crores from PHHL. The matter is under consideration of the Government.

The Company had earlier made provision of Rs.339.31 crores upto 31.03.2001 during the

financial years 1999-2000, 2000-01 and 2002-03 towards interest and other charges as claimed by the Ministry of Finance and the same is being carried forward.

III. Engineering / Maintenance Activities

The Company has established state-of-the-art maintenance facilities in Mumbai and New Delhi approved by DGCA for maintenance of its fleet of helicopters. Meticulous



CMD, PHHL receiving excellence Award from M/s Eurocopter, France in the presence of Hon'ble Minister for Civil Aviation, Shri Praful Patel



New Dauphin N3 Helicopter being assembled by PHHL at Juhu Aerodrome

maintenance checks on helicopters are carried out and extensive workshops with in-house facilities provide the back up. Maintenance capability has been upgraded to carry out major 'G' Inspections on Dauphin helicopters totally in-house without any foreign assistance which leads to saving of foreign exchange on account of lower cost of repairs/

inspections. The scope of approval of maintenance facilities at Mumbai have been extended to include 'G' inspection (Airframe overhaul at 6000 hours) on Dauphin N3 helicopters during the year under review. A total of 27 inspections consisting of T/2T/5T(600 hrs./1200 hrs./3000 hrs.) inspection and 2 'G' inspection (5400 hrs.) on Dauphin



Dauphin Helicopter for Medivac operation for ONGC



helicopters were carried out by the Company from within its resources.

The enhancement in workshop facilities is a continuous process with every extension in scope a milestone. During the year in addition to extension in scope to cover 'G' inspections on the Dauphin N3 helicopters, the workshop facilities have extended scope to cover some of the Dauphin N3 instruments for bench check. Further, major maintenance inspections and major component changes of the Bell helicopters at Bases was also continued during the year.

Joint Venture of PHHL and HAL for Operations & Maintenance

PHHL has signed MoU on 23.07.2010 with HAL for setting up a joint venture for operation & maintenance of ALH Dhruv and Chetak & Cheetah helicopters of Defence Forces. The Boards of HAL and PHHL have given in-principle approval for setting up of the said JV. PHHL would approach Ministry of Civil Aviation for approval of the JV shortly. The JV would have a total investment estimated at Rs.84 crores shared on 50:50

between HAL and PHHL and would operate from Delhi, Pune and Cochin.

IV. Materials Management

Materials management directive for better control relating to non-moving inventories was issued. Further by fixing of inventory levels all procurements have been made based on joint review by Engineering and Material Departments and spares are ordered on forecasted projections. During the year the Material Management functions have gone online through integrated computerization. Processing of demand and supply has become efficient. Data has become transparent and available to users across the network in all regions and bases. Inventory management through timely alerts has enhanced the efficacy of supply chain management. Manual on Policies and Procedures for purchase of Goods and Services was issued during the Financial Year.

V. Information System & Technology Plan

In order to implement Information System & Technology Plan in the critical functional areas of Operations, Engineering, Materials



Bell 206L4 Helicopter doing hotline washing for transmission lines of Power Grid



& Finance, the integrated software developed by M/s..Tata Consultancy Services Ltd. would enhance efficiency, effectiveness and customer satisfaction. Further integrated LAN/WAN infrastructure for NOIDA, Safdarjung Airport and Mumbai Offices has been implemented. An integrated Voice Communication for Corporate Office, Regional Offices and Detachments has also been implemented. The Company has also commenced e-ticketing in respect of its passenger services operations for Mata Vaishno Deviji, Kedarnathji and Amarnathji. The Company's new website <http://pawanhans.co.in> has been launched.

VI. ISO 14001 and 18001 Certification

The Company has transited from its Quality Management Systems under ISO 9001:2000 standards to ISO 14001 and 18001 Certification which is known as Integrated Management System covering Environment and Safety aspects.

VII. Human-Resources Development

a) Manpower

The staff strength of regular and direct contractual employees as on 31st March, 2010 was 850 as against 804 as on 31st March 2009.

b) Industrial Relations

Industrial relations during the period continued to be cordial and regular meetings with employee's representative bodies were held. The issues concerning employees were resolved through discussion. Presently, the negotiation on new wage settlement due w.e.f. 1.1.2007 and career progression with non-executive bodies is under way.

c) Training

Training of all employees i.e. Executives, Pilots, Engineers, Technicians and Support staff continued to receive high priority. Lectures on different subjects of Managerial Skills have been conducted regularly. The Company has also been nominating employees to specialized training programmes and in-house training. The

resources of Aviation Training School were utilized for conducting various refresher courses for Pilots, Engineers and Technicians on regular basis. The Company has also undertaken Simulator training for 40 pilots in the last one year at M/s. Helisim, France for Dauphin fleet. Due to a number of retirement / resignation of pilots as well as to meet requirement of fleet expansion, action has been taken for recruitment of experienced and young pilots and their training.

d) Pawan Hans Helicopters Training Institute at Mumbai (PHTI)

The Company has set up in September, 2009 DGCA approved Helicopters Training Institute for technicians and engineers at Mumbai.

e) National Institute of Aviation Safety & Services at Delhi (NIASS)

The Company has started in June 2010 National Institute of Aviation Safety & Services at Delhi for Safety Management System and Safety Awareness in the country. The Institute aims to cater to emerging safety standards and audit compliances in helicopter industry in India and to provide consultancy in conducting audits for various aviation set-ups of PSUs / State Govt. / Pvt. Operators. The Institute would also provide consultancy services to other clients, new start-ups and audits of various helipad / heliport / offshore installations.

f) Equity Contribution in National Flying Training Institute (NFTI) Pvt. Ltd.

AAI and CAE, Canada have set up NFTI at Gondia in which AAI is investing 49% of the total equity of Rs.68 crores and balance by CAE. AAI has proposed to PHHL to invest 10% in the equity of NFTI out of its share and accordingly PHHL would contribute Rs.6.8 crores. So far PHHL has released Rs.2.89 crores and shares for the same has been transferred in the name of PHHL from AAI. Apart from PHHL, NACIL would also contribute in the equity of NFTI. NFTI has already commenced imparting basic pilot licence with fixed wing pilots and expected



to commence courses for training of helicopter pilot in the year 2010-11.

Lease rent to AAI for land/premises.

The Company has been making payments of lease rent/licence fee to Airports Authority of India (AAI) for land/hangar at Juhu Aerodrome, Safdarjung Airport and other places as per the Arbitration award in the year 2003 by Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation. Since a request has already been made to AAI for reasonable increase in lease rent and the matter will be submitted for fresh arbitration award by AS&FA-MOCA for the period beyond the expiry of the earlier lease period of respective premises. Till the next award, PHHL continued to pay at the last lease rent rates as per the earlier arbitration award.

VIII. Board Of Directors

The Board of Directors held four meetings during the year 2009-10. The Board consists of the following members presently as well as during the financial year 2009-10 :-

At present	
Shri R.K. Tyagi	Chairman-cum-Managing
Dr. S.N.A. Zaidi	Director General of Civil Aviation (from 17.11.08)
Shri E.K. Bharat Bhushan	Additional Secretary & FA, MoCA (from 18.02.2009)
Shri Rohit Nandan	Joint Secretary, MoCA (from 28.12.2009)
Shri Sudhir Vasudeva	Director off-shore, ONGC (from 01.02.2009)
AVM M. Bahadur	ACAS (Ops, T&H), Air Force (from 15.01.2009)
Ceased to be Directors	
Shri Alok Sinha	Joint Secretary, MoCA (from 25.05.2009 to 28.12.2009)
Shri Arun Mishra	Joint Secretary, MoCA (from 13.03.2007 to 25.05.2009)

The Board places on record its appreciation of the valuable services rendered by Shri Arun Mishra and Shri Alok Sinha during their tenure on the Board.

The details of attendance of each Director at the Board meetings and last AGM are as under:-

Name of Director	Date of Board Meetings – attended by Directors				AGM attended by the Directors
	05.06.09	11.08.09	23.12.09	17.03.10	
Shri R.K.Tyagi, CMD	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Shri E.K.Bharat Bushan, Director	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Dr.S.N.A.Zaidi, Director	Leave	Yes	Leave	Yes	No
Shri Alok Sinha, Director	Yes	Yes	Yes	-	Yes
Shri Rohit Nandan, Director	-	-	-	Yes	Yes
Shri Sudhir Vasudeva	Leave	Yes	Yes	Leave	Yes
AVM M Bahadur, Director	Yes	Leave	Yes	Leave	Yes

None of the Directors of your Company is disqualified as per provision of Section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956.

IX. Directors' Responsibility Statement

Pursuant to provision of Section 217(2AA) of the Companies Act, 1956, in respect of the Annual Accounts for the financial year ended 31st March, 2010, your Directors have:-

- followed in the preparation of Annual Accounts, the applicable accounting standards and proper explanation relating to material departure if any, have been incorporated.
- selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Company at the end of financial year and of Profit of the Company for that period.
- taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956 for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting fraud and other irregularities ; and



Bell 407 helicopter at Sanjichatt for Shri Mata Vaishno Devi Helicopter Services

- d) prepared the Annual Accounts on a going concern basis.

X. Corporate Governance

The Company has taken initiatives towards Corporate Governance and its practices are valued by various stake holders.

The Company has also adopted Guidelines on Corporate Governance issued by DPE on 06.07.2007. DPE has vide OM dated 14.05.2010 made these guidelines

mandatory and PHHL has implemented the DPE guidelines to the maximum extent possible except with regard to appointment of requisite number of independent directors, which is under consideration of the Ministry of Civil Aviation. The Model Code of Conduct has been approved by the Board of Directors in the 110th meeting and the same has been signed by functional heads and Directors and also posted on website of the Company.



Bell 407 Helicopter doing passenger services for Amarnathji shrine at Baltal



MI-172 Helicopter at Arunachal Pradesh

In line with global practices, the Company has made all information required by stake holders available on Company's Corporate website www.pawanhans.co.in

Audit Committee

In compliance to Section 292(A) of the Companies Act, the Board of Directors had constituted an Audit Committee on 24.05.2001 comprising of its Chairman and two members. The Audit Committee review the financial statements, internal control system, internal auditors report, statutory auditors report, comments of C&AG and hold requisite meetings in a financial year. During the financial year 2009-10, the Audit Committee has held meetings on 11.08.2009 and 23.12.2009. Presently the Audit Committee comprise of Shri E.K. Bharat Bhushan, Additional Secretary & Financial Advisor, Ministry of Civil Aviation as Chairman of the Audit Committee, Shri Rohit Nandan, Joint Secretary, Ministry of Civil Aviation and AVM M. Bahadur, ACAS (Ops, T&H), Air Headquarter as Members.

Details as per requirements of DPE guidelines on Corporate Governance

During the years Annual General Meetings held as follows:-

Annual General Meetings	Time of AGM	Venue of the AGM	Special Resolutions, if any
22 nd Annual General Meeting held on 31.12.2007	12.30 PM	Registered Office at Safdarjung Airport, New Delhi-110003	Nil
23 rd Annual General Meeting held on 30.12.2008	2.30 PM	Registered Office at Safdarjung Airport, New Delhi-110003	Nil
24 th Annual General Meeting held on 23.12.2009	12.30 PM	Registered Office at Safdarjung Airport, New Delhi-110003	Alteraction in main object clause of Memorandum of Association for incorporation of new businesses for AME training institute, safety institute, fixed wing aircraft and sea plane operations and development of helipad/ heliport.
25 th Annual General Meeting to be held on 03.12.2010	12.30 PM	Registered Office at Safdarjung Airport, New Delhi-110003	Increase in Authorised Capital from Rs.120 crores to Rs.250 crores and issue of equity shares in the name of President of India and ONGC.



Presidential Directives

The Presidential directive was issued on 1.5.2009 by Ministry of Civil Aviation regarding revision of pay scales and allowances of Board level and below board level executives.

Reporting of Physical & Financial Performance

Physical & Financial performance for each quarter is finalized and submitted to the Board of Directors. The Company's website publishes official news are regularly and promptly displayed on the Company's website. Details of administrative and office expenses as a percentage of total expenses viz. a viz. financial expenses are 10.5%.

Whistle Blower Policy – A Whistle Blower Policy is being implemented as a voluntary initiative. The policy would ensure that a genuine whistle blower is granted due protection from any victimization. The policy would be available to all employees of the Company and uploaded on the intranet of the Company. No personnel has been denied access to the Audit Committee.

XI. Auditors' Report

The observations made by the Statutory Auditors in respect of the Annual Accounts for the financial year 2000-10 together with replies thereto are appended as Annex-A. (Refer to page 59).

The report of Comptroller and Auditor General of India in pursuance of Section 619(4) of the Companies Act, 1956 is appended as Annexure-B. (Refer to page 66).

XII. Particulars of the employees

Pursuant to section 217 (2A) of the Companies Act, 1956, read with the Companies (Particular of Employees) Amendment Rules, 1988, the required information is appended to this report as Annexure-'C' (refer to page 67).

XIII. Official Language Policy

During the year under review, the Company has made significant progress towards implementation of various provisions of Government's Official Language Policy by celebrating Hindi Day/Week, holding Hindi workshops, granting monetary incentives and issuing bilingual advertisements and compliance to Section 3(3) of Official Language Act, 1963.

XIV. Employment of Persons with Disabilities.

The Company has been following the law regarding Persons for Disabilities Act.

XV. Vigilance

The Company has an independent Vigilance department headed by a Chief Vigilance Officer. Regular inspections, greater interface with the staff and periodic counseling has helped in streamlining procedures and imparting greater transparency and accountability in decision making. A sincere attempt at preventive vigilance has also exerted a healthy influence in promoting ethical work culture, imparting better control and discipline within the system, and in motivating the honest and committed employees. Conscientious functioning of the Vigilance department has added to the efficiency and image of the organization as well as to the code of accountability.

XVI. Emerging Scenario

In the emerging scenario, the Company has opportunities and challenges before itself to be competitive, qualitative and cost effective. Pawan Hans is the largest helicopter Company in India and its operating and maintenance standards are of a high order. The Company's relentless pursuit continued



in achieving excellence by effecting all round improvement in safety and performance. It is time for the Company to capitalize on its strength and skills achieving its aim to become a market leader in Asia, in helicopter operations as well as globally competitive in the repair & overhaul of aviation products.

XVII. Acknowledgements

The Board of Directors deeply appreciates the continued co-operation, guidance and support received from the various Ministries of the Government of India, particularly, the Ministry of Civil Aviation and the Director General of Civil Aviation.

The Board expresses its thanks for the confidence reposed by the Oil and Natural

Gas Corporation Ltd., Various State Governments and other customers and all other stake-holders in the operations of the Company.

The Board also places on record its appreciation of the sincere and devoted services rendered by the employees at all levels for the progress of the Company.

For & on behalf of the
Board of Directors

(R.K. Tyagi)
Chairman cum Managing Director

Date: 3rd December, 2010

Place: New Delhi.



New AS 350B3 Helicopter inducted in PHL's Fleet



MANAGEMENT DISCUSSION & ANALYSIS REPORT

Overview

Helicopter Market Size in India is 268 registered civil helicopters. PHHL owns 41 nos; PSU's/ State Govts. 51 nos. and remaining with Private agencies. There are 6 operators having five or more helicopters in India and PHHL is the largest operator and retains majority market share of commercial operations of helicopters deployed on long term basis. Pawan Hans Helicopters Limited (PHHL) is the country's largest helicopter operator.

Since October, 1986 Pawan Hans has been providing helicopter support for offshore operation of ONGC for carrying its men and vital supplies round the clock to drilling rigs situated in Bombay off-shore platforms. PHHL operates to ONGC's Rigs (mother platforms and drilling rigs) and production platforms (wells) within a radius of 130 nm. from the main land at Mumbai.

The Company achieved flying of more than 5.13 lakhs hours and 19 lakhs landings on its fleet since its formation.

The staff strength as on 31st March, 2010 was 850 as against 804 as on 31st March 2009. The manpower comprise of 148 flying crew, 87 engineers, 5 flight engineers, 49 executives, 236 technicians and 325 support staff.

PHHL's operations are spread throughout the Indian subcontinent with its registered office and Northern Region office at Safdarjung Airport, Corporate Office at Noida and Western Region office at Juhu Aerodrome, Mumbai. For ONGC off-shore operations PHHL provide helicopter services with 15 Dauphin helicopters from Juhu Aerodrome, Mumbai. For non-oil Sector PHHL operates from bases at Kavarati, Chandigarh, Guwahati, Itanagar, Port Blair, Gagtok, Agartalla, Ranchi, Katra, Baroda, Ahmedabad, Patna and Nazira.

In order to strengthen its position in the Offshore Sector, PHHL would further sharpen its offshore skills in production task, Deep sea exploration, Search & Rescue Operations etc. PHHL also would strengthen its position in On-shore Sector by deploying helicopters with State Governments, Heli-tourism and religious areas, EMS, Law enforcement, News-gathering, etc. PHHL would also make efforts for getting more and more Maintenance and operation contract (with customer owned helicopters), setting up of MRO, Sea Planes Operations, Hotline Washing Operations etc.

Mission Statement

"to become a market leader in Asia in helicopter operation and provide repair/overhaul services of helicopter components/ assemblies at par with international standards."

Role of PHHL in the Oil and Gas Industry

The petroleum and natural gas sector constitutes over 15 per cent of the GDP. The Government has awarded a large number of oil and gas exploration blocks under the New Exploration Licensing Policy. The allocation brought in investments worth several billion US\$.

Internal control systems and Adequacy

The Company has a proper and adequate system of internal control to ensure that all activities are monitored and controlled against unauthorized use or disposition of the assets and the transactions are authorized, recorded and reported correctly.


Corporate Social Responsibility and Sustainability (CSRS)

The Company has in September 2010 framed Corporate Social Responsibility and Sustainability (CSRS) Policy based on the guidelines framed by Department of Public Enterprises. The Company would meet the target of spending amount on CSR as per the MoU for the year 2010-11.




FINANCIAL HIGHLIGHTS (For 2009-10)


Source of Income



Cost Structure




Manpower Profile







Net Profit & Operating Profit




Flying Hours



Revenue



Fixed Assets





SUMMARISED ACCOUNTS

		(In Rs./Crores)			
		2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
RESOURCES					
Net Worth		350.96	300.37	288.56	279.79
Deferred Tax Liabilities		77.21	67.06	50.38	47.48
Total		428.17	367.43	338.94	327.27
UTILISATION OF RESOURCES					
Fixed Assets (Including Capital WIP)		749.62	745.29	681.07	546.25
Less : Depreciation		283.01	250.47	215.37	191.00
Net Fixed Assets		466.61	494.82	465.70	355.25
Investment		2.89	-	-	-
Working Capital		(42.41)	(133.53)	(137.97)	(27.98)
Miscellaneous Expenditure		1.08	6.14	11.21	-
Total Capital Employed		428.17	367.43	338.94	327.27
EARNINGS					
Revenue from Operations		384.04	310.94	220.11	208.83
Interest Income		12.05	17.88	23.30	24.96
Total		396.09	328.82	243.41	233.79
OUTGOINGS					
Employee Cost		109.64	81.13	71.20	59.03
Insurance		7.67	6.56	5.48	5.42
Maintenance & Materials		130.04	109.36	68.06	77.32
Fuel		21.23	21.66	16.89	21.24
Other Expenditure & Provisions		41.81	35.73	21.91	17.37
Depreciation		38.21	36.20	30.36	25.67
Total		348.60	290.64	213.90	206.05
Profit for the year before Extraordinary/ Prior period Adjustments		47.49	38.18	29.51	27.74
Prior period/Extraordinary adjustments		7.65	9.77	0.66	(9.13)
Profit before Tax		55.14	47.95	30.17	18.61
Provision for Taxation		9.40	5.50	3.00	0.40
Fringe Benefit Tax		-	0.65	0.55	0.43
Deferred Tax Liability		10.15	16.68	3.45	8.26
Net Profit after Tax		35.59	25.12	23.17	9.52
Dividend Paid		-	11.38	11.38	9.10
Significant Ratios					
a) Net Profit Ratio	$\frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Total Revenue}}$	9.0%	7.6%	9.5%	4.1%
b) Return on Investment	$\frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Capital Employed}}$	8.3%	6.8%	6.8%	2.9%
c) Return on Net Worth	$\frac{\text{Net Profit after Tax}}{\text{Net Worth}}$	10.1%	8.4%	8.0%	3.4%
d) Debt Collection Period (months)	$\frac{\text{Operational debtors}}{\text{Avg. monthly Op. Rev.}}$	3.5	3.3	4.2	3.6
e) Inventory Turnover (months)	$\frac{\text{Year end Inventory}}{\text{Avg. monthly Op. Rev.}}$	2.1	2.4	2.0	2.0
f) Current Ratio	Current Assets : Current Liabilities	0.9:1	0.8:1	0.8:1	0.9:1



ACCOUNTS



SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. FIXED ASSETS / DEPRECIATION

- (a) Fixed Assets are stated in the Balance Sheet at actual cost less depreciation.
- (b) Cost of mid-life up-gradation programme (including type certification costs)/major retrofit of the helicopter fleet is capitalized.
- (c) Depreciation is provided on straight line basis at the rates prescribed under Schedule XIV of the Companies Act, 1956 unless the useful life of the asset warrants higher rate of depreciation. In case of acquisition of second hand helicopters and aero-engines, depreciation is provided at a rate so as to write off 95% of the cost of such assets over the balance specified life as technically evaluated by the management subject to the minimum charge as per the statute rate. In the case of MI-172 helicopters, taking into consideration the life limitation of 12,000 hours or 25 years hither to 7000 hours or 15 years, whichever occurs first, depreciation is provided at the minimum rate of 5.60% per annum, for upto 480 flying hours each year and for additional hours flown depreciation is charged on the basis of actual hours flown in excess of 480 hours multiplied by the hourly rate computed by dividing 95% of the original cost by 12,000 hours for each helicopter.
- (d) Depreciation on Airframe and Aero-engine equipment-Rotables and cost of mid-life upgradation programme (including type certification costs) /major retrofit of the Helicopters is computed on straight line basis in a manner so as to write-off the 95% of the amount thereof over the remaining useful life of the principal asset (type of helicopters) to which they pertain,

subject to a minimum charge as per the statute rate. In respect of Mi-172 helicopters the depreciation on airframe and aero engine rotables is derived on the basis of annual average maintenance flying hours of the fleet and the remaining useful life in flying hours of the least flown helicopter at the commencement of the financial year. For this purpose, the remaining useful life of the last batch of helicopters (in case of Dauphin N since these constitute significant strength of the fleet) or latest helicopter (in the case of other fleet) is considered. Effective from the financial year 2006-07, the useful life of helicopters is enhanced to 30 years or 25000 hours, whichever is later (other than Mi-172 helicopters for which there is a life limitation as explained above) based on technical estimates and the disposal policy evolved by the Company. Hitherto, the useful life of helicopters was considered as 20 years or 16,000 hours, whichever is later. Items scrapped under these heads are written off on FIFO basis. Rotables related to Westland Helicopters fleet continue to be classified as "inventory" as the full book value has been provided.

- (e) Cost of leasehold land is amortized over the period of lease. Similarly the cost of residential flats constructed under joint development agreement with AAI is amortized over the period of right to possess the property as per the terms of such agreement.
- (f) Translation differences relating to liabilities in foreign exchange for acquisition of fixed assets are adjusted to the original cost of the asset and depreciation on the revised un-amortized depreciable amount is provided prospectively



over the residual specified period of the asset. The policy was followed upto 31/3/2007.

- (g) Assets of material value retired from active use and held for disposal are stated at the lower of their net book value or net realizable value (wherever available) and disclosed separately in the Accounts. No depreciation is provided on such assets (including Westland helicopters and related items w.e.f. financial year 1995-96).
- (h) Depreciation in respect of additions or deletions of helicopters / spare aero engines is made on a pro-rata basis, effective from / to the date of acquisition (being the date of Certificate of Airworthiness in India for helicopters) / disposal. Depreciation in respect of all other fixed assets is reckoned on a pro-rata basis. The effective date for the purpose of such other assets is taken as the first day of the month following the month of purchase of the item. Likewise, in respect of deletions, last day of the preceding month of the deletion of such an asset is considered for providing pro-rata depreciation. Gains and Losses arising from the retirement or disposal of assets are credited / charged to the Profit and Loss Account.
- (i) Assets having unit value of Rs. 5,000 or less are depreciated @ 100 % in the year of purchase.

2. *INVESTMENTS*

Investments are stated at cost less interim payments, if any, received. However, in respect of investments whose redemption value is different than the acquisition cost, the difference between the acquisition cost and redemption value of the investment is amortised on time basis over the period from the acquisition date to the redemption date. The amortised amount for the year is shown as "Profit/Loss on investments"

with corresponding adjustment in the cost of such investments.

3. *TRANSACTION IN FOREIGN CURRENCIES*

- a) Transactions in foreign currency relating to purchase of fixed assets, goods and services are accounted for at the rate of exchange prevailing on the date of transaction as provided by the principal banker of the Company. Similarly, transactions in foreign currency relating to services provided by the Company are accounted for at the rate of exchange prevailing on the date of transaction which in this case is considered as the last date of the respective month.
- b) At the year-end, monetary assets and liabilities are translated at the year end exchange rate whereas non-monetary items are reported at historical rates.
- c) Losses or gains due to exchange fluctuations arising due to restatement of monetary assets or liabilities or on settlement of foreign exchange transactions are transferred to the Profit and Loss Account of that year.

4. *INVENTORIES*

- a) Inventory consisting of helicopter spares and consumable stores are stated at cost using the moving weighted average method. Items of spares and stores lying on the shop floor at the year end are also considered as part of closing inventory.
- b) Loose/test tools are valued at cost less financial write-offs. Loose tools/test tools are amortised equally over a period of 3 financial years including the year of purchase and stated accordingly. Items scrapped under these heads are written off on FIFO basis



- c) Stores and Spares the landed unit value of which, is less than Rs.1,000 and all items of consumables, oil, greases, lubricants are expensed in the year of purchase.
- d) Goods despatched by the suppliers by 31st March of each year but not received by the Company are accounted for as Goods in transit. However, the repair/overhaul charges in respect of Goods in transit being returned after repairs are accounted for by a corresponding debit to the "Maintenance expenditure in the Profit & Loss Account " of the year itself.
- e) Provision is made in the accounts on moving weighted average basis for non-moving items of stores, spares and consumables (other than ground support and test equipments, and maintenance tools) which have not been issued for actual use for three consecutive years from the date of last transaction.
5. *LIABILITIES*
- a) Provision is made in the accounts for all known liabilities existing on the date of balance-sheet. Liabilities not known or liabilities whose amount cannot be determined with any reasonable degree of accuracy are not provided for. Further, liability for goods or repairs/overhaul charges is made in the accounts for goods despatched by the suppliers by 31st March of each year but not received by the Company as at the year end, based on manufactures advice / engineering estimates.
- b) Claims on suppliers / outside parties are accounted for on acceptance by such parties. Claims of suppliers / outside parties/customers are accounted for on settlement basis.
- c) No provision for accrued expenses/ liabilities is made in the accounts where the individual transaction is less than Rs. 5,000.
6. *PREPAID EXPENSES*
- Prepaid expenses which are individually less than Rs. 5,000 are not accounted for.
7. *MAINTENANCE EXPENDITURE OF HELICOPTERS*
- Effective from F.Y 2006-07 Maintenance expenditure of helicopters is accounted as on incurred basis.
8. *REVENUE RECOGNITION*
- a) Revenue from helicopter operations is recognized on accrual basis as per the terms of the contract.
- b) Income from engineering and other services is recognized when the corresponding services are completed.
- c) Revenue from Sale of scrapped Assets/Stores is recognized on actual realization.
9. *INTEREST / INCOME FORM INVESTMENTS*
- Interest / yield accruing on Deposits / Investments with banks / others is accounted for on proportionate basis upto the end of the financial year at the applicable interest / yield rates.
10. *FUEL*
- Expenditure on Aviation Turbine Fuel is fully charged to Profit and Loss Account in the year of purchase and no cognizance is taken of stock, if any, of fuel in helicopters as at the end of the financial year.
11. *INSURANCE / INSURANCE CLAIMS*
- a) The Company has opted for separate schemes of Self Insurance in respect of Technical Personnel. A Self-Insurance reserve for Rs.40 lacs was created in this regard. Any compensation payable under the schemes is charged to expenditure for the year with a corresponding transfer from the Self-Insurance reserve to the Profit and Loss Account.



- b) Insurance Claims other than those relating to the helicopters and inventory are accounted for on cash basis and recognised as income except where payable to any third party.
- c) All helicopter and inventory related claim recoveries other than the total loss are accounted for in the year of lodging the final claim upon establishing the virtual certainty of admittance of claim by the insurance surveyor/insurance company at the estimated/ finally assessed value which is known before the close of Books of Accounts of such financial year, otherwise in the year of admittance of the claim. The actual expenditure on repairs as also the total Insurance claim realized are accounted for in Profit & Loss Account and the assets are carried forward at their book values.
- d) In the case of total loss of helicopter, adjustment is made in the year of event taking place by reducing the written down value of the helicopter from the fixed assets and reflecting the same as "Insurance Claim Receivable Account" and appropriate adjustment is made to the "Profit / Loss on Insurance Claim on destruction of Assets", when the value of claim is admitted / settled by the insurance company.

12. GRATUITY

Gratuity is accounted for on actuarial valuation basis and the amount due for the year is transferred to a separate recognised Gratuity Trust

13. INTANGIBLE ASSETS

- a) Initial training expense for newly recruited pilots, which qualify as intangible asset within the meaning of Accounting Standard-26, are amortized over the useful life of such intangible asset. Other training

expense are charged off to the revenue account in the year in which they are incurred.

- b) Costs of software purchased/ developed in-house exceeding Rs. 5 lacs each is amortized over a period of 60 months on straight line basis from the date of successful commissioning of the software, subject to review at each financial year end. Software costing upto Rs. 5 lacs each are charged off to Revenue in the year of purchase.

14. EMPLOYEE BENEFITS

Provision for Leave salary/baggage Allowance / Post Retirement Medical Benefits and Leave Travel Concession benefit is accounted for on the basis of actuarial valuation.

15. PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

Amounts pertaining to income or expenditure which arise in the current period that could have been reasonably estimated in earlier years but remained unaccounted due to errors or omissions are reflected as prior period items.

16. SUNDRY DEBTORS / ACCOUNTS RECEIVABLE

- a) Debts recoverable from outside parties and outstanding for more than three years are considered doubtful and provided for unless specifically known to be doubtful prior to this period.
- b) Unadjusted / unclaimed credit balances relating to outside parties and outstanding for more than three years are written back and treated as income.

17. BORROWING COSTS

- a) Borrowing cost that is directly attributable to acquisition, construction or production of qualifying assets is capitalized upto the time the asset gets ready for its intended use.



- b) Borrowing cost other than stated above is treated as period cost and changed to the Profit & Loss Account.

18. TAXES ON INCOME

Current tax is determined as the amount of tax payable in respect of taxable income for the year. Additional demands of Income Tax raised in the Assessment are provided in the year of finality of Assessments. Accordingly, the interest on Income Tax refunds is accounted for in the year of finality of Assessments or actual receipt whichever is later. The deferred tax charge or credit due to timing differences between the Book Profits and Tax Profits is recognized using the rates and laws that

have been enacted or substantially enacted as on the Balance Sheet date. Deferred Tax assets are recognized only to the extent there is reasonable certainty of realization in future. Such assets are reviewed as at each Balance Sheet date to reassess realization. Where there is unabsorbed depreciation or carry forward losses, deferred tax assets are recognized only if there is virtual certainty of realization of such assets supported by convincing evidence.

19. CASH FLOW STATEMENT

Cash Flow Statement is prepared under the indirect method prescribed under "Accounting Standard 3 on Cash Flow Statement" issued by The Institute of Chartered Accountants of India.



BALANCE SHEET

As at 31st March, 2010

	Schedule	31st March, 2010	31st March, 2009
<i>(In Rupees)</i>			
I SOURCES OF FUNDS			
1. Shareholders' Funds			
Capital	1	1,13,76,60,000	1,13,76,60,000
Advance against equity shares, pending allotment	2	15,00,00,000	-
Reserves & Surplus	3	<u>2,22,19,53,729</u>	<u>1,86,60,67,637</u>
		3,50,96,13,729	3,00,37,27,637
2. Deferred Tax Liability (Net)	4	<u>77,21,01,593</u>	<u>67,05,68,030</u>
Total (I)		<u><u>4,28,17,15,322</u></u>	<u><u>3,67,42,95,667</u></u>
II APPLICATION OF FUNDS			
1. Fixed Assets			
A. Assets under Active Use			
Gross Block		7,11,87,76,690	6,69,77,24,868
Less : Depreciation Fund		<u>2,83,01,25,402</u>	<u>2,50,46,56,551</u>
Net Block		4,28,86,51,288	4,19,30,68,317
B. Assets retired from Active Use and held for disposal/Impaired Assets			
Gross Block		62,51,07,349	62,51,07,349
Less : Depreciation Fund		52,96,88,433	52,96,88,433
Less : Provision for loss on disposal/ Impairment		<u>9,54,18,916</u>	<u>9,54,18,916</u>
Net Block		-	-
C. Assets currently not in Active use			
Gross Block		2,75,93,114	38,24,63,052
Less : Depreciation Fund		<u>2,62,13,458</u>	<u>5,02,24,054</u>
Net Block		13,79,656	33,22,38,998
D. Capital Work in Progress		<u>37,60,22,861</u>	<u>42,28,50,085</u>
		4,66,60,53,805	4,94,81,57,400
3. Investments	6	2,89,33,530	-
4. Current Assets, Loans, and Advances			
Inventories		68,69,02,563	63,03,76,490
Sundry Debtors		1,13,03,42,642	86,09,32,321
Cash & Bank Balances		1,25,84,19,443	1,50,92,41,266
Loans & Advances		<u>2,04,52,05,501</u>	<u>1,34,94,86,762</u>
		5,12,08,70,149	4,35,00,36,839
Less:			
Current Liabilities & Provisions	8		
Liabilities		5,13,38,69,402	5,23,47,89,044
Provisions		<u>41,10,46,727</u>	<u>45,05,38,024</u>
		5,54,49,16,129	5,68,53,27,068
Net Current Assets		(42,40,45,980)	(1,33,52,90,229)
3. Miscellaneous Expenditure (to be extent not written off or adjusted)		1,07,73,967	6,14,28,496
Total (II)		<u><u>4,28,17,15,322</u></u>	<u><u>3,67,42,95,667</u></u>
Contingent Liabilities & Notes to Accounts	14		-

Statement on Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Accounts. As per our report of even date attached.

For V.K.Verma & Co.
Chartered Accountants

V.Kumar
Partner
(M.No.- 503826)

R.K. Tyagi
Chairman-Cum-Managing Director

Sanjiv Agrawal
Company Secretary & DGM (Legal)

E.K. Bharat Bhushan
Director

Sanjiv Bahl
General Manager (F&A)

Place : New Delhi.
Dated : 20th September, 2010



PROFIT AND LOSS ACCOUNT

For the year ended 31st March, 2010

	Schedule	31st March, 2010	31st March, 2009
I INCOME			
Helicopter Hire Charges		3,72,97,18,406	3,07,16,08,587
Less: Deduction for non-provision of Helicopters(AOG)		<u>4,45,30,930</u>	<u>6,08,16,059</u>
		3,68,51,87,476	3,01,07,92,528
Interest Income	9	12,05,37,282	17,87,92,040
Other Income	10	<u>15,52,03,847</u>	<u>9,85,68,078</u>
Total		<u>3,96,09,28,605</u>	<u>3,28,81,52,646</u>
II EXPENDITURE			
Helicopter Maintenance Expenditure		1,15,84,72,772	88,52,62,879
Helicopter Operational Expenditure	11	40,54,14,024	42,49,87,096
Employees' Remuneration & Other Benefits	12	1,09,64,44,624	81,13,12,033
Insurance		7,67,04,242	6,55,84,035
Depreciation	5	38,20,60,906	36,20,03,592
Other Expenses	13	<u>36,68,53,338</u>	<u>35,72,30,550</u>
Total		<u>3,48,59,49,906</u>	<u>2,90,63,80,185</u>
III Profit for the year before extraordinary/ Prior Period Items		47,49,78,699	38,17,72,461
Extraordinary Items	14	7,04,59,964	9,80,37,555
Prior Period Adjustments	15	<u>59,80,992</u>	<u>(3,48,275)</u>
Profit for the year before Tax		55,14,19,655	47,94,61,741
Provision for Taxation (including Wealth Tax/MAT)		9,40,00,000	5,50,00,000
Fringe Benefit Tax		-	65,00,000
Deferred Tax Liability		<u>10,15,33,563</u>	<u>16,67,57,966</u>
Net Profit After Tax		35,58,86,092	25,12,03,775
Profit brought forward from the previous year		<u>1,65,70,67,637</u>	<u>1,53,89,64,394</u>
Profit available for appropriation Appropriations		<u>2,01,29,53,729</u>	<u>1,79,01,68,169</u>
Proposed Dividend		-	11,37,66,000
Corporate Tax on Dividend		-	1,93,34,532
Profit Carried over to Balance Sheet		<u>2,01,29,53,729</u>	<u>1,65,70,67,637</u>
		<u>2,01,29,53,729</u>	<u>1,79,01,68,169</u>
Earnings Per Share (Basic & Diluted) (Face value Rs.10,000/- each)		3,128	2,208

Contingent Liabilities & Notes to Accounts 14

Statement on Significant Accounting Policies and the Schedules referred to above form an integral part of the Accounts. As per our report of even date attached.

For **V.K.Verma & Co.**
Chartered Accountants

V.Kumar
Partner
(M.No.- 503826)

Place : New Delhi.
Dated : 20th September, 2010

R.K.Tyagi
Chairman-Cum-Managing Director

Sanjiv Agrawal
Company Secretary & DGM (Legal)

E.K. Bharat Bhushan
Director

Sanjiv Bahl
General Manager (F&A)



SCHEDULE 1 CAPITAL

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
AUTHORISED CAPITAL		
1,20,000 Equity Shares of Rs. 10,000/- each	1,20,00,00,000	1,20,00,00,000
ISSUED, SUBSCRIBED & PAID-UP		
1,13,766 Equity Shares of Rs. 10,000/- each, fully paid-up	1,13,76,60,000	1,13,76,60,000
Total	1,13,76,60,000	1,13,76,60,000

SCHEDULE 2 ADVANCE AGAINST EQUITY SHARES, PENDING ALLOTMENT

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
President of India	15,00,00,000	-
Total	15,00,00,000	-

SCHEDULE 3 RESERVES & SURPLUS

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
1. Self Insurance Reserve		
Opening Balance	40,00,000	40,00,000
Add: Addition during the year	-	-
	<u>40,00,000</u>	<u>40,00,000</u>
Less: Utilised during the year	-	-
	<u>40,00,000</u>	40,00,000
2. General Reserve		
Opening Balance	20,50,00,000	20,50,00,000
Add: Addition during the year	-	-
	<u>20,50,00,000</u>	<u>20,50,00,000</u>
Less: Utilised during the Year	-	-
	<u>20,50,00,000</u>	20,50,00,000
3. Profit & Loss Account	<u>2,01,29,53,729</u>	1,65,70,67,637
Total	<u>2,22,19,53,729</u>	<u>1,86,60,67,637</u>



SCHEDULE 4 DEFERRED TAX LIABILITY

	31st March, 2010	31st March, 2009
<i>(In Rupees)</i>		
1. Deferred Tax Liability		
Tax Arising on Account of Timing Difference		
- Accumulated Depreciation	94,38,48,190	82,07,88,583
Gross Deferred Tax Liability	<u>94,38,48,190</u>	<u>82,07,88,583</u>
2. Deferred Tax Assets		
Tax Arising on Account of Timing Difference		
- Provision for Employee Benefits	12,99,02,553	10,78,97,004
- Provision for Non-moving Inventories	3,21,93,518	3,04,63,548
- Provision for doubtful debts/advances including Interest accrued	96,50,526	1,18,60,001
Gross Deferred Tax Assets	<u>17,17,46,597</u>	<u>15,02,20,553</u>
Net Deferred Tax Liability	<u>77,21,01,593</u>	<u>67,05,68,030</u>



SCHEDULE 5 FIXED ASSETS

GROSS BLOCK

Sl. No.	Particulars	Balance as at 1st April, 2009	Additions during the year	Deletions / Adjustments during the year	As at 31st March, 2010
A. Assets Under Active Use					
1	Land - Leasedhold	58,90,935	-	-	58,90,935
2	Buildings	32,70,51,628	29,73,108	-	33,00,24,736
3	Helicopters & Aero-Engines	4,29,39,60,834	10,74,62,289	-	4,40,14,23,123
4	Airframe & Engine Equipment Rotables	1,74,94,42,154	30,25,77,250	5,26,31,082	1,99,93,88,322
5	Workshop & Ground Support Equipment	21,27,35,026	4,42,02,172	5,13,935	25,64,23,263
6	Training Aid Equipment	22,69,885	-	-	22,69,885
7	Air Conditioning	79,30,989	8,72,690	-	88,03,679
8	Electrical Installations	85,32,543	22,04,326	-	1,07,36,869
9	Furniture & Fixures	1,93,20,714	43,18,461	-	2,36,39,175
10	Office Equipment	1,18,52,782	41,88,716	-	1,60,41,498
11	Vehicles	1,39,49,872	5,61,090	47,780	1,44,63,182
12	Computers	24,411,969	48,84,517	-	2,92,96,486
13	Capitalised Software	1,82,77,378	-	-	1,82,77,378
14	Communication Equipment	20,98,159	-	-	20,98,159
Grand Total		6,69,77,24,868	47,42,44,619	5,31,92,797	7,11,87,76,690
Previous Year		6,06,19,68,492	65,10,10,631	1,52,54,255	6,69,77,24,868
B. Assets Retired from Active Use and held for Disposal/Impaired Assets					
1	Helicopters & Aero-Engines	57,78,07,818	-	-	57,78,07,818
2	Airframe & Engine Equipment Rotables	48,54,343	-	-	48,54,343
3	Workshop & Ground Support Equipment	3,12,53,717	-	-	3,12,53,717
4	Training Aid Equipment	41,25,207	-	-	41,25,207
5	Electrical Installations	6,67,996	-	-	6,67,996
6	Furniture & Fixures	34,06,217	-	-	34,06,217
7	Office Equipment	29,92,051	-	-	29,92,051
Grand Total		62,51,07,349	-	-	62,51,07,349
Previous Year		67,29,35,527	-	4,78,28,178	62,51,07,349
C. Assets Currently not in Active use					
	Helicopters & Aero-Engines	38,24,63,052	-	35,48,69,938	2,75,93,114
Previous Year		38,24,63,052	-	-	38,24,63,052



DEPRECIATION

NET BLOCK

Upto 31st March, 2009	For the Year	Deletions / Adjustments	As at 31st March, 2010	(In Rupees)	
				W.D.V. as at 31st March, 2010	W.D.V. as at 31st March, 2009
12,40,955	65,455	-	13,06,410	45,84,525	46,49,980
9,56,42,585	1,38,06,627	-	10,94,49,212	22,05,75,524	23,14,09,043
1,61,29,67,941	22,54,52,971	75,88,542	1,83,08,32,370	2,57,05,90,753	2,68,09,92,893
67,22,19,076	12,10,34,115	4,84,94,419	74,47,58,772	1,25,46,29,550	1,07,72,23,078
6,68,22,562	1,04,83,621	4,63,705	7,68,42,478	17,95,80,785	14,59,12,464
15,23,194	99,202	-	16,22,396	6,47,489	7,46,691
34,90,928	3,94,109	-	38,85,037	49,18,642	44,40,061
63,63,340	2,28,986	-	65,92,326	41,44,543	21,69,203
1,12,09,520	15,19,032	-	1,27,28,552	1,09,10,623	81,11,194
54,07,638	8,31,260	-	62,38,898	98,02,600	64,45,144
46,60,130	11,77,643	45,389	57,92,384	86,70,798	92,89,742
1,51,35,840	33,32,823	-	1,84,68,663	1,08,27,823	92,76,129
72,53,735	35,35,400	-	1,07,89,135	74,88,243	1,10,23,643
7,19,107	99,662	-	8,18,769	12,79,390	13,79,052
2,50,46,56,551	38,20,60,906	5,65,92,055	2,83,01,25,402	4,28,86,51,288	4,19,30,68,317
2,15,36,62,489	36,20,03,592	1,10,09,530	2,50,46,56,551	4,19,30,68,317	
50,50,45,725	-	-	50,50,45,725	7,27,62,093	7,27,62,093
40,72,124	-	-	40,72,124	7,82,219	7,82,219
1,31,94,495	-	-	1,31,94,495	1,80,59,222	1,80,59,222
18,90,720	-	-	18,90,720	22,34,487	22,34,487
5,72,702	-	-	5,72,702	95,294	95,294
31,44,451	-	-	31,44,451	2,61,766	2,61,766
17,68,216	-	-	17,68,216	12,23,835	12,23,835
52,96,88,433	-	-	52,96,88,433	9,54,18,916	9,54,18,916
55,27,57,588	-	2,30,69,155	52,96,88,433	9,54,18,916	
5,02,24,054	-	2,40,10,596	2,62,13,458	13,79,656	33,22,38,998
5,02,24,054	-	-	5,02,24,054	33,22,38,998	



SCHEDULE 6 INVESTMENTS

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
Investment in Equity Capital of National Flying Training Institute, Gondia, Maharashtra	2,89,33,530	-
Total	<u>2,89,33,530</u>	<u>-</u>

SCHEDULE 7 CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
Current Assets, Loans & Advances		
A. Current Assets		
I) Inventories \$ (Certified and valued by Management)		
a) At Cost		
Stores & Spares	80,05,88,732	73,47,38,424
Less: (i) Provision for Non moving Stores & Spares	(9,47,14,676)	(8,96,25,032)
(ii) Provision for Impairment in value	<u>(4,53,13,528)</u>	<u>(4,53,13,528)</u>
	66,05,60,528	59,97,99,864
Goods in Transit	2,15,59,745	2,56,26,044
b) At Cost Less Written Off		
Repairables & Rotables	15,75,56,671	15,75,56,671
Less: (i) Obsolescence Reserve	(14,36,26,262)	(14,36,26,262)
(ii) Provision for Impairment in value	<u>(1,39,30,409)</u>	<u>(1,39,30,409)</u>
	-	-
Gem Modules	5,01,37,213	5,01,37,213
Less: (i) Obsolescence Reserve	(4,47,21,331)	(4,47,21,331)
(ii) Provision for Impairment in value	<u>(54,15,882)</u>	<u>(54,15,882)</u>
	-	-
Test Tools Equipment	3,75,04,578	3,35,27,161
Less: Written Off	<u>(3,27,22,288)</u>	<u>(2,85,76,576)</u>
	47,82,290	49,50,582
Training Material	27,17,193	27,17,193
Less: Written Off	<u>(27,17,193)</u>	<u>(27,17,193)</u>
	-	-
Sub Total (I)	<u>68,69,02,563</u>	<u>63,03,76,490</u>

\$ Inventories include Westland items aggregating Rs.27.32 crores (P.Y. Rs.27.32 crores) at cost, book value Rs.6.47 crores (P.Y.Rs.6.47 crores), retired from active use and held for disposal against which the Company is carrying a corresponding provision towards impairment in value as stated above in order to reflect the inventories at lower of cost or net realisable value.(Refer Note No.4 of the Notes to Accounts).

Contd.....



	31st March, 2010	31st March, 2009
<i>(In Rupees)</i>		
II) Sundry Debtors (Unsecured)		
Debts Outstanding for more than six months		
a) Considered Good	30,71,29,229	51,05,63,532
b) Considered Doubtful	2,00,92,770	1,91,11,673
Other Debts, Considered Good	82,32,13,413	35,03,68,789
	<u>1,15,04,35,412</u>	<u>88,00,43,994</u>
Less: Provision for Doubtful Debts	<u>(2,00,92,770)</u>	<u>(1,91,11,673)</u>
Sub Total (II)	<u>1,13,03,42,642</u>	<u>86,09,32,321</u>
III) Cash & Bank Balances		
Cash in Hand	21,42,418	19,47,763
Balances with Scheduled Banks		
Current Accounts	28,13,00,188	20,01,00,354
Deposit Accounts	93,28,10,573 *	1,26,38,47,582 *
* (Including under lien Rs. 27.41 crores P.Y. Rs. 33.02 crores)		
Interest Accrued on Deposits	4,21,66,264	4,33,45,567
Sub Total (III)	<u>1,25,84,19,443</u>	<u>1,50,92,41,266</u>
Total (A)	<u>3,07,56,64,648</u>	<u>3,00,05,50,077</u>
B. Loans & Advances (Unsecured unless otherwise stated)		
Advances Recoverable in cash or in kind or for value to be received		
a) Considered Good *		
i) Advances to Capital Suppliers	57,89,69,440	5,24,847
ii) Other Advances	1,40,20,78,119	1,28,97,18,003
b) Considered Doubtful	<u>82,99,484</u>	<u>1,57,80,944</u>
	1,48,93,47,043	1,30,60,23,794
Less: Provision for Doubtful Advances	<u>82,99,484</u>	<u>1,57,80,944</u>
	1,98,10,47,559	1,29,02,42,850
* (Including Loans & Advances to staff secured by Assets Rs. 7.76 cores; P.Y. Rs. 7.55 crore) and Deposits made under protest with Income Tax Deptt. Rs. 70.16 crore, (P.Y. Rs. 90.15 crores) refer Note no. 2(C) of Notes to Accounts.		
Loans to Public Sector Undertakings		
i) Considered Good	-	-
ii) Considered Doubtful	7,25,00,000	7,25,00,000
	<u>7,25,00,000</u>	<u>7,25,00,000</u>
Less: Provision for Doubtful Loans	<u>7,25,00,000</u>	<u>7,25,00,000</u>
	-	-
Prepaid Expenses	3,75,71,853	3,33,97,270
Security Deposits	2,65,86,089	2,58,46,642
Sub Total (B)	<u>2,04,52,05,501</u>	<u>1,34,94,86,762</u>
Total (A+B)	<u>5,12,08,70,149</u>	<u>4,35,00,36,839</u>



SCHEDULE 8 CURRENT LIABILITIES & PROVISIONS

	31st March, 2010	31st March, 2009
<i>(In Rupees)</i>		
Current Liabilities & Provisions		
A. Current Liabilities		
Amount claimed by Central Government		
- Principal Amount	1,30,91,03,140	1,30,91,03,140
- Interest/Other Charges	3,39,31,18,827	3,39,31,18,827
	<u>4,70,22,21,967</u>	<u>4,70,22,21,967</u>
Sundry Creditors	18,80,41,186 *	32,17,51,323 *
Advance from Customers	2,50,61,647	5,66,41,408
Other liabilities	21,85,44,602	15,41,74,346
	<u>43,16,47,435</u>	<u>53,25,67,077</u>
Sub Total (A)	<u>5,13,38,69,402</u>	<u>5,23,47,89,044</u>
* Amount due to Micro & Small Enterprises : Nil		
B. Provisions		
Proposed Dividend	-	11,37,66,000
Corporate Tax on Dividend	-	1,93,34,532
Employee Benefits	41,10,46,727	31,74,37,492
	<u>41,10,46,727</u>	<u>45,05,38,024</u>
Sub Total (B)	<u>41,10,46,727</u>	<u>45,05,38,024</u>
Total (A+B)	<u>5,54,49,16,129</u>	<u>5,68,53,27,068</u>

SCHEDULE 9 INTEREST INCOME

	31st March, 2010	31st March, 2009
<i>(In Rupees)</i>		
Interest Income from Deposits with Banks [TDS Rs. 1.63 crores ; P.Y.Rs. 3.17 crores]	10,47,09,105	14,84,30,193
Interest on Loans to Employees	33,30,941	35,47,003
Other Interest Income	1,24,97,236	2,68,14,844
	<u>12,05,37,282</u>	<u>17,87,92,040</u>
Total	<u>12,05,37,282</u>	<u>17,87,92,040</u>



SCHEDULE 10 OTHER INCOME

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
Operations & Maintenance Contracts	12,00,08,714	4,85,37,273
Provisions No Longer Required	1,49,02,893	3,00,98,500
Profit on Sale of Assets	16,77,793	74,86,170
Miscellaneous Income	1,86,14,447	1,24,46,135
Total	15,52,03,847	9,85,68,078

SCHEDULE 11 HELICOPTER OPERATIONAL EXPENDITURE

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
Fuel Expenses	19,12,55,024	20,47,47,254
Landing, Parking and other Expenses	2,10,24,106	1,18,90,333
Liquidated Damages	8,19,40,571	10,71,99,902
Equipment/Specialists Hire Charges	1,93,04,210	3,71,65,354
Commercial expenses	3,19,07,860	2,22,56,564
Other Operating Expenses	20,30,033	12,15,126
Freight,Transportation & Cartage	63,75,447	43,97,697
Storage, Handling & Demurrage Charges	1,07,17,813	76,51,942
Rotables, Stores & Spares Written Off	2,09,89,514	71,43,207
Provision for Non-Moving Inventory/Life Expired Items	49,94,627	9,77,007
Exchange Rate Fluctuations (Net)	1,48,74,819	2,03,42,710
Total	40,54,14,024	42,49,87,096



SCHEDULE 12 EMPLOYEES' REMUNERATION & OTHER BENEFITS

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
Salaries, Wages & Other Benefits	89,84,56,894	70,89,58,406
Staff Welfare	1,31,42,436	1,03,11,231
Provident & Gratuity Funds	12,21,27,485	2,52,04,963
Other Staff Expenses	6,27,17,809	6,68,37,433
Total	<u>1,09,64,44,624</u>	<u>81,13,12,033</u>

SCHEDULE 13 OTHER EXPENSES

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
Repairs and Maintenance		
Building	1,41,09,099	1,70,40,386
Equipment	42,72,295	14,64,587
Others	<u>1,27,51,910</u>	<u>65,60,326</u>
	3,11,33,304	2,50,65,299
Rent	4,06,11,248	3,54,70,706
Travelling & Conveyance	15,23,19,325	13,43,77,192
Staff Training	3,92,10,846	5,41,63,161
Bank Charges	61,60,426	89,47,121
Electricity & Water	1,31,12,118	1,27,25,200
Telephone & Postage	90,36,083	98,41,947
Advertisement & Publicity	2,32,94,009	2,14,56,201
Printing & Stationery	66,75,270	60,79,974
Vehicle Running & Maintenance	23,57,362	20,27,230
Auditors Remuneration		
- Audit Fees	5,36,709	4,67,187
- Other Expenses	<u>55,000</u>	<u>50,000</u>
	5,91,709	5,17,187
Rates and Taxes	1,20,62,853	84,83,408
Loss on Sale of Assets	-	2,58,164
Amount Written off	-	14,53,894
Less: Provision for doubtful Debts	<u>-</u>	<u>-</u>
Net Amount Written off	-	49,666
Provision for Doubtful Debts & Advances	25,21,773	93,67,421
Miscellaneous Expenses	<u>2,77,67,012</u>	<u>2,84,00,673</u>
Total	<u>36,68,53,338</u>	<u>35,72,30,550</u>



SCHEDULE 14 EXTRAORDINARY ITEMS

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
A. Credits		
Surplus on Settlement of Insurance Claims	7,04,59,964	9,80,37,555
Total	<u>7,04,59,964</u>	<u>9,80,37,555</u>
B. Debits	-	-
Total (B)	<u>-</u>	<u>-</u>
C. Net Credit/(Debits) (A-B)	<u>7,04,59,964</u>	<u>9,80,37,555</u>

SCHEDULE 15 PRIOR PERIOD ADJUSTMENTS

	31st March, 2010	(In Rupees) 31st March, 2009
A. Credits		
Depreciation	1,13,06,826	-
Capitalisation of expenses	-	28,94,091
Other Items	27,55,012	9,09,418
Total (A)	<u>1,40,61,838</u>	<u>38,03,509</u>
B. Debits		
Repair & Maintenance Expenses (Net)	12,06,858	-
Billing /Claim on customer for earlier years	10,70,099	40,52,461
Other Items	58,03,889	99,323
Total (B)	<u>80,80,846</u>	<u>41,51,784</u>
C. Net Credit/(Debits) (A-B)	<u>59,80,992</u>	<u>(3,48,275)</u>



SCHEDULE 14

CONTINGENT LIABILITIES AND NOTES TO ACCOUNTS

(Annexed to and forming part of the Annual Accounts for the year ended 31st March, 2010).

1. Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances paid) and not provided for Rs 323.73 crores (P.Y. Rs. 3.16 crores).

2. *Contingent Liabilities*

a) Counter guarantees given to Bank Rs 20.23 crores (P.Y.Rs.15.92 crores).

b) Outstanding letters of credit Rs. 30.09 crores (P.Y. Rs. 21.44 crores).

c) Claims against the Company not acknowledged as debt :

i) Income tax demand for earlier years contested by the Company and under appeal Rs. 55.47 crores (P.Y.Rs. 54.88 crores) against which the Company has deposited under protest/adjusted against refund due from Tax department up to 31.03.10, in aggregate Rs.70.16 crores (P.Y. Rs. 90.15 crores) relating to that period. Amounts deposited with Tax Department (net of tax provision) have been shown as Advances recoverable.

ii) Court cases/ cases under Arbitration Rs 9.59 crores (P.Y. Rs.10.50 crores).

iii) Other matters Rs 5.09 crores (P.Y. Rs. 4.70 crores)

3. *Claim of Government of India*

3.1 The Government had decided in June, 1986 to provide full amount as Equity Capital towards the project cost for acquisition of 42 numbers Westland and Dauphin helicopters. However, as the budgetary support received by the Company was significantly lower than the project cost, it was unable to settle the claim of GOI. The Ministry of Finance claimed interest

@ 18% p.a. on the outstanding dues which presently are Rs.130.91 crores (principal amount).

3.2 During the Financial year 2003-04, the Ministry of Civil Aviation submitted a proposal to Ministry of Finance which envisaged payment by the Company of total amount of interest and other charges claimed on Dauphin and Westland fleet till 31.3.2001 aggregating Rs.339.31 crores (interest on dues from 01.04.2001 till date be written off) and the Principal amount of Rs.130.91 crores be converted into equity of the Government in the Company. The proposal was agreed by Ministry of Finance. The Company had accordingly made provision of Rs. 339.31 crores upto 31.3.2001 during the financial years 1999-2000, 2000-01 and 2002-03 towards interest and other charges as claimed by the Ministry of Finance and the same is being carried forward.

3.3 The Ministry of Civil Aviation submitted a revised proposal to Ministry of Finance in December, 2007 that the Government may reconsider the claim by Ministry of Finance and waive off the total amount of Rs. 470.22 crores (principal amount Rs. 130.91 crores and interest upto 31.03.2001: Rs. 339.31 crores) claimed from the Company so that the existing funds could be utilized for fleet expansion and other capital outlay programmes which are essential for the survival of the Company under the competitive environment prevailing in the Civil Aviation industry in India. The Ministry of Finance has not agreed to this proposal and has advised that the Company be asked to deposit the said amount in Government Treasury. The Board of Directors of



the Company in their 115th Meeting held on 21/08/2008 decided that the Company may pursue with the Ministry of Civil Aviation for full waiver of the claim of Ministry of Finance and appointed a Financial Advisor who would examine the matter alongwith other related issues. The Financial Advisors submitted their Report on the impact of claim of GOI on the valuation of the Company and recommended some options. As per the Report, payment of GOI claim is not a viable option for the Company.

As per the decision of the Board of Directors, the Company has submitted in January,2009 a draft Note for the Committee of Secretaries to Ministry of Civil Aviation seeking waiver of the claim of GOI aggregating Rs. 470.22 crores from PHHL. The matter is under consideration of the Government.

4. *Disposal of Westland assets*

4.1 The Government conveyed its decision on 18th January 1993 that the entire Westland fleet, together with the related inventory may be offered for sale through global tender and that the sale proceeds may be made available for utilization on poverty alleviation programmes in mutual consultation between the Governments of India and UK. However, consequent to an unfavorable response to such global tender, the Government permitted the Company on 12th May 1994 to dispose off the Westland assets through negotiations with parties which may be interested in their purchase. The Government also appointed a Steering Committee to oversee the disposal of Westland assets.

4.2 Pending disposal of the Westland helicopters (including one damaged helicopter) and the related inventory, these assets were stated at their book value aggregating Rs. 22.39 crores.

The Company had in the earlier years, as a matter of abundant caution, made a provision of Rs.22.39 crores equivalent to the book value against possible losses on disposal of Westland assets. After adjusting the book value of Rs.7.23 crores relating to disposal of such assets in 1999-2000, the residual provision of Rs.15.16 crores is being carried forward.

4.3 During the financial year 1999-2000, the Company had entered into an agreement with a UK firm with Government approval for sale of Westland assets as a package deal for a lump sum price of Pounds Sterling 9,00,000. It was agreed that the entire package should be lifted in not more than two consignments with payments corresponding to the approximate value of the consignment shipped. The first shipment was dispatched in December 1999 and the Company had realized sale consideration of Pounds Sterling 4,50,000 (Rs.3.22 crores) in January 2000, which was immediately deposited with the Government of India as per directions of the Administrative Ministry. The shipment also included some essential components of Westland helicopters, which are presently in custody of the Company. The second shipment could not be dispatched in view of dispute created by the Buyer. The Company has initiated Arbitration proceedings against the Buyer in terms of the agreement for specific performance and recovery of damages for violation of various contractual obligations.

It has also come to light that the Buyer (M/s AES Aerospace Ltd, UK) had been ordered to be wound up by order of the Court in U.K. in 2002 and an official Receiver was appointed . The Company has been legally advised that despite such winding up order, the Arbitration



proceedings should be continued. Pending settlement, the Company has not accounted for such dues and the same will be accounted for as and when realized / settled.

- 4.4 Necessary accounting adjustment relating to the Westland assets sold (Cost Rs. 51.46 Crores, W.D.V. Rs. 7.23 crores) during the financial year 1999-2000 was passed in the Books of Accounts of that year, treating the transactions carried out under first shipment as a completed sale. In the absence of complete quantitative details of inventory items sold and those lying at the Warehouse in Mumbai (refer Para 4.5 below), the figures have been considered on provisional basis, subject to further reconciliation. The cost of inventory items sold is computed on FIFO basis. As the contract for sale of Westland assets is on lump-sum price basis, the loss on disposal of such items has been determined by deducting the aggregate written down value of the 9 helicopters, test bed and inventory items sold under first shipment from the sale consideration of Pounds Sterling 4,50,000/- (Rs.3.22 crores) in the absence of item-wise sale price and the same was accounted for during the financial year 1999-2000.
- 4.5 Part of the Westland inventory items while under transfer during the financial year 1999-2000 from the Delhi office to Mumbai office of the Company by the appointed transporter of the Buyer were diverted under the instructions of the Buyer and are presently lying in the custody of the Warehouse at Mumbai. The estimated initial acquisition cost of Westland inventory including capital items lying at Warehouse is Rs.32.50 crores (written down value- Rs.4.50 crores). The Company has initiated necessary legal action against the Buyer (refer para 4.3 above) for such

diversion. The Warehouse has claimed Rs 3.97 crores (P.Y Rs.3.63 crores) which in term of the Agreement is required to be settled directly by the Buyer. The Company had in December, 2002 obtained an interim injunction from the Delhi High Court restraining the Warehousing company from disposing of the goods for settling its claim. The Hon'ble Single Judge of Delhi High Court on 22.04.2008, delivered judgment in favour of the Company for taking back the possession of Inventory items from the Warehouse Company without any claim of Warehouse Company on the Company. Against the said judgment the Warehouse Company preferred an appeal in Division Bench of Delhi High Court which had also in the judgment dated 11.08.2008 upheld the judgment of Single Judge of the High Court in favour of the Company. The SLP filed by the Warehouse Company has also been dismissed by the Supreme Court of India. Further, as an abundant caution, the claim is shown under Contingent Liabilities till the items are received by the Company. Such items along with the remaining inventory items lying with the Company (which are kept in sealed boxes but not physically verified during the year) together forming part of the second shipment have been carried forward as per the book value (Rs.6.47 crores) though fully provided as per para 4.2 above.

5. Residential Flats/Quarters

- 5.1 The Company had constructed and capitalized 242 flats during 2002-03 at a cost of Rs. 22.76 crores on land given by Airport Authority of India (AAI) for a period of 25 years. The Company has allotted 50 flats out of 242 flats to AAI as per Joint Development Agreement in lieu of lease rentals for the said land and the cost of construction of these 50 flats as estimated by the project architect amounts to Rs. 5.95 crores.



- 5.2 The Company had purchased 6 nos. residential flats for the employees from MHADA, Mumbai in May, 1998. Although the possession was taken based on the letter of allotment, the Company had on provisional basis made provision for stamp duty and registration charges and the same is subject to final payment on the execution of the appropriate conveyance deed in favour of the society. Since some of the Societies in the buildings have gone into litigation against MHADA in Mumbai High Court on the issue of differential pricing, therefore, the conveyance deed could not be executed as the amount cannot be determined at this stage.
- 5.3 The Company had purchased 42 nos. of residential flats in the year 1991-1992 for employees from Lokhandwala Construction Industries Limited, Mumbai. The Board of Directors of the Company have approved for renting out these flats to Public Sector Undertakings (PSUs) and accordingly, 41 flats have been let out on rental basis to Union Bank of India w.e.f. 23rd July 2008.
6. *Loans to Public Sector Undertakings*
- The Company had made unsecured inter-corporate loans in the earlier years 1991 - 1992 to M/s Hindustan Photo Films Mfg. Co. Ltd. (HPF), a Central PSU, with interest rate of 20% p.a compounded / payable quarterly. The balance principal amount aggregates to Rs. 7.25 crores. However, HPF was unable to meet its contractual obligation to repay the loans with interest in view of adverse financial conditions HPF was declared sick and registered with BIFR. The Company had filed its claim with BIFR for protection of its dues. In January, 2003 BIFR issued recommendations for winding-up, against which HPF and its Administrative Ministry had preferred an appeal before AAIFR. Pending settlement and the negative net worth of HPF, the Company has not accounted

for interest income from such loan for the financial year under review and the same will be accounted for as and when settled/realized. Accordingly, the profit for the year is lower by an amount of Rs. 1.56 Crores (P.Y. Rs. 1.56 crores).

As a matter of abundant caution, the Company has already made provision of Rs.7.25 crores against the aggregate principal amount in the earlier years, which is being carried forward.

7 *Fixed Assets*

Midlife upgradation programme of Dauphin Fleet

7.1 With a view to conform to the Aviation Standard (AS 4) requirements of the new ONGC contract, Dauphin fleet of the Company is undergoing Mid Life Upgrade Programme, a major retrofit project which will improve the safety and quality of output, resulting in better availability of fleet to the customers. M/s. Eurocopter has supplied Retrofit Kits to the Company for the Dauphin helicopters and the retro-fitment of these will be completed by the Company in a phased manner. In this respect the Company entered into contracts with M/s. SOFEMA, France being the authorized representative of M/s. Eurocopter. The retrofit package that will form an integral part of the Dauphin Helicopter, is fully compliant with JAR OPS3 standards. Such betterment would upgrade the Company's Dauphin fleet to latest off shore standards and which in turn will extend the utilization period of this fleet resulting in future economic benefit to the Company.

During the financial year under review, the Company has made 2 Dauphin helicopters AS4 compliant. The cost of man-hours incurred amounting to Rs. 0.55 crore has been capitalized.

7.2 Fixed Assets includes Rotables and Repairables (Gross Value)



amounting to Rs 25.14 crores (P.Y. Rs.43.63 crores) sent abroad for repairs but lying with repair agencies as at 31st March'2010. However, most of the items have been received back by the company after 31st March 2010 duly repaired.

8. Depreciation

8.1 The Rotables being capital machinery spares are classified as Fixed Assets and Depreciation charged thereon. The depreciation in respect of Rotables and major modification cost as capitalized is linked to the remaining useful life of the principal assets to which they pertained i.e. the type of helicopters, subject to the minimum charge as per statute rate of depreciation. For the purposes of depreciation in respect of Rotables and major modification cost as capitalized, the useful life of helicopters was extended with effect from financial year 2006-07 to 30 years or 25,000 hours, whichever is later based on technical grounds as advised by the manufacturer.

The Expert Advisory Committee of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) has opined that the Rotables are in the nature of general spares to be treated as Inventory and not as capital spares and that the useful life of helicopters cannot be more than the useful life determined by applying the Depreciation Rate prescribed under Schedule XIV to the Companies Act. The Institute has suggested as an alternate that the Company may adopt the approach of recognizing rotables as independent fixed assets based on 'Components approach' and the depreciation on such spares should then be charged on the basis of the useful life of spares itself, which in any case cannot be more than the specified period as per Schedule -XIV.

The Company is of the opinion that Rotables are capital spares and

Depreciation should be charged on them and major modification cost by linking them to the useful life of helicopters and the same is in conformity with the provisions of Accounting Standard AS 6, paras 9 & 11 and 23 & 24 and the Guidance Note on Accounting for depreciation issued by ICAI, subject to the minimum charge as per statute rate of depreciation. For this purpose the useful life of the principal asset can be different from its specified life. In the present case the helicopter has been depreciated over its specified period of 17 years though its useful life is more than such specified period. Same principle has been followed in depreciating rotables etc. by applying the principle that they should be depreciated over the specified life which should not be more than their useful life, which in the present case is considered same as that of the helicopter. The Company's Accounting Policy is an improvement over the views expressed by Expert Advisory Committee of ICAI to the extent that rotables shall be depreciated at higher of the rates specified in the Companies Act (5.6% p.a.) or rate of depreciation which would write off 95% of the value of rotables etc. over the remaining extended useful life of the helicopter. In the opinion of the Company this accounting treatment is in conformity with AS-2, AS-6 & AS-10 read with ASI-2. The above accounting treatment is being followed by various International Airlines and Air India and accepted by Auditors.

8.2 In order to align the existing Accounting Policies with mandatory accounting standards and to frame the appropriate depreciation policy for Mi-172 helicopters the accounting policy for the F.Y. 2009-10 has been changed to " In the case of Mi- 172 helicopters taking into consideration



the life limitation of 12000 hours or 25 years, whichever occurs first, depreciation is provided at the minimum rate of 5.60% p.a. As a result of this change the depreciation on the rotables for the Current Year 2009-10 has been charged @ 11.03% instead of 53.70% and accordingly the profit for the year has gone up by Rs. 0.82 crore (P.Y. Nil).

9. *Inventories*

9.1 On a review of inventory of non-moving stores, spares and consumables, provision of Rs 0.50 crores (P.Y. Rs. 0.10 crores) has been made during the year under review for such items as per the Accounting Policy.

9.2 The Company purchases spare parts from some parties on "High Sea Sales" basis who imports goods on behalf of the Company. The quotation is received in foreign currency, however, the payments are released in Indian rupees. For the purpose of payment in Indian rupees, the bill selling rate of Euro on the date of Invoice as notified by Vijaya Bank is taken as the basis.

9.3 In terms of para no. 3 of our Significant Accounting Policies relating to transaction in Foreign Currency, losses and gains due to exchange fluctuations arising out of :

- a) re-statement of liabilities on account of outstanding payments for purchase of fixed assets and inventories; and
- b) the difference in the monetary value of the payment made on the date of settlement and the monetary value on the date of passing ownership of the fixed assets and inventories imported, are recognized as 'profit or loss' on account of foreign exchange fluctuation and transferred to Profit & Loss account.

10. The Indian Oil Corporation (IOC) account in respect of purchase of ATF at Northern Region shows net

balance of Rs 0.14 crore (Credit); P.Y. Rs. 1.13 crore (debit) for ATF purchased in the earlier years. While doing a detailed reconciliation, it was observed that certain unlinked transactions stated to be pertaining to the Company were identified in IOC books for earlier years, namely difference in opening balance, supply to the Company not booked by IOC, un-linked payments in IOC books, payments by the Company not taken into account by IOC and unlinked supplies for which supporting documentation could not be furnished by IOC. The Company has, however, scrutinized the subsequent period till the finalization of Accounts to account for any outstanding IOC bills received since the year end and has also broadly reconciled its actual fuel consumption with the flying hours. Accordingly, no cognizance has been taken in respect of such outstanding entries in IOC statement for accounting action. Matter has been taken up by the Company with IOC at the highest level and the reconciliation is in progress. Necessary rectification entries, if any, will be passed when requisite information is made available to the Company by IOC. However, IOC's excess claim of Rs. 0.03 crores (i.e. Rs. 0.17 crores in IOC books and Rs. 0.14 in PHHL books) reflected as receivable from PHHL is considered as Contingent Liability after considering the security deposit of Rs. 2.91 crores against the total outstanding of Rs. 3.08 crores at the year end as per IOC books of accounts.

11. *Mobilisation of Helicopters under ONGC Contract*

ONGC had awarded contract to the Company for provision of 12 AS4 compliant Dauphin helicopters. The contract is for a period of 3 years



extendable at the option of ONGC by one year. As per the contract, the company was required to deploy the helicopters within 150 days of the issue of LOI dated 01/03/2006. In case of delay in mobilization of these helicopters, ONGC would levy liquidated damages (LD) as per the terms of the contract, keeping in view total value of the contract for a period of 3 years.

The Company could not provide requisite number of AS4 compliant Dauphin helicopters by the stipulated date and had sought extensions of time without levy of LD. However, ONGC had granted the extensions but with levy of LD. The Company has in a phased manner fulfilled the contractual requirement of deploying helicopters by 31/12/2007.

In the meantime, ONGC started recovering the LD as per the terms of contract from payments made under the new contract. However, based on the request of the Company, ONGC had stopped such recovery of LD on account of delayed mobilisation of AS4 compliant Dauphin helicopters. The total LD thus recovered by ONGC works out to Rs.14.94 crores. The Company has taken up with ONGC the matter regarding refund of LD recovered.

The Company is of the view that the LD recovered from payments made under the new contract on account of delayed mobilization / induction of contracted 12 no. AS4 helicopters at the time of commencement of contract is in the nature of preoperative "Contractual LDs" which are distinct from "Operational LDs". The latter relates to non provision of helicopters on day-to-day basis and is accounted for on the specific dates to which they pertain. Accordingly, as the Contractual LD actually recovered by ONGC, relates to the entire contract period of 3 years and the total contract value thereof, the amount of LD recovered by ONGC is being spread uniformly over 3 years period commencing w.e.f. 01/01/2008 with financial year 2007-08 considered as the first year and remaining amount

of Rs. 4.52 crores has been charged to Profit and Loss Account in the financial years 2008-09 and 2009-10.

12. Confirmation for balances as at 31st March 2010 from Sundry Debtors and Loans and Advances/ Deposits were circulated but response received was limited. However, in most of the cases the debts / advances, other than those provided for, have since been realized / adjusted.

13. *Employee Remuneration and other benefits*

- 13.1 In view of the revision of pay scales and allowances of employees due w.e.f. 01.01.2007, an ad-hoc provision of Rs 25.10 crores (P.Y.Rs. 21.11 crores) has been made for the period from 1st April 2009 to 31st March 2010 for regular as well as contractual employees. During the year F.Y. 2009-10, orders dated 06.05.2009 were issued for revision of the pay scales of Executives w.e.f. 01.01.2007 based on the Presidential Directives issued by MoCA. While pay scales have been revised for Executives, revision of allowances and other benefits are under consideration. Pay scales and allowances for other categories of employees is under discussion with the Guilds / Unions. A sum of Rs 21.04 crores (P.Y. Rs. 22.08 crores) including arrears of pay upto 31.03.2010 in respect of executives has been paid/ adjusted during the financial year under audit out of the total ad-hoc provision and the balance provision of Rs 19.28 crores (P.Y. Rs. 15.22 crores) is being carried forward for payment / adjustment in the subsequent period.

- 13.2 As per Accounting Policy, the Company provides for Gratuity and Leave salary, LTC, Retirement benefits like Baggage Allowance and Post Retirement Medical Benefits Scheme on the basis of actuarial valuations as per AS 15(Revised) and the same has been debited to LTC and Baggage Allowance / Provision for Pay Arrears in the



Profit & Loss A/c are given below :-

(Fig. in Rs./Crores.)

Particulars	Opening Liability as on 31.03.2009	Created/ Adjusted during the Year	Closing Liability as on 31.03.2010
Gratuity Liability	13.24	9.12	22.36
Earned Leave	7.33	2.67	10.00
Half Pay Leave	6.07	(0.55)	5.52
Post Retirement Medical Benefit Scheme	2.04	0.31	2.30*
LTC	0.99	0.03	1.02
Baggage Allowance upon Retirement	0.10	0.01	0.11

* subject to adjustment of prorata premium of Rs. 0.05 crores paid to Insurance Co.

The present value of obligation is determined based on actuarial valuation using the Projected Unit Credit Method, which recognizes each period of service as giving rise to additional unit of employees benefit entitlement and measures each unit separately to build up the final obligation. The following table summarizes the component of the various employees benefits and the components of net benefit expenses recognized in the Profit and Loss Accounts :-

(Fig. in Rs/ Crores.)

Particulars	Leave Encashment (EL & HPL) as on 31.03.2010 (Non-funded)	Baggage Allowance/ LTC/PRMBS as on 31.03.2010 (Non-funded)	Gratuity as on 31.03.2010 (funded)
A) Changes in Present Value of Obligation			
(i) Present value of obligation as at the beginning of the period (01.04.2009)	13.40	3.13	13.24
(ii) Interest Cost	1.01	0.23	0.99
(iii) Past Service Cost	-	-	9.01
(iv) Current Service Cost	1.10	0.61	1.32
(v) Curtailment / Settlement cost	-	-	-
(vi) Benefits paid	(1.12)	(0.45)	(0.65)
(vii) Actuarial (gain) / loss on obligation (Balancing figure)	1.13	(0.09)	(1.55)
(viii) Present value of obligation as at the end of the period (31.03.2010)	15.52	3.43	22.36
B) Changes in fair value of plan assets			
(i) Fair Value of plan assets as at the beginning of the period (01.04.2009)	-	-	14.38
(ii) Expected return on plan assets	-	-	1.13
(iii) Contributions	-	-	6.24
(iv) Benefits paid	-	-	(0.65)
(v) Actuarial gain / (loss) on obligation	-	-	0.15
(vi) Fair value of plan assets as at the end of the period (31.03.2010)	-	-	21.25
C) The amounts to be recognized in the balance sheet			
(i) The present value of obligation as at the beginning of the period (31.03.2010)	15.52	3.43	22.36
(ii) Fair value of plan assets as at the end of the period.	-	-	21.24
(iii) Net Assets/ (liability) recognized in balance sheet.	(15.52)	(3.43)	(1.12)
D) Expenses recognized in the Statement of Profit and Loss A/c			
(i) Current Service Cost	1.10	0.61	1.32
(ii) Past Service Cost	-	-	9.01
(iii) Interest Cost	1.01	0.23	0.99
(iv) Expected return on plan assets	-	-	(1.13)
(v) Curtailment / settlement cost	-	-	-
(vi) Net Actuarial gain / (loss) recognized in the period	1.14	(0.09)	(1.70)
(vii) Expenses recognized in the statement of profit and loss	3.25	0.75	8.49

*Assets value being more than liability, ignored.



The Principal assumption used in determining employee benefits are given below:-

Particulars	Leave Encashment (EL & HPL) for all Employees (non-funded)	Baggage Allowance/ LTC/PRMBS for all Employees (non-funded)	Gratuity (Funded)	
Discount Rate	7.50%	7.50%	Vesting period	5 year service
Expected rate of return on plan assets.	0.00%	0.00%	Benefit	As per the provisions of payment of Gratuity Act 1972. However, the present limit of Rs. 3.50 Lacs is enhanced to Rs. 10.00 Lacs during the F.Y. 2009-10
Future cost increase	-	5.50%/4.50%	-	-
Salary escalation rate	5.50%	-	Salary for calculation for Gratuity	Last Drawn basic salary plus Dearness allowance
Retirement age	-	60 years	-	60 years
Attrition rate :				
Age (years)				
Upto 30 years	3.00%	3.00%		
Upto 44 years	2.00%	2.00%		
Above 44 years	1.00%	1.00%		

The above information is certified by the Actuary.

14. Insurance Claims

14.1 The Insurance claim of damaged Dauphin N helicopter VT-ELB which had met with an accident on 12.09.2006 in Punjab was settled during the year by New India Assurance Co. under Constructive Total Loss (CTL) basis. The net realized amount from the Insurance Co. was Rs. 5.95 crores after deducting Rs. 0.40 crores from the gross insurance payable amount towards deductible while rotor in motion as per the terms and conditions of Hull Insurance Policy.

The major repair and maintenance work on the helicopter has already commenced and repair of the helicopter is expected to be completed in the next financial year. The said helicopter is considered as 'Assets currently not in use' during the current financial year but shown as part of Fixed Assets in Schedule no. 5.

14.2 The Insurance claim of Dauphin N3 Helicopter VT-PHP which had met

with an accident on 27.09.2007 at Kavaratii, Lakshadweep island was finally assessed in February, 2010 by New India Assurance Co. Ltd. under Constructive Total Loss (CTL) basis and the same was realized in April, 2010 before closure of annual accounts. The net realization from the Insurance Co. was Rs. 29.31 crores after deducting Rs. 4.99 crores towards salvage value of the helicopter and Rs. 0.70 crores towards deductible while rotor in motion as per terms and conditions of the Hull Insurance Policy.

Accordingly, the net realization amounts to Rs. 29.31 crores was accounted in the books of account in the financial year 2009-10 on account of virtual certainty of realisation of claim. Further, the salvage value of Rs. 4.99 crores of the helicopter consist of Rs. 2.25 crores towards 2 nos. Aerial 2C engines and Rs. 2.74 crores towards rotables and others items has also been accounted in the financial year 2009-10.



The Aerial 2C engines of the helicopter are in serviceable condition and therefore accounted as fixed assets at the year end. The rotables are subject to bench check, repair and overhaul, etc. before being put to use, hence these rotables are shown as "Goods under Inspection".

15. *Income Tax*

15.1 Assessment of income tax is presently in progress / under Appeal for certain previous years. Tax liabilities, if any, will be recognized on finalization of such assessments.

15.2 Provision for Taxation of Rs. 9.40 crores (P.Y. 5.50 crore) has been made for the year as per the existing provisions of MAT (Minimum Alternative Tax) on book profits under section 115JB of Income Tax Act 1961 as there is Nil tax liability under normal provisions of the Act. However, the benefit of adjustment of MAT shall be taken in the subsequent period against the normal tax liability as per the Income Tax Act.

16. *Expenses include the following :*

	(Rs./Crores)	
	31 st March 2010	31 st March 2009
i) Company - Staff Quarters		
a) Taxes	0.33	0.33
b) Repairs – Buildings/others	0.74	1.18
ii) Leased Residential Accommodation		
a) Rent (Net of Recovery)	0.13	0.11
b) Maintenance charges	0.01	0.02

17. *Interest Income*

Interest income of Rs. 10.47 crores (P.Y. Rs. 14.84 crores) for the financial year under audit earned on deposits with Banks made with funds generated from operations which include funds for settlement of claim of the Govt. of India, the amount of which is pending

finalization (Refer Note No. 3) and indeterminate at this stage.

18. *Heliport Project*

The Government has approved creation of Heliport at Rohini, New Delhi by the Company at estimated cost of Rs. 64.00 crores to be funded in the following pattern :-

- (i) Rs. 19.00 crores as Grants in Aid by the Government towards the land cost.
- (ii) Government equity towards 80% of the cost of infrastructure development aggregating Rs. 45.00 crores i.e. Rs. 36.00 crores and remaining 20% amounting to Rs. 9.00 crores to be borne by the Company from its internal resources.

Accordingly, the Company has received Rs. 15.00 crores in March, 2010 as equity contribution of Government towards the Heliport Project cost. This amount has been treated as Advance against equity, pending allotment.

During the year, the Company has deposited Rs 19.07 crores with DDA towards the cost of land measuring 25 acres at Rohini, New Delhi on behalf of Ministry of Civil Aviation and took possession of the land. Since the title of the land would be in the name of Ministry of Civil Aviation, the amount deposited by the Company has been shown as Amount Recoverable from the Ministry of Civil Aviation in view of the Government sanction of the Heliport Project. The Company has taken up with Ministry of Civil Aviation for remittance of Rs. 19.07 crores deposited towards Land cost.

- 19. The Company had no dues to Micro & Small Enterprises outstanding for more than 30 days on the Balance Sheet date.



20. Segment Reporting

The Company is engaged in providing helicopter services business which is considered as one business segment. Hence, Segment Reporting as per Accounting Standard 17 on Segment Reporting is not considered applicable to the Company.

22. Related Party Disclosure

Related party disclosures, as required by Accounting Standard-18 "Related Party Disclosures" issued by the ICAI are given below:

- a. Key Management Personnel
 - Shri R. K. Tyagi, Chairman & Managing Director from 18.05.2007 onwards as Chairman & Managing Director.
- b. Transactions
 - *Remuneration Rs. 24,60,190/-
 - Loans Given -
(HBA including interest)

21. Provisions:

(Fig. in Rs./Crores)

Particulars	Opening Balance as on 01.04.2009	Created during the year	Utilized during the year/other Adjustments/transfer/ Reversals	Closing/ Balance as on 31.03.2010
Impairment of Assets including inventory	16.01	-	-	16.01
Provision for Revision of Pay & Allowances from 01.01.2007.	15.22	25.10	21.04	19.28
Doubtful Debts/Advance	10.82	0.26	0.91	10.17
Dividend	11.38	-	11.38	-
Corporate Taxes on Dividend	1.93	-	1.93	-
Non moving inventories, etc.	8.96	0.51	-	9.47

23. Earning Per share has been computed as under:

	31 st March 2010	31 st March, 2009
● Net Profit after tax	Rs. 35,58,86,092/-	Rs. 25,12,03,755/-
● Weighted average number of Equity Share outstanding	113766	113766
● Earning per share (Basic and diluted)	Rs.3128/-	Rs.2208/-
Face Value of Rs.10,000/- per share		



24. ADDITIONAL INFORMATION

a) Opening and closing stocks (after financial write offs)

	31st March, 2010	<i>(In Rupees)</i> 31st March, 2009
i) Stores, Spares & Consumables(Net)	67,11,56,634	60,39,80,998
ii) Gem Modules	54,15,882	54,15,882
iii) Test Tool/Ground Support Equipment	47,82,289	49,50,583
iv) Goods-in-Transit	2,15,59,745	2,56,26,042
v) Stocks under Inspection	4,83,97,890	5,28,76,860
TOTAL	<u>75,13,12,440</u>	<u>69,28,50,365</u>

b) Value of imports calculated on CIF basis:

	31st March, 2010	<i>(In Rupees)</i> 31st March, 2009
i) Stores, Spares & Consumables	34,27,26,016	45,51,12,013
ii) Airframe & Aero Engine Equipments- Rotables	30,10,63,875	46,53,38,997
iii) Test equipment/Ground Support Equipment/Loose Tools	2,89,27,262	2,88,19,443
iv) Goods-in-Transit /Goods under Inspection	4,21,25,282	7,88,01,119
v) Capital Goods/Other Items	1,11,34,307	43,00,601
vi) Retrofit programme	15,61,378	11,36,98,138
TOTAL	<u>72,75,38,120</u>	<u>1,14,60,70,311</u>



c) Expenditure in Foreign Currency during the financial year:

	<i>(In Rupees)</i>	
	31st March, 2010	31st March, 2009
i) Stores, Spares & Consumables	33,93,24,980	44,14,55,466
ii) Airframe & Aero Engine Equipments- Rotables	29,86,39,387	45,92,64,252
iii) Test equipment/Ground Support Equipment/ Loose Tools	2,69,02,571	2,78,36,485
iv) Foreign Travelling/Foreign Training	2,83,13,663	2,90,38,789
v) Goods in Transit/Goods under Inspection	4,18,65,662	7,74,91,725
vi) Repair Charges	86,19,40,763	61,38,30,285
vii) Equipment/Specialists Hire Charges	1,93,04,210	3,60,63,510
viii) Capital Goods/ Other Items	94,95,929	52,89,278
ix) Retrofit Programme	15,61,378	11,15,39,502
TOTAL	<u>1,62,73,48,543</u>	<u>1,80,18,09,292</u>

d) Value of consumption of imported and indigenous components and spare parts (including write off of loose tools and excluding capitals items):

	VALUE (in Rupees)		PERCENTAGE	
	31st March, 2010	31st March, 2009	31st March, 2010	31st March, 2009
Imported	27,08,05,034	23,39,28,775	97.20%	96.70%
Indigenous	79,38,499	80,98,093	2.80%	3.30%
TOTAL	<u>27,87,43,533</u>	<u>24,20,26,868</u>	<u>100.00%</u>	<u>100.00%</u>

e) Earnings in Foreign Exchange during the financial year :

	<i>(In Rupees)</i>	
	31st March, 2010	31st March, 2009
Helicopter Services	1,31,67,43,044	99,07,72,166
	<u>1,31,67,43,044</u>	<u>99,07,72,166</u>



- f) Remuneration paid to Directors including Chairman & Managing Director
 i.) Remuneration paid to Chairman & Managing Director

	31 st March, 2010	31 st March, 2009
		<i>(In Rupees)</i>
i) Salary	15,63,534	7,75,339
ii) Allowances & Perquisites	7,33,512	6,10,132
iii) Provident Fund/Gratuity	1,63,144	6,10,132
Total	<u>24,60,190</u>	<u>14,85,385</u>

- g) Balance Sheet Abstract and Company's General Business Profile:

I. Registration Details:

Registration No.: 55/22233 State Code : 55
 Balance Sheet Date : 31.03.2010

II. Capital Raised during the year (Amount in Rs. thousands)

Public Issue : Nil Right Issue : Nil
 Bonus Issue : Nil Private Placement : Nil

III. Position of Mobilization and Deployment of Funds (Amount in Rs. thousands)

Total Liabilities : 9826631 Total Assets : 9826631

a) Source of Funds :

Paid-up Capital : 1137660 Reserve & Surplus : 2221954
 Deferred Tax Liability : 772102
 Secured Loans : Nil Unsecured Loan : Nil

b) Application of Funds:

Net Fixed Assets : 4666054 Investments : 28934
 (including Capital Work in Progress)
 Net Current Assets : (424046) Misc. Expenditure : 10774
 Accumulated Losses : Nil

IV Performance of Company (amount in Rs. thousands)

i) Turnover including Interest & Other Income, Extraordinary and other credits : 4045450
 ii) Total Expenditure including Extraordinary and other Debits : 3494031
 iii) Profit before Tax : 551420
 iv) Profit after Tax : 355886
 v) Earnings per Share : Rs. 3128



V Generic Name of Principal Products/Services of Company (as per monetary terms)

Item Code No. (ITC Code)

Not applicable

Product Description

Helicopter Services

25. Previous year figures have been re-grouped/ recasted wherever necessary.

R.K.Tyagi
Chairman-Cum-Managing Director

E.K. Bharat Bhushan
Director

Sanjiv Agrawal
Company Secretary & DGM(Legal)

Sanjiv Bahl
General Manager (F&A)

Place : New Delhi

Dated : 20th September, 2010



Cash flow Statement for the Year ended 31st March, 2010

	31 st March, 2010	31 st March, 2009
(Rupees in Lakhs)		
A. Cash flow arising from Operating Activities		
Net Profit before Tax	5,514.20	4,794.62
Depreciation charge	3,820.61	1,181.36
Prior Period Depreciation Adjustments	(81.24)	-
Interest Income	(1,205.37)	(1,787.92)
Profit/(loss) on sale of fixed assets	(16.73)	(0.25)
Fixed Assets Written off/Store/Spare/ Loose Tools written off/ Adjustments	219.21	71.07
Amount Written off	-	(14.04)
Insurance Claims	(704.60)	(980.38)
Reversal of Provision no Longer Required	(109.03)	-
Misc. expenses Written off	452.68	452.68
Operating profit/(loss) before working capital changes	7,889.73	3,717.14
Working Capital changes Add/(less)		
Inventories	(1,395.23)	(2,929.51)
Sundry Debtors	(2,675.12)	(1,183.26)
Loans & Advances	(6,623.59)	(924.03)
Current liabilities	(708.97)	(4,366.50)
Provisions	719.60	(50.78)
Exceptional Items (Insurance Claims)	704.60	980.38
Prior Period Adjustments	81.24	-
Decrease/(Increase) in working capital	(9,897.47)	(8,473.70)
Net Cash flow from Operating Activities (A)	(2,007.74)	(4,756.56)
B. Cash flow arising from Investing Activities		
Investment in Equity Capital	(289.34)	-
Purchase of Fixed Assets	69.15	(3,333.38)
Sale of Fixed Assets	0.02	1.46
Capital work in progress	(432.53)	(416.57)
Interest income	1,205.37	1,787.92
Net Cash flow from Investing Activities (B)	552.67	(1,960.57)
C. Cash flow arising from Financing Activities		
Advance Against Equity, Pending Allotment	1,500.00	-
Dividend paid (including Corporate Tax)	(1,331.01)	-
Net Cash flow from Financing Activities (C)	168.99	-
D. Taxes Paid		
Income Tax (including wealth tax) paid	(1,222.14)	(1,061.94)
Net Increase/(Decrease) in Cash and Cash Equivalents (A+B+C+D)	(2,508.22)	(7,779.07)
Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year	15,092.41	22,871.48
Cash and Cash Equivalents at the end of the year	12,584.19	15,092.41

Notes: Figures in brackets indicate cash outgo

For V.K.Verma & Co.
Chartered Accountants

R.K.Tyagi
Chairman-Cum-Managing Director

E.K. Bharat Bhushan
Director

V.Kumar
Partner
(M.No. - 503826)

Sanjiv Agrawal
Company Secretary & DGM (Legal)

Sanjiv Bahl
General Manager (F&A)

Place : New Delhi
Dated : 20th September, 2010



AUDITORS' REPORT

Annexure 'A' to the Director's Report

Management's Reply

To

The Members

PAWAN HANS HELICOPTERS LIMITED

We have audited the attached Balance Sheet of PAWAN HANS HELICOPTERS LIMITED as at 31st March, 2010 and also the Profit & Loss Account for the year ended on that date annexed thereto and cash-flow statement for the year ended on that date, in which are incorporated the accounts of Western Region audited by Branch Auditors. These financial statements are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We conducted our audit in accordance with auditing standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by the management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.

We report that:

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2003 issued by the Central Government of India in terms of Section 227 (4A) of the Companies Act, 1956, we enclose in the Annexure, a statement on the matters specified in paragraphs 4 & 5 of the said order.



2. Further to our comments in the Annexure referred to in Paragraph 1 above, we report that:
 - a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
 - b. In our opinion, proper books of accounts as required by law, have been kept by the company so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the branch not visited by us. The branch auditor's report dated 31-05-2010 has been forwarded to us and has been appropriately dealt with.
 - c. The Balance Sheet, the Profit & Loss Account and cash flow statement dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the audited returns from the branch.
 - d. In our opinion, Balance Sheet, Profit & Loss Account and cash flow statement dealt with by this report complied with the Accounting Standards referred to in sub-section (3C) of section 211 of the Companies Act, 1956.
 - e. As per the information & explanations given to us, in view of the general circular no. 8/2002 dated 22-03-2002 issued by Department of Company Affairs, the Govt. companies are exempt from applicability of the provisions of Section 274 (1) (g) of the Companies Act, 1956

Subject to the notes given under the notes to accounts, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts give the information required by the Companies Act, 1956 in the manner so required and give a true and fair view except



on stated above in conformity with the accounting principles generally accepted in India:

i) In the case of the Balance Sheet, of the state of Affairs of the Company as at 31st March 2010.

ii) In the case of Profit & Loss Account, of the PROFIT of the Company for the year ended on that date.

iii) In case of Cash-Flow statement, of the cash flows for the year ended on that date.

For V.K.Verma & CO.
Chartered Accountants

(V. Kumar)
Partner
M. No.503826

Place: New Delhi

Dated: 20th September, 2010



ANNEXURE TO THE AUDITOR'S REPORT

Management's Reply

PAWAN HANS HELICOPTERS LTD ,
NEW DELHI

(Referred to in paragraph 1 of our audit report of even date)

I.

- | | |
|--|--|
| (a) company has maintained proper records showing full particulars including quantitative details and situation of fixed assets. At Western Region the branch auditors have reported that Situation / location of Fixed Assets have not been recorded in many cases. | Fixed Assets Register records main situation/ location of assets of each Region. Movement records for Rotables are being maintained by Materials / Engineering Departments of the Company for location of such assets. At Western Region the situation / location of fixed assets are being recorded. |
| (b) The fixed assets have been physically verified by the management at reasonable intervals and no material discrepancies were noticed on such verification. At Western Region the branch auditors have reported that the fixed assets verification process currently going on and is not yet complete. | The Identification of Fixed Assets at Western Region is now complete. The process of reconciliation of the assets physically verified is being taken up with Book records. The Branch Auditors have reported that till now no major discrepancy was observed on physical verification as compared to Book records. |
| (c) No substantial disposal of fixed assets has taken place during the year, which would have affected the going concern. | No Comments |

II.

- | | |
|---|--|
| (a) The inventory has been physically verified during the year by the management at reasonable intervals except for inventories of Westland Helicopters and inventories scrapped but not disposed off at Northern Region and Inventory lying out of Country for repairs/ maintenance. | Action is in progress in respect of items scrapped but pending disposal. |
| (b) The procedures of physical verification of inventory followed by the management are reasonable and adequate in relation to the size of the company and nature of its business in respect of inventory verified. | No Comments |



- (c) The company is maintaining proper records of inventory and discrepancies noticed on physical verification, which were not material, have been properly dealt with in the books of account. No comments
- III. According to the information and explanation given to us by the management and records produced, there are no parties covered in the register maintained u/s 301 of the Companies Act, 1956. Accordingly clauses iii (b), iii (c) and iii (d) are not applicable. No comments
- IV. In our opinion and according to the information and explanations given to us, there are adequate internal control procedures commensurate with the size of the company and the nature of its business, for the purchase of inventory and fixed assets and for hiring charges of helicopters. During the course of our audit, we have not observed any continuing failure to correct major weakness in internal control. No comments
- V. According to the information and explanations given to us by the management and record produced, there are no transactions in the company that need to be entered into the register in pursuance of section 301 of the Companies Act, 1956. No comments
- VI. According to the information and explanations given to us, and as per our examination of records, the company has not accepted any deposits from the public and therefore, the directives issued by the Reserve Bank of India and provisions of section 58 A and 58AA of the Companies Act, 1956 and rules framed there under, are not applicable. No comments
- VII. In our opinion, the company has an internal audit system which commensurate with its size and nature of the business. No comments
- VIII. The Central Government has not prescribed the maintenance of cost records under section 209(1)(d) of the Companies Act, 1956, for the company. No comments



- IX. (a) The company is regular in depositing statutory dues like provident fund, income tax, sales tax, wealth tax, custom duty, cess and other material undisputed statutory dues with the appropriate authorities. No comments
- (b) According to the information and explanations given to us, no undisputed amounts payable in respect of Statutory dues were in arrear, as at 31st March, 2010 for a period of more than six months from the date they become payable. No comments
- X. The clause relating to accumulated losses is not applicable. No comments
- XI. The company has not defaulted in repayment of dues to any financial institution or bank or debenture holders.
- XII. According to the information & explanations given to us, and as per our examination of records, the company has not granted loans and advances on the basis of security by way of pledge of shares, debentures and other securities. No comments
- XIII. According to the information & explanations given to us, and as per our examination of records, the provisions of clause relating to Chit Fund or nidhi/ mutual benefit fund/societies are not applicable to the company. No comments
- XIV. According to the information & explanations given to us, and as per our examination of records, the company has not dealt in or traded in shares, securities, debentures during the year. In respect of investments in the shape of fixed deposits with banks the company has maintained proper records of transactions and timely entries have been made therein. All such investments have been held by the company in its own name. No comments
- XV. According to the information and explanations given to us and records No comments



- examined by us, the company has not given any guarantee for loans taken by others from banks or financial institutions.
- XVI.** According to the information & explanations given to us, and as per our examination of record, the company has not obtained any term loans. No comments
- XVII.** According to the information & explanations given to us, and as per our examination of records, the company has not used funds raised on short terms basis for long terms investment and vice versa. No comments
- XVIII.** The clause relating to preferential allotment of shares is not applicable. No comments
- XIX.** The clause regarding issue of debentures is not applicable. No comments
- XX.** The provisions of this clause relating to raising of money by means of public issue are not applicable. No comments
- XXI.** According to the information & explanations given to us, and as per our examination of records, no fraud on or by the company has been noticed or reported during the year. No comments

For V.K.Verma & CO.
Chartered Accountants
FRN No. 000386N

(V. Kumar)
Partner
M. No.503826

Place: New Delhi

Dated: 20th September, 2010



Annexure 'B' to the Directors' Report

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 619(4) OF THE COMPANIES ACT, 1956 ON THE ACCOUNTS OF PAWAN HANS HELICOPTERS LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2010

The preparation of financial statements of **Pawan Hans Helicopters Limited** for the year ended 31 March 2010 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 1956 is the responsibility of the management of the Company. The Statutory Auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 619(2) of the Companies Act, 1956 are responsible for expressing opinion on these financial statements under Section 227 of the Companies Act, 1956 based on independent audit in accordance with the Auditing and Assurance Standards prescribed by their professional body the Institute of Chartered Accountants of India. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 20th September 2010.

I on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have conducted a supplementary audit under Section 619(3) (b) of the Companies Act, 1956 of the financial statements of **Pawan Hans Helicopters Limited** for the year ended 31 March 2010. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the Statutory Auditors and is limited primarily to inquiries of the Statutory Auditors and Company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to Statutory Auditors' report under Section 619 (4) of the Companies Act, 1956.

For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India

(Birendra Kumar)
Principal Director of Commercial Audit
& ex-officio Member, Audit Board-I,
New Delhi.

Place: New Delhi

Dated: 15th October, 2010



Annexure 'C' to the Directors' Report

STATEMENT OF PARTICULARS OF EMPLOYEES UNDER SECTION 217(2A) OF COMPANIES ACT 1956, READ WITH THE COMPANIES (PARTICULARS OF EMPLOYEES) RULES, 1975 AND FORMING PART OF DIRECTOR'S REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2010

Sl. No.	Name	Age (Yr.)	Qualification	Designation	Date of Joining	Experience (Year)	Remuneration Received (Rs.)	Last Employment
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Employed throughout the year/under review and were in receipt of remuneration aggregating not less than Rs. 24,00,000/- per annum								
1	Mr. R. K. Tyagi	55	BE (Elec.& Telecom), MBA	CMD	18/05/2007	33	24,60,190	ONGC
2	Col. RPS Mahal	59	Intermediate	DGM(Ops)	19/02/1997	37	31,11,544	Ex-Army
3	Col. Sardul Singh	59	B.Sc.	Captain	01/10/1997	36	32,98,449	Ex-Army
4	Capt. J.J. Singh	51	B.A.	Sr. Manager(Ops)	10/01/2007	28	30,05,641	Ex-Army
5	Capt. J.B. Singh	58	M.A.	Sr. Manager(Flight Safety)	04/01/2008	34	34,14,041	Ex-Army
6	Capt. B.V. Baduni	50	M.Sc.	Manager (Training)	10/01/2007	28	29,82,989	Ex-Indian Air Force
7	AirCmde. H.P.S. Natt	57	Master in Mgt.	Captain	15/10/2008	34	25,37,394	Ex-Indian Air Force
8	Col. Jeyraj Edward	54	PG Diploma in-HRM	Captain	24/09/2007	30	29,22,232	Ex-Army
9	Mr. Surender Parsad	60	M.A. (Economics)	DGM(Maint)	10/01/1986	39	25,76,585	Ex-Indian Air Force
10	Col. Akshay Mehrotra	49	B.Sc.	Captain	19/03/2007	30	29,06,664	Ex-Army
11	Col. Paramjit Singh	48	B.A.	Captain	19/03/2007	28	32,13,328	Ex-Army
12	Col. A.S. Parmar	51	MBA	Depu. Pilot	22/05/2007	25	39,63,853	Ex-Army
13	Brig. Anil Nanda	55	M.Sc.(Defence Studies)	Depu. Pilot	25/06/2007	34	33,30,819	Army
14	Col. T.S. Randhawa	53	LLB.MBA.PGDCA	Captain	24/09/2007	30	31,75,268	Army
15	Mr. Yaspal	60	M.A Dip. In Elect. Engg(IAF)	DGM(Maint)	07/07/1986	42	29,39,486	Ex-Indian Air Force
16	Mr. P.S. Das	59	AME A&C , BA(Hons.)	DGM(W/S) NR	30/09/1989	31	24,15,837	Ex-Indian Air Force
17	Lt. Col. J.S. Babbar	43	B.A.CHPAL	Captain	24/09/2007	24	26,76,278	Army
18	Col. Parbhat Kumar	55	B.A. NDA	Captain-A	10/01/2009	34	29,76,297	Army
19	Lt. Col. Samir Singh	44	B.A.	Captain	17/08/2010	25	32,96,954	Army
20	Col. G.M. Solanki	54	M.A.	Captain	24/09/2007	32	34,23,616	Army
21	Lt. Col. Narinder Kumar Sharma	49	M.A.(History)	Depu. Pilot	24/09/2007	25	29,57,929	Army
22	Col. P.K. Juneja	53	BSC.NDA	Captain	24/09/2010	33	32,11,747	Army
23	Col. Manjit Singh	48	M. Sc.	First Officer-I	24/09/2007	25	29,15,530	Army
24	Col. Sudeep Bhattacharjee	44	M. Sc.	Jr. Captain	24/09/2007	26	34,41,214	Army
25	Lt. Col. A.K. Panthey	46	BA	Depu. Pilot	31/12/2007	21	28,97,523	Army
26	Col. Mukesh Malhotra	53	B.Sc., NDA	Captain	31/12/2007	33	32,20,628	Army
27	Wg. Cdr. M.L. Mehta	64	CHPL BA	Captain - C	03/04/1996	45	27,80,244	Ex-Indian Air Force
28	Wg. Cdr. Anil Kishore	62	NDA	Captain - C	21/08/1996	28	34,02,374	Ex-Indian Air Force
29	Captain Ashok Garg	31	12th	Captain - A	26/03/2003	8	26,71,253	Ex-Indian Air Force
30	Wg. Cdr. B D Singh	57	M. Sc.	Captain - A	12/08/2004	30	27,87,666	Ex-Indian Air Force
31	Wg. Cdr. T.S. Mamik	51	NDA	Captain	17/01/2005	32	30,94,803	Ex-Indian Air Force
32	Lt. Col. M.S. Chowhan	61	Inter Sc, BA	Captain - A	18/06/2007	32	25,31,709	Ex-Army
33	Wg. Cdr. Varun Gupta	59	NDA	Captain - A	18/06/2007	38	26,36,300	Ex-Indian Air Force
34	Lt. Col. Jagdip Singh	60	Pre - Engeneering	Pilot - C	18/06/2007	34	24,18,238	Ex-Army
35	Col. J.S. Jodha	60	Higher Dip in Software engg.	Pilot - C	18/06/2007	39	27,45,403	Ex-Army
36	Brig. Pramjit Singh Sahi	59	Higher Secondary, Pre Medical	Captain - A	18/06/2007	38	26,51,210	Ex-Army
37	Col. KPS Hanspal	55	ISc.BA	Captain - A	11/01/2007	33	26,90,240	Ex-Army
38	Lt. Col. SPS Brar	47	BSc.NDA	Captain - A	18/06/2007	25	29,78,844	Ex-Army
39	Col. Arun Kumar Opal	60	Intermediate	Captain - A	21/06/2007	37	29,22,684	Ex-Army
40	Lt. Col. V.C. Katoch	46	BA.MBA.PGDCA	Captain	09/12/2007	26	24,78,871	Ex-Army
41	Lt. Col. HS Uppal	60	MBA., Mast. Dip. In Comp. Science	Captain - A	09/12/2007	36	27,24,371	Ex-Army
42	Captain P.P. Singh	62	AMAESI	Captain - C	08/04/2008	44	27,53,206	Ex-Indian Air Force
43	Capt. VK Sitaram	63	NDA	Captain - A	01/07/2009	43	22,97,897	Ex-Army



Sl. No.	Name	Age (Yr.)	Qualification	Designation	Date of Joining	Experience (Year)	Remuneration Received (Rs.)	Last Employment
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	Col. PS Marwaha	55	BA, MBA	Captain	02/03/2009	33	32,56,631	Ex-Army
45	Cdr. A. P. Singh*	47	Pre-University	Sr. Cdr.	20/03/1989	21	38,85,171	Patiala Aviation Club
46	Cdr. Pawan Rathore*	55	NDA	Sr. Cdr.	24/09/1990	35	35,67,485	Indian Navy
47	Cdr Y.S. Das	57	B.A.	DGM	17/02/1997	36	44,08,675	Indian Airforce
48	Cdr. P.K. Rukhaiyar	45	B.A.	Captain	24/09/2007	23	39,50,024	Indian Army
49	Capt. T.S. Gulia	43	D.M. M.A.	oapiam Captain	24/09/2007	19	34,24,991	Indian Army
50	Capt. J.K. Mishra	42	B.A.	Captain	24/09/2007	21	38,20,455	Indian Army
51	Capt. Amitabha Nandi	45	M.Sc.	Captain	24/09/2007	25	40,70,118	Indian Army
52	Capt. S.S. Yadav	53	B.A. MBA	Captain	24/09/2007	33	36,11,414	Indian Army
53	Capt. C.S. Mander	44	B.Com	Captain	01/04/2009	23	27,45,487	Indian Army
54	Capt. R. S. Nandal	40	M.A.	Captain	01/04/2009	18	29,91,675	Indian Army
55	Capt. M.K.Gogoi	53	B.Sc.	Captain	01/04/2009	23	27,84,775	Indian Army
56	Capt. M.M. Srivastava	50	B.A.	Captain	01/04/2009	20	29,32,771	Indian Army
57	Capt. A.K. Govil	59	B.Sc.	DGM	20/01/1990	20	44,32,384	Indian Navy
58	Capt. E. Samuel	54	H.S.C.	DGM	20/05/1988	21	36,34,717	H.I.E.T
59	Capt. M.V. Alexander	50	B.Sc.	DGM	14/06/1988	21	37,84,563	First Employment
60	Capt. Subhash Chander	58	H.S.C.	DGM	12/12/1996	27	49,28,903	Indian Air Force
61	Capt. Rohit Rai	58	M.Sc.	Sr. Cdr.	20/02/1997	24	38,23,366	Indian Air Force
62	Cdr. R.S. Dhanda	57	M.Sc.	DGM	07/04/1997	26	44,24,905	Indian Army
63	Capt. Anand Mohan	47	B.A.	Captain	22/03/2006	19	35,61,270	Indian Navy
64	Capt. M.S. Bains	54	H.S.C.	Captain	01/10/2007	36	37,38,302	Indian Air Force
65	Capt. Amarjeet Singh	53	M.Sc.	Captain	01/10/2007	25	32,70,403	Indian Air Force
66	Capt. Peter Samuel	29	B.Sc.	Captain	01/04/2006	7	30,30,349	First Employment
67	Capt. D.S. Mokha	65	B.Sc.	Captain	26/11/2007	44	34,99,314	Indian Navy
68	Capt Rajesh Khanna	55	B.A.	Captain	01/12/2007	18	29,56,998	Ex-Defence
69	Capt. A.E.N. Rao	50	B.Sc.	Captain	18/06/2007	29	32,28,424	Ex-Defence
70	Capt. Alien Lewis	50	Pre-University	Captain	17/07/2003	28	32,84,377	Ex-Defence
71	Capt. Rakesh Gaiind	40	B.A.	Captain	28/01/2005	19	42,04,708	Indian Navy
72	Capt. S.V. Ramani	56	B.Sc.	Captain	04/11/2004	37	29,06,193	Ex-Defence
73	Capt. J.A.Royappan	56	B.Sc.	Captain	11/02/2005	34	35,05,605	Indian Navy
74	Capt. D.S.Dhanoya	63	B.A.	Captain	04/04/2006	21	38,91,529	Indian Army
75	Capt. I.M. Simoes	63	S.S.C.	Captain	01/10/2006	22	41,36,999	Indian Air Force
76	Capt. S.K. Verma	63	Inter	Captain	02/01/2007	44	42,81,236	Indian Air Force
77	Capt. Ashok Khosla	62	NDA	Captain	03/10/2007	43	39,05,749	Indian Army
78	Capt. Hemang Shukla	49		Captain	20/03/2008	35	29,39,093	Ex-Defence
79	Capt. Y.P. Singh	61	ISC.NDA	Captain	04/08/2008	40	33,58,385	Indian Army
80	Capt. Naval Kapoor*	54	M.Sc.	Captain	06/10/2008	32	31,83,050	Indian Army

NOTE:

- 1 None of the above Employees are related to any of the Directors.
- 2 Remuneration includes Salary and Allowances, Medical Reimbursement, Company Leased Accommodation, Conveyance Reimbursement etc., and related Arrears for earlier Years, if any.
3. * Part Remuneration.



EXPLANATORY STATEMENT

(Pursuant to Section 173(2) of the Companies Act, 1956)

Increase in Equity Share Capital of PHHL and Borrowing limits.

1. INCREASE IN THE AUTHORISED EQUITY SHARE CAPITAL OF PAWAN HANS HELICOPTERS LTD.

The present authorized capital of PHHL is Rs.120 crores out of which the subscribed and paid-up capital is Rs.113.766 crores. In the subscribed capital Rs.89.266 crores are held in the name of President of India and Rs.24.50 crores in the name of O.N.G.C. Ltd. The Ministry of Civil Aviation vide OM No.17/1/2010-FIN-I dated 29.3.2010 has forwarded minutes of EFC under the Chairmanship of Secretary, Ministry of Civil Aviation for construction of Heliport. In terms of the decision of the EFC the project cost of Heliport would also comprise Government equity of Rs.36 crores in PHHL.

In terms of Clause V of the Memorandum of Association and clause 4 of Articles of Association, the authorized capital of the Company is Rs.120 crores. Further, not less than 51% equity capital shall be subscribed by the President of India and the balance shall be subscribed by the Oil & Natural Gas

Corporation Limited. As per Article 18 of the Articles of Association of PHHL “subject to approval of the President, the Directors may with the sanction of the Company in General Meeting increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount as the resolution shall prescribe.” In terms of Article 20 of the Articles of Association, the capital raised by creation of new shares shall be considered part of the original capital. The Article 21 of the Articles of Association also provide that subject to such directions as may be issued by the President, the new shares shall be offered to the members in proportion to the existing shares held by each member.

Ministry of Civil Aviation vide letter No.AV.30020/017/ 2007-DG dated 4.8.2010 informed that as per clause VIII-Article No.18 of Articles of Association of PHHL “subject to the approval of the President, the Directors may, with the sanction of the Company in General Meeting increase the share capital by such sum, to be divided into shares of such amount as the resolution shall prescribe.” PHHL, therefore, needs



to take action for seeking the consent of shareholders in a General Meeting and then seek approval of the President to increase the share capital of PHL.

The Ministry of Civil Aviation vide letter No.AV.30020/017/2007-D.G. dated 28.10.2010 has further informed that the Ministry has no objection to PHL taking up the matter with ONGC to increase Share Capital in PHL which would be a capital contribution of ONGC in PHL. Accordingly, PHL has approached ONGC and now ONGC has agreed that out of the loan for acquisition of helicopters (Rs.110 crores already received from ONGC for 3 Dauphin N3 helicopters) Rs.95.85 crores shall be converted into equity by way of contribution by ONGC in PHL's equity capital to the extent of 49% of the total equity capital as per Article 4 of Articles of Association of PHL. Accordingly, total contribution from ONGC shall increase from Rs.24.50 crores to Rs.120.35 crores (49% of total equity) and the additional contribution would be Rs.95.85 crores from ONGC. The Shareholders may kindly approve increase in authorized capital from Rs.120 crores to Rs.250 crores and amend Clause V and clause 4 of the Memorandum and Articles of Association of PHL. Further as per

section 81(1A) of the Companies Act by way of passing Special Resolution, the Board of Directors of the Company may be authorised to issue equity capital to shareholders otherwise than in the proportion of existing equity shares held by them and issue of equity shares in favour of President of India for Rs.36 crores and Rs.95.85 crores in favour of ONGC.

2. TO CONSIDER AND APPROVE FINANCING THROUGH EXTERNAL BORROWING BEYOND THE PAID UP CAPITAL AND FREE RESERVES OF THE COMPANY FOR ACQUISITION OF HELICOPTERS.

The Board of Directors of the Company in 125th meeting held on 24.5.2010 had approved external borrowings aggregating limit of Rs.406.30 crores in respect of acquisition of new helicopters as per the following details :-

Rs./Crore

	Helicopter	Project Cost	Internal Funding	External funding		Total
				Name	Amount	
1	7 nos. Dauphin N3	PIB 392.50 Rev. 344.10	69.10	ONGC	275.00	344.10
2	3 Nos. Dauphin 350 B3	38.72	38.72	--	--	38.72
3	Acquisition of additional 3 helicopters under option clause	150.30	19.00	a) NTPC (1) b) Financial Institutions/ banks (2)	54.30 77.00	150.30
		533.12	126.82		406.30	533.12



PHHL existing net worth as on 31.03.2010 is Rs.335.96 crores (paid-up capital Rs.113.766 crores plus reserves and surplus Rs.222.20 crores). The Ministry of Civil Aviation has also vide letter No.AV.30015/001/2009 dated 16.7.2010 has conveyed approval for borrowing upto Rs.406.30 crores. Accordingly approval of the shareholders is requested in terms of

section 293(1)(d) of the Companies Act for borrowing limits beyond the paid-up capital and free reserves of the Company.

None of the Directors is interested in personal capacity in respect of the above Resolutions. Accordingly, the Shareholders are requested to approve the above resolutions.